



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2013-14



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2013-14

छत्तीसगढ़ शासन

विषय—सूची

	पृष्ठ संख्या	
प्रस्तावना	v	
विनियोग लेखे का सार	1—12	
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	13—15	
विनियोग लेखे		
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	
	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा (प्रभारित विनियोग)	17—19
	लोक ऋण (प्रभारित विनियोग)	20—21
01	सामान्य प्रशासन	22—25
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	26—27
03	पुलिस	28—32
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	33—34
05	जेल	35
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	36—39
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	40—42
08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	43—46
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	47—48
10	वन	49—53
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	54—56
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	57—59
13	कृषि	60—64
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	65—66
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	67—69
16	मछली पालन	70
17	सहकारिता	71—72

	पृष्ठ संख्या
18	श्रम 73-75
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 76-80
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 81-86
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय 87-88
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय 89
23	जल संसाधन विभाग 90-96
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 97-100
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय 101-102
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय 103
27	स्कूल शिक्षा 104-108
28	राज्य विधान मंडल 109
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन 110-112
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय 113-117
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय 118-119
32	जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय 120-122
33	आदिम जाति कल्याण 123-125
34	समाज कल्याण 126-127
35	पुनर्वास 128
36	परिवहन 129-130
37	पर्यटन 131
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय 132-135
40	आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय 136-137
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 138-165
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 166-167
43	खेल और युवा कल्याण 168-169
44	उच्च शिक्षा 170-171

	पृष्ठ संख्या
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य	172-174
46 विज्ञान और टेक्नालॉजी	175
47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	176-180
48 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	181-188
49 अनुसूचित जाति कल्याण	189
50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	190
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व	191
53 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	192-193
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	194
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	195-199
56 ग्रामोद्योग	200-201
57 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	202-203
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	204-209
60 जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	210-211
64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	212-230
65 विमानन विभाग	231
66 पिछड़ा वर्ग कल्याण	232-234
67 लोक निर्माण कार्य-भवन	235-242
68 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	243-245
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	246-247
71 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	248-249
75 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	250-251
76 लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	252
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	253-256
80 त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	257-260

	पृष्ठ सख्या
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	261–265
82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	266–268
83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	269–270

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	273–274
परिशिष्ट-II मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण की गई राशियों का अनुदान वार एवं योजना वार विवरण	275

प्रस्तावना

वर्ष 2013-14 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में-

- मूल मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
- पूरक पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
- पुनर्वि. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।
- प्रभारित* विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

बचत

- (1) कुल प्रावधान का 2 % से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

आधिक्य

- (1) सभी प्रकरणों में जहां पूर्ण आधिक्य है प्रावधान पर आधिक्य व्यय का नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों हेतु ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों हेतु ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा(प्रभारित विनियोग)				
राजस्व— प्रभारित	1,53,67,337	1,45,05,280	8,62,057	..
लोक ऋण (प्रभारित विनियोग)				
पूँजीगत— प्रभारित	93,31,409	68,96,550	24,34,859	..
01. सामान्य प्रशासन				
राजस्व— दत्तमत	12,78,132	9,98,316	2,79,816	..
प्रभारित	1,86,947	1,36,355	50,592	..
पूँजीगत— दत्तमत	1,69,953	1,45,883	24,070	..
02. सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय				
राजस्व— दत्तमत	2,03,625	1,70,787	32,838	..
03. पुलिस				
राजस्व— दत्तमत	2,19,99,317	2,06,64,935	13,34,382	..
प्रभारित	58,100	5,364	52,736	..
पूँजीगत— दत्तमत	4,62,500	3,50,787	1,11,713	..
04. गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय				
राजस्व— दत्तमत	1,98,115	1,54,251	43,864	..
05. जेल				
राजस्व— दत्तमत	9,29,353	7,64,735	1,64,618	..
प्रभारित	10	..	10	..
06. वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व— दत्तमत	2,63,70,937	2,80,58,827	..	16,87,890
				(₹1,68,78,90,071)
प्रभारित	1,560	6,536	..	4,976
				(₹49,76,090)
पूँजीगत— दत्तमत	1	52,999	..	52,998
				(₹5,29,98,344)

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
07. वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	16,06,225	14,60,537	1,45,688	..
प्रभारित	8,00,355	8,00,269	86	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	10	..	10	..
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
राजस्व-				
दत्तमत	56,74,775	44,14,750	12,60,025	..
प्रभारित	1,071	1,044	27	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,000	..	2,000	..
09. राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	1,14,422	83,022	31,400	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	400	..	400	..
10. वन				
राजस्व-				
दत्तमत	73,25,646	65,94,780	7,30,866	..
प्रभारित	2,32,530	2,30,683	1,847	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,00,000	97,387	1,02,613	..
11. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	11,10,024	8,48,847	2,61,177	..
प्रभारित	35	..	35	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	4,28,000	73,261	3,54,739	..
प्रभारित	1,500	..	1,500	..
12. उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	38,89,529	39,31,645	..	42,116
प्रभारित	18,00,010	11,70,000	6,30,010	(₹ 4,21,15,872)
पूँजीगत-				
दत्तमत	45,70,000	2,20,000	43,50,000	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
13. कृषि				
राजस्व-				
दत्तमत	72,55,730	55,18,751	17,36,979	..
प्रभारित	950	271	679	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	21,02,000	8,52,678	12,49,322	..
14. पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	29,39,776	22,34,399	7,05,377	..
प्रभारित	20	60	..	40
				(₹40,000)
15. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	23,26,698	17,62,424	5,64,274	..
16. मछली पालन				
राजस्व-				
दत्तमत	4,03,607	3,61,850	41,757	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	7,510	7,481	29	..
17. सहकारिता				
राजस्व-				
दत्तमत	17,10,360	13,91,865	3,18,495	..
प्रभारित	15	..	15	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	2,93,060	2,92,827	233	..
18. श्रम				
राजस्व-				
दत्तमत	9,81,246	6,44,873	3,36,373	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	35,000	..	35,000	..
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	80,19,020	71,25,974	8,93,046	..
प्रभारित	1,750	93	1,657	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,18,420	26,146	92,274	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	32,37,201	26,90,424	5,46,777	..
प्रभारित	1,000	536	464	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,11,500	64,317	4,47,183	..
21. आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	9,63,370	5,32,708	4,30,662	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	28,28,000	5,32,405	22,95,595	..
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय				
राजस्व-				
दत्तमत	36,515	31,756	4,759	..
प्रभारित	5	..	5	..
23. जल संसाधन विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	34,40,960	33,40,626	1,00,334	..
प्रभारित	110	..	110	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	42,08,560	32,68,461	9,40,099	..
प्रभारित	2,500	569	1,931	..
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
राजस्व-				
दत्तमत	1,07,99,636	95,17,048	12,82,588	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	74,64,742	73,00,998	1,63,744	..
प्रभारित	15,130	9,153	5,977	..
25. खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	18,66,595	18,16,033	50,562	..
प्रभारित	500	500
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,23,000	8,23,000
26. संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	2,07,000	1,74,711	32,289	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
27. स्कूल शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	2,89,59,637	2,17,55,545	72,04,092	..
प्रभारित	320	565	..	245
				(₹2,45,235)
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,67,079	2,28,472	38,607	..
28. राज्य विधान मण्डल				
राजस्व-				
दत्तमत	3,41,800	2,25,509	1,16,291	..
प्रभारित	7,300	1,193	6,107	..
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन				
राजस्व-				
दत्तमत	26,67,360	19,64,503	7,02,857	..
प्रभारित	3,71,090	2,50,819	1,20,271	..
30. पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	77,82,031	56,67,362	21,14,669	..
प्रभारित	3,200	3,000	200	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	39,04,500	36,98,333	2,06,167	..
31. योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	4,79,096	3,19,237	1,59,859	..
प्रभारित	40	..	40	..
32. जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	8,94,120	8,70,258	23,862	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	200	34	166	..
33. आदिम जाति कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	12,610,760	1,25,23,416	87,344	..
प्रभारित	100	..	100	..
34. समाज कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	6,13,421	4,85,572	1,27,849	..
प्रभारित	40	..	40	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,000	450	550	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
35. पुनर्वास				
राजस्व-				
दत्तमत	25,253	12,128	13,125	..
36. परिवहन				
राजस्व-				
दत्तमत	4,38,720	2,69,720	1,69,000	..
प्रभारित	2,010	..	2,010	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,00,010	95,800	4,210	..
37. पर्यटन				
राजस्व-				
दत्तमत	4,00,235	4,00,235
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,06,000	43,972	2,62,028	..
39. खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	3,57,12,344	3,35,56,373	21,55,971	..
प्रभारित	50	..	50	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	63,72,521	58,89,216	4,83,305	..
40. आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	59,328	51,438	7,890	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,18,000	8,17,458	542	..
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
राजस्व-				
दत्तमत	4,70,24,300	3,62,94,580	1,07,29,720	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,02,13,389	1,39,46,112	62,67,277	..
प्रभारित	1,500	..	1,500	..
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
पूँजीगत-				
दत्तमत	45,37,201	26,86,855	18,50,346	..
प्रभारित	16,000	1,767	14,233	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
43. खेल और युवा कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	6,00,184	1,95,186	4,04,998	..
प्रभारित	25	..	25	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	17,900	17,900
44. उच्च शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	53,06,470	39,01,583	14,04,887	..
प्रभारित	70	..	70	..
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
राजस्व-				
दत्तमत	4,96,390	4,75,894	20,496	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	63,02,000	50,51,751	12,50,249	..
46. विज्ञान और टेक्नालॉजी				
राजस्व-				
दत्तमत	1,69,500	1,11,393	58,107	..
47. तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	18,71,360	12,63,746	6,07,614	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	4,15,000	42,902	3,72,098	..
48. तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान				
राजस्व-				
दत्तमत	46,25,304	31,99,763	14,25,541	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	36,88,080	6,77,972	30,10,108	..
49. अनुसूचित जाति कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	5,95,880	5,56,564	39,316	..
50. बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	20,770	19,821	949	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व राजस्व— दत्तमत	80,150	53,706	26,444	..
53. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व— दत्तमत	6,46,847	6,38,577	8,270	..
पूँजीगत— दत्तमत	4,35,000	..	4,35,000	..
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय राजस्व— दत्तमत	10,20,000	7,73,900	2,46,100	..
55. महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय राजस्व— दत्तमत <i>प्रभारित</i>	65,17,942 <i>10</i>	53,59,265 ..	11,58,677 <i>10</i>
पूँजीगत— दत्तमत	8,31,800	6,51,825	1,79,975	..
56. ग्रामोद्योग राजस्व— दत्तमत <i>प्रभारित</i>	6,57,310 <i>50</i>	5,93,017 <i>50</i>	64,293
पूँजीगत— दत्तमत	7,510	7,465	45	..
57. जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूँजीगत— दत्तमत	2,30,000	28,238	2,01,762	..
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय राजस्व— दत्तमत	60,28,832	39,81,053	20,47,779	..
पूँजीगत— दत्तमत	2,000	..	2,000	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
60. जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	10,000	3,041	6,959	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,20,410	5,21,752	..	1,342 (₹13,42,349)
64. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
राजस्व-				
दत्तमत	1,47,85,384	1,07,95,819	39,89,565	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	96,71,929	67,09,186	29,62,743	..
65. विमानन विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	2,08,904	1,53,131	55,773	..
प्रभारित	10	..	10	..
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	16,89,750	15,44,006	1,45,744	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,09,334	11,126	98,208	..
67. लोक निर्माण कार्य-भवन				
राजस्व-				
दत्तमत	37,04,689	35,42,837	1,61,852	..
प्रभारित	4,000	1,430	2,570	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	39,71,602	27,28,518	12,43,084	..
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-भवन				
पूँजीगत-				
दत्तमत	18,47,000	11,76,825	6,70,175	..
69. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	54,18,772	19,47,667	34,71,105	..
71. सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	5,79,969	4,60,075	1,19,894	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
75. जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूँजीगत— दत्तमत	15,02,000	6,13,590	8,88,410	..
76. लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूँजीगत— दत्तमत	30,00,000	9,218	29,90,782	..
79. चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय राजस्व— दत्तमत <i>प्रभारित</i>	32,62,850 420	24,16,557 ..	8,46,293 420
पूँजीगत— दत्तमत	3,62,000	83,893	2,78,107	..
80. त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व— दत्तमत	3,02,97,021	2,54,24,203	48,72,818	..
81. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व— दत्तमत <i>प्रभारित</i>	1,52,92,190 5,00,000	1,44,17,883 5,00,000	8,74,307
पूँजीगत— दत्तमत	21,75,000	..	21,75,000	..
82. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व— दत्तमत	1,63,57,570	1,32,09,829	31,47,741	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
83. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	17,82,672	17,74,410	8,262	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	13,30,000	..	13,30,000	..
योग:				
राजस्व-				
दत्तमत	37,49,22,929	31,64,97,676	6,01,55,259	17,30,006 (₹ 1,73,00,05,942)
प्रभारित	1,93,41,150	1,76,14,048	17,32,363	5,261 (₹ 52,61,325)
पूँजीगत-				
दत्तमत	9,71,63,121	5,98,47,493	3,73,69,968	54,340 (₹ 5,43,40,693)
प्रभारित	93,68,039	69,08,039	24,60,000	..
महायोग:-				
राजस्व	39,42,64,079	33,41,11,724	6,18,87,622	17,35,267 (₹ 1,73,52,67,267)
पूँजीगत	10,65,31,160	6,67,55,532	3,98,29,968	54,340 (₹ 5,43,40,693)

निम्नलिखित प्रकरणों में अनुदान एवं विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है:-

अनुदान संख्या और नाम-	अनुभाग
दत्तमत-अनुदान	
06-वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व पूँजीगत
12-उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व ..
60-जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	.. पूँजीगत
प्रभारित-विनियोग	
06-वित्त विभाग से संबंध्य व्यय	राजस्व ..
14-पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व ..
27- स्कूल शिक्षा	राजस्व ..

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है। उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

वर्ष 2013-14 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
(₹ हजार में)				
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	31,64,97,676	1,76,14,048	5,98,47,493	69,08,039
घटाइये—वसूलियों का जोड़	55,15,973	..	8,78,816	..
वित्त लेखे के 10—दत्तमत एवं भारित व्यय के विवरण में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	31,09,81,703	1,76,14,048	5,89,68,677	69,08,039

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट—I में दर्शाया गया है।

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान के अर्न्तगत हुआ :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

पूंजीगत :- अनुदान संख्या—06 एवं 60

(ख) प्रभारित विनियोग :-

राजस्व :- अनुदान संख्या—14 एवं 27

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अर्न्तगत हुई :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्व :- अनुदान संख्या—01, 02, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 64, 69, 71, 75,76,79, 80 एवं 82.

(ii) पूंजीगत :- अनुदान संख्या—01, 03, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13,18, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 53, 55, 58, 64, 66, 67, 68, 75, 76, 79, 80, 81 एवं 83.

(ख) प्रभारित विनियोग :-

(i) राजस्व :- अनुदान संख्या— 01, 03, 05, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 55, 64, 65, 67 एवं 79

(ii) पूंजीगत :- अनुदान संख्या—लोक ऋण, 11, 23, 24, 41 एवं 42.

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित की गए हैं।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन है जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक् रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे अयथार्थ कथन से मुक्त है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक :

स्थान : नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग		वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष –				
2048—ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन				
2049—ब्याज अदायगियां				
राजस्व:				
मूल	1,34,64,337			
पूरक	19,03,000	1,53,67,337	1,45,05,280	(-)8,62,057
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				8,13,606

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 8,620.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 8,136.06 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई ।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण-				
मूल	500.00			
पुनर्वि.	(-)15.50	484.50	..	(-)484.50

₹ 15.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2049-01-123-4854-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज-

मूल	54,000.00			
पुनर्वि.	(-)5,801.72	48,198.28	48,198.28	..

₹ 58,01.72 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर कम ब्याज भुगतान किए जाने (₹ 2,582.17 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 3,219.55 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज-

मूल	500.00			
पुनर्वि.	(-)500.00

(4) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज-

मूल	1,080.00			
पुनर्वि.	(-)1,080.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,080.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा- जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज- मूल 25,000.00 पुनर्वि. (-)1,139.38	23,860.62	23,860.62	..
(6) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज- मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)1,124.81	8,875.19	8,875.19	..
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत ₹ 1,139.38 लाख एवं ₹ 1,124.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2049-04-103-925-केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज- मूल 225.00 पुनर्वि. (-)225.00
₹ 225.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(8) 2049-60-701-4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)130.98	1,369.02	1,369.02	..
(9) 2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)- मूल 4,185.00 पुनर्वि. (-)50.46	4,134.54	4,134.54	..
(10) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज- मूल 625.00 पुनर्वि. (-)71.99	553.01	553.01	..
(11) 2049-60-701-990-क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्डस पर ब्याज- मूल 1,450.00 पुनर्वि. (-)115.10	1,334.90	1,334.90	..

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (11) के शीर्षान्तर्गत ₹ 130.98 लाख, ₹ 50.46 लाख, ₹ 71.99 लाख एवं ₹ 115.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9), 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (10) एवं 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से लिये गये ऋणों पर ब्याज- मूल 5,500.00 पुनर्वि. 464.17	5,964.17	5,964.17	..

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—समाप्त

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज—				
मूल	350.00			
पुनर्वि.	1,600.93	1,950.93	1,950.93	..
(3) 2049-03-104-95-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज—				
मूल	150.00			
पुनर्वि.	57.35	207.35	207.35	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत ₹ 464.17 लाख, ₹ 1,600.93 लाख एवं ₹ 57.35 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन बजट अनुमान प्रत्याशा से कम होने के कारण सूचित किया गया है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत तथा 2009-10 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

लोक ऋण
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूँजीगत	93,31,409	68,96,550	(-)24,34,859
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			24,34,859

टीका एवं टिप्पणियां
पूँजीगत:

(i) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003-103-8140-भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार-			
मूल 500.00			
पुनर्वि. (-)500.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।			
(2) 6003-105-3731-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कर्ज-			
मूल 15,000.00			
पुनर्वि. (-)5,581.98	9,418.02	9,418.02	..
₹ 5,581.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(3) 6003-110-637-उपाय तथा साधन अग्रिम-			
मूल 9,000.00			
पुनर्वि. (-)9,000.00
₹ 9,000.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत भारतीय रिजर्व बैंक से उपाय तथा साधन अग्रिम की मांग नहीं होने (₹ 81.75 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 8,918.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम-			
मूल 9,000.00			
पुनर्वि. (-)9,000.00
₹ 9,000.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 6003-111-5670-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां-			
मूल 24,230.00			
पुनर्वि. (-)104.50	24,125.50	24,125.50	..

शीर्ष	लोक ऋण-समाप्त			आधिक्य+ बचत(-)
	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)		
(6) 6004-02-101-3052-ब्लॉक कर्जे-				
मूल	5,500.00			
पुनर्वि.	(-)47.12	5,452.88	5,452.88	..

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत ₹ 104.50 लाख एवं ₹ 47.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(7) 6004-04-800-4838-मैक्रो मेनेजमेंट वर्किंग प्लान-				
मूल	196.00			
पुनर्वि.	(-)196.00

₹ 196.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
6004-04-800-9484-सेन्ट्रल पूल बटालियन-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	80.60	130.60	130.60

₹ 80.60 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013—मंत्री परिषद			
2015—निर्वाचन			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2055—पुलिस			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	11,99,679		
पूरक	78,453	12,78,132	9,98,316
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)2,79,816 2,11,336
प्रभारित—			
मूल	1,83,347		
पूरक	3,600	1,86,947	1,36,355
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)50,592 48,498
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,500		
पूरक	1,68,453	1,69,953	1,45,883
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)24,070 22,570
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 341.53 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 443.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 784.53 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 2,798.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 2,113.36 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं उपलब्ध विनियोग से व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।			

अनुदान संख्या 01—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2012-03-090-4330-सचिवालय-			
मूल	355.08		
पूरक	6.00		
पुनर्वि.	(-)106.70	254.38	(-)1.34
₹ 106.70 लाख की प्रत्याशित बचत वाहन क्य नहीं किए जाने (₹ 5.05 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 101.65 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(2) 2013-102-3282-मंत्रियों का वेतन-			
मूल	122.28		
पूरक	58.80	181.08	(-)53.62
(3) 2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-			
मूल	1,325.00		
पूरक	301.13	1,626.13	(-)157.57
(4) 2013-105-9939-मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान			
	364.00	292.09	(-)71.91
(5) 2015-101-6262-राज्य निर्वाचन आयोग	1,166.00	878.57	(-)287.43
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2052-090-4327-सचिवालय-			
मूल	4,340.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)1,417.47	3,022.53	(+)14.28
₹ 1,417.47 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,420.47 लाख की कमी एवं ₹ 3.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 236.39 लाख), मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹ 573.00 लाख), एवं वृद्धि यात्रा भत्ते में अधिक व्यय के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 611.08 की लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2052-091-458-आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय-			
मूल	756.55		
पुनर्वि.	(-)101.89	654.66	(-) 7.62
₹ 101.89 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(8) 2055-101-4544-सी.आई.डी.- (इकोनामिक अफेन्सेस)-			
मूल	357.70		
पुनर्वि.	(-)139.94	217.76	(-)0.14
₹ 139.94 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 126.30 लाख) एवं आर्थिक उपायों को अपनाने (₹ 7.74 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5.90 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2055-101-5461-एन्टी करप्शन ब्यूरो—			
मूल	405.45		
पुनर्वि.	(-119.89)	285.56	284.95
			(-)0.61
₹ 119.89 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 101.55 लाख), आर्थिक उपायों के अपनाने (₹ 1298 लाख), यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹ 5.17 लाख) एवं के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.19 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2070-104-5405-लोक आयोग—			
मूल	202.88		
पुनर्वि.	(-)62.87	140.01	139.17
			(-)0.84
₹ 62.87 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ लोक आयोग में रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2070-104-5460-विशेष अन्वेषण स्थापना (एस.आई.ई.)—			
मूल	89.53		
पुनर्वि.	(-)52.73	36.80	36.40
			(-)0.40
₹ 52.73 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ लोक आयोग के विशेष सर्तकता स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 3451-090-4327-सचिवालय—			
मूल	978.00		
पुनर्वि.	(-)188.80	789.20	787.61
			(-)1.59
₹ 188.80 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
<i>प्रभारित—</i>			
(iv) कुल व्यय मूल विनियोग से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 30.00 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 6.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 36.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(v) ₹ 505.92 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 484.98 लाख का अभ्यर्पण किया गया।			
(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2012-03-101-3708-राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते—			
मूल	13.40		
पुनर्वि.	(-)5.00	8.40	8.40
			..
₹ 5.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(2) 2012-03-105-1357-चिकित्सा सुविधाएं—			
मूल	8.00		
पुनर्वि.	(-)5.19	2.81	2.81
			..

अनुदान संख्या 01—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2012-03-107-8694-केन्द्रीय आवासों की साज सज्जा एवं मरम्मत—			
मूल	7.50		
पुनर्वि.	(-)5.08	2.42	2.42

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 5.19 लाख एवं ₹ 5.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(4) 2012-03-800-3609-अन्य व्यय—			
मूल	16.55		
पुनर्वि.	(-)12.55	4.00	3.99

₹ 12.55 लाख की प्रत्याशित बचत लोक निर्माण एवं विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग से निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2015-101-6262-राज्य निर्वाचन आयोग	26.10	..	(-)26.10
---------------------------------------	-------	----	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(6) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग—			
मूल	1,100.90		
पुनर्वि.	(-)336.63	764.27	766.98

₹ 336.63 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 208.86 लाख) एवं परीक्षाओं के कम आयोजन किए जाने (₹ 110.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 17.77 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 240.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 4485-सामान्य प्रशासन विभाग-भवन—			
पूरक	1,142.43		
पुनर्वि.	(-)40.71	1,101.72	941.72

₹ 40.71 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5918-सामान्य प्रशासन विभाग—			
पूरक	542.10		
पुनर्वि.	(-)184.99	357.11	517.11

₹ 184.99 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—		
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं		
2053—जिला प्रशासन		
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
2075—विविध सामान्य सेवाएं		
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं		

राजस्व:

मूल	1,83,544		
पूरक	20,081	2,03,625	1,70,787
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)32,838 44,858

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2013 (₹ 140.01 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 60.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 200.81 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 328.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 448.58 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-092-6705-राज्य सूचना आयोग-			
मूल	251.94		
पुनर्वि.	(-)75.03	176.91	177.04
			+0.13

₹ 75.03 लाख की प्रत्याशित बचत नियमित कर्मचारियों की संख्या में कमी (₹ 11.33 लाख), दौरे में कमी (₹ 8.18 लाख) एवं अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 2.26 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 53.26 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2070-800-4678-स्वागत तथा सामपत्तिक

पदाधिकारी का कार्यालय-

मूल	125.60		
पूरक	6.00	131.60	107.86
			(-)23.74

बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(3) 2070-800-5079-विशेष जांच आयोग-

मूल	58.00		
पूरक	40.01		
पुनर्वि.	(-)73.45	24.56	30.00
			+5.44

₹ 73.45 लाख की प्रत्याशित बचत विशेष न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष के वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02 समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-174.42)	125.58	5.44
			(-120.14)

₹ 174.42 लाख की प्रत्याशित बचत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-800-1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता-			
मूल	150.00		
पूरक	150.00	300.00	316.00
			+16.00

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2235-60-800-7297-लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-121.72)	578.28	833.43
			+255.15

₹ 121.72 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ मीसा बंदियों द्वारा पेंशन प्राप्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 03-पुलिस

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-		
2055-पुलिस		
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		
राजस्व :		
दत्तमत-		
मूल	2,07,69,242	
पूरक	12,30,075	2,19,99,317
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		2,06,64,935
		(-)13,34,382
		14,48,616
प्रभारित-		
मूल	3,100	
पूरक	55,000	58,100
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		5,364
		(-)52,736
		600
पूंजीगत :		
दत्तमत	4,62,500	3,50,787
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		(-)1,11,713
		1,11,713
टीका एवं टिप्पणियां		

राजस्व:
दत्तमत-

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2013 (₹ 3,135.38 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 9,165.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,300.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 13,343.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 14,486.16 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2055-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना-सामान्य- 8917-काउन्टर इंसरजेंसी एण्ड एन्टी टेरोरिस्ट स्कूल-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(2) 2055-101-279-अभियोजन संचालनालय-			
मूल	1,400.05		
पुनर्वि.	(-)369.43	1,030.62	1,007.25
₹ 369.43 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			(-)23.37
2010-11 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)-			
मूल	61,211.50		
पूरक	960.00		
पुनर्वि.	(-)4,094.45	58,077.06	57,061.42
			(-)1,015.63
₹ 4,094.45 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 4,233.45 लाख की कमी एवं ₹ 139.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में कमी लंबित देयकों के भुगतान (₹ 40.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। ₹ 4,193.45 लाख की कमी के पर्याप्त एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2055-108-5067-विधि चिकित्सा विज्ञान	568.05	200.49	(-)367.56
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2055-109-121-केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती-			
मूल	550.00		
पुनर्वि.	(-)478.41	71.59	71.59
			..
₹ 478.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)-			
मूल	1,04,368.26		
पूरक	4,671.00		
पुनर्वि.	(-)4,210.42	1,04,828.84	1,05,402.00
			+573.16
₹ 4,210.42 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,300.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6,510.42 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान (₹ 200.00 लाख), निर्वाचन संबंधी व्यय (₹ 1,300.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 800.00 लाख की वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2055-111-2531-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस-पूर्वी विभाग)-			
मूल	2,295.15		
पुनर्वि.	(-)521.09	1,774.06	1,754.71
			(-)19.35
₹ 521.09 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 541.09 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2055-113-7244-बीमा विकल्प अनुदान-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)411.90	588.10	588.10
			..
₹ 411.90 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 511.90 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में वृद्धि नक्सल घटना में शहीद परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2055-114-4155-बेतार केन्द्र रायपुर-			
मूल	2,729.12		
पुनर्वि.	(-)586.00	2,143.12	2,109.06
			(-)34.06
₹ 586.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2055—115—2643—पुलिस बल का आधुनिकीकरण—			
मूल	2,500.00		
पूरक	1,652.00		
पुनर्वि.	(-)648.80	3,503.20	3,503.20
			..
₹ 648.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007—08 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2055—800—7012—पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण—			
मूल	2.80		
पूरक	157.50		
पुनर्वि.	(-)75.81	84.49	64.86
			(-)19.63
₹ 75.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009—10 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2070—107—2710—प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय—			
मूल	2,144.48		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)923.98	1,270.50	1,288.01
			+17.51
₹ 923.98 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 25.58 लाख की वृद्धि एवं ₹ 949.56 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में वृद्धि नये वाहन के क्रय एवं विद्युत दरों में वृद्धि (₹ 19.88 लाख) एवं कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5.70 लाख की वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009—10 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2070—107—492—आव्हान पर होने वाला व्यय—			
मूल	10,961.10		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,229.92	9,731.18	9,782.77
			+51.59
₹ 1,229.92 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 332.50 लाख), मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 8,73.61 लाख) तथा चिकित्सा दावों के प्राप्त न होने (₹ 21.45 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष 2.36 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(14) 2070—107—5544—होमगार्ड बल का आधुनिकीकरण—			
मूल	190.00		
पुनर्वि.	(-)190.00
			..
₹ 190.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत होम गार्ड के लिए निधि की स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2004—05 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2055-001-3680-राज्य मुख्यालय-			
मूल	3,957.75		
पूरक	368.88		
पुनर्वि.	(-387.70)	3,938.93	4,702.98
			+764.05

₹ 387.70 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 93.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 480.70 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में वृद्धि विद्युत देयक (₹ 13.00 लाख), दूरभाष देयक (₹ 8.00 लाख), यात्रा देयक (₹ 32.00 लाख) एवं चिकित्सा देयकों (₹ 40.00 लाख) के भुगतान हेतु सूचित की गई है। कमी कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं-				
मूल	2,488.35			
पूरक	20.00			
पुनर्वि.	(-)6.97	2,501.38	3,254.49	+753.11

₹ 6.97 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 36.97 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में वृद्धि विद्युत देयकों के भुगतान एवं प्रशिक्षण सामग्री के क्रय किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2055-109-6717-प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय-				
मूल	6,050.00			
पूरक	3,478.00			
पुनर्वि.	(-)13.77	9,514.23	9,983.36	+469.13

₹ 13.77 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 400.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 413.77 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में वृद्धि सी. आर. पी. एफ. के नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत निर्माण कार्यों के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

प्रभारित-

(v) ₹ 527.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 6.00 लाख का अभ्यर्पण त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन एवं बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2055-109-4491-सामान्य व्यय- (जिला स्थापना) -			
मूल	25.00		
पूरक	550.00	575.00	53.64
			(-)521.36

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 03—समाप्त

पूँजीगत :
दत्तमत—

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4055-208-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2629-पुलिस-			
मूल	4,625.00		
पुनर्वि.	(-),1,117.13	3,507.87	3,507.87
			..

₹ 1,117.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2013—मंत्री परिषद्

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

राजस्व:

दत्तमत—

मूल 1,78,648

पूरक 19,467

1,98,115

1,54,251

(-) 43,864

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

27,045

(31 मार्च 2014)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 39.97 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 154.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 194.67 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 438.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 270.45 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2070—106—0801—7465—रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेंस—			
मूल	90.75		
पूरक	34.97		
पुनर्वि.	(-)118.13	7.59	7.59

₹ 118.13 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2235—60—200—3700—राज्य सैनिक बोर्ड—

मूल 68.08

पुनर्वि. (-)25.68

42.40

42.36

(-)0.04

₹ 25.68 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, देयकों के प्राप्त न होने एवं कार्यों का निष्पादन न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)

(3) 2235—60—200—6704—जनजागरण

अभियान—

मूल 500.00

पुनर्वि. (-)217.91

282.09

100.00

(-)182.09

₹ 217.91 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014) 2009—10 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड-			
मूल	381.35		
पुनर्वि.	(-)94.54	286.81	286.48
			(-)0.33

₹ 94.54 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, हितग्राहियों की मृत्यु हो जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014) 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-200-9261-अन्य व्यय-			
मूल	100.00		
पूरक	150.00		
पुनर्वि.	112.91	362.91	334.48
			(-)28.43

₹ 112.91 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन भवनों के लघु निर्माण कार्यों के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)

(2) 2235-60-200-2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान सहायक अनुदान	500.00	590.09	+90.09
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

(3) 2235-60-200-7495-अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	105.00	205.00	153.02
			(-)51.98

₹ 105.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अपराध प्रभावितों को क्षति पूर्ति के कारण सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 05—जेल

शीर्ष	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ हजार में)			
मुख्य शीर्ष—			
2056—जेल			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	8,68,901		
पूरक	60,452	9,29,353	7,64,735
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,64,618 1,65,405

(31 मार्च 2014)

प्रभारित	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			10

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :
दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2013 (₹ 4.51 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 600.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 604.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ है।

(ii) ₹ 1,646.18 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को किया ₹ 1654.05 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ लाख में)			
(1) 2056-001-2272-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	233.81		
पुनर्वि.	(-)85.99	147.82	138.46
			(-)9.36

₹ 85.99 लाख की प्रत्याशित बचत पुलिस महानिरीक्षक की पदस्थपना न होने एवं उप महानिरीक्षक जेल के वेतन एवं भत्तों का आहरण नगर सेना कार्यालय से किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 2056-101-938-केन्द्रीय एवं
जिला जेलें—

मूल	8,055.20		
पूरक	604.51		
पुनर्वि.	(-)1,568.05	7,091.66	7,108.90
			(+)17.24

₹ 1,568.05 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने से रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

मुख्य शीर्ष—	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2049—ब्याज अदायगियां			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम			
2885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,60,80,937		
पूरक	2,90,000	2,63,70,937	2,80,58,827
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			5,22,643
<i>प्रभारित</i>	<i>1,560</i>	<i>6,536</i>	<i>+4,976</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)</i>			<i>50</i>
पूंजीगत			
दत्तमत	1	52,999	+52,998
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			1
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 1,68,78,90,071 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 16,878.90 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को ₹ 5,226.43 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-101-2413-सेवानिवृत्त वेतन भोगियों को देय	1,36,805.10	1,68,045.17	+31,240.07
(2) 2071-01-102-3080-भारत में पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	257.60	645.18	+387.58
(3) 2071-01-105-2514-परिवार पेंशन	38,778.19	48,232.99	+9,454.80
(4) 2071-01-111-4010-विधायकों को पेंशन	300.00	366.08	+66.08

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	20.00	225.50	+205.50

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2047-103-9120-संचालन-			
मूल	112.75		
पुनर्वि.	(-)58.29	54.46	66.00
			+11.54

₹ 58.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 2049-60-701-4198-शासकीय समूह बीमा योजना- (बचत निधि पर ब्याज)			
पूरक	400.00	400.00	..
			(-)400.00

(3) 2052-091-5338-राज्य वित्त आयोग	50.00	..	(-)50.00
------------------------------------	-------	----	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(4) 2052-091-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	67.00		
पुनर्वि.	(-)59.59	7.41	7.41
			..

₹ 59.59 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 58.59 लाख) एवं निधियों की मांग नहीं होने (₹ 1.00लाख) के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2054-095-2274-निर्देशन और प्रशासन-			
मूल	1,136.40		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)319.37	817.03	813.83
			(-)3.20

₹ 319.37 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 18.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 337.37 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि मजदूरी का भुगतान किए जाने (₹ 2.00 लाख) एवं कमी वार्षिक अनुरक्षण संविदा पूर्ण नहीं होने (₹ 20.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 16.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 317.37 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2054-095-4307-संभागीय स्थापना-			
मूल	481.40		
पुनर्वि.	(-)147.76	333.64	334.03
			+0.39

₹ 147.76 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 149.76 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि मजदूरी का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2054-095-8904-ऑडिट सेल का गठन—			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00
₹ 250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(8) 2054-097-1026-कोषालय स्थापना—			
मूल	2,134.50		
पुनर्वि.	(-)290.53	1,843.97	1,820.55
			(-)23.42
₹ 290.53 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 320.53 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि एवं कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2054-098-4361-स्थानीय निधि लेखा—			
मूल	1,684.30		
पुनर्वि.	(-)672.13	1,012.17	996.36
			(-)15.81
₹ 672.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2071-01-104-4590-सेवा एवं मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान	38,200.02	28,098.95	(-)10,101.07
(11) 2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	18,956.93	10,285.72	(-)8,671.21
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2071-01-117-6801-राज्य शासन का अंशदान—			
मूल	14,500.00		
पूरक	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)141.59	16,858.41	16,858.41
			..
₹ 141.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(13) 2435-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु ब्याज अनुदान—			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,611.60	1,388.40	1,388.40
			..
₹ 2,611.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2435-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8671-लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 06—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2885—60—190—4843—अधोसंरचना विकास निगम—			
मूल	530.00		
पुनर्वि.	(-)-500.00	30.00	30.00

₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(v) विनियोग से हुए ₹ 49,760.90 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) ₹ 49.76 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 50.00 का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) विनियोग में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2071—01—106—600—निवृत्त न्यायालयों के न्यायधीशों के देयक	15.10	65.36	+50.26

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(viii) दत्तमत प्रावधान से हुए ₹ 5,29,98,344 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ix) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
7810—122—5675—मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य अन्तरराज्यीय समायोजन	..	529.99	+529.99

अंतिम आधिक्य मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य राशि को समायोजित करने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष-			
2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039-राज्य उत्पाद शुल्क			
2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	16,05,681		
पूरक	544	16,06,225	14,60,537
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)1,45,688 2,49,299
प्रभारित	8,00,355	8,00,269	(-)86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			86
टीका एवं टिप्पणियां			

पूंजीगत :

दत्तमत	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			

राजस्व :

दत्तमत-

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 5.44 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,456.88 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 2,492.99 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-02-102-2455-न्यायिकेतर स्टॉम्प की बिक्री पर व्यय	850.00	429.38	(-)420.62
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(2) 2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	3,294.25		
पुनर्वि.	(-)153.56	3,140.69	3,235.43
			(+)94.74
₹ 153.56 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(3) 2039-102-1111-अबकारी सामग्री की खरीद-			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)304.14	45.86	45.86
			..

₹ 304.14 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2039-102-8629—नये सिनेमा घर/मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर को प्रोत्साहन— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00

₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2040-001-3569—मुख्यालय स्थापना व्यय— मूल 862.60 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)235.37	627.23	618.00	(-)9.23
---	--------	--------	---------

₹ 235.37 लाख की प्रत्याशित बचत "उपभोक्ता जागरूकता पुरस्कार योजना" का क्रियान्वयन न होने एवं विभागीय स्तर पर सम्मेलन आहूत नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2040-101-1509—जिला स्थापना— मूल 4,257.55 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)746.36	3,511.19	3,458.69	(-)52.50
--	----------	----------	----------

₹ 746.36 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-01-001-6003—मुख्यालय स्थापना— मूल 138.00 पुनर्वि. (-)43.33	94.67	162.41	(+)67.74

₹ 43.33 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 38.93 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 4.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 2030-02-101-2456—न्यायिकेतर स्टाम्पों की लागत— मूल 525.00 पुनर्वि. (-)49.61	475.39	1,343.23	(+)867.84
---	--------	----------	-----------

₹ 49.61 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2030-03-001-1480—जिला प्रभार— मूल 1,002.85 पूरक 5.44 पुनर्वि. (-)214.42	793.87	1,238.13	(+)444.26
--	--------	----------	-----------

₹ 214.42 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 186.65 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 27.77 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 07—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2039—800—4034—विभागीय मदिरा दुकानों को संचालन—			
मूल	17.45		
पुनर्वि.	352.32	369.77	369.68
			+0.09

₹ 352.32 लाख का पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 600.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 247.68 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि मदिरा दुकानों का आबंटन न होने से राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 0.10 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2029—भू—राजस्व			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
2216—आवास			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	56,66,905		
पूरक	7,870	56,74,775	44,14,750
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)12,60,025 12,14,196
<i>प्रभारित</i>			
मूल	526		
पूरक	545	1,071	1,044
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)27 27
पूँजीगत:			
दत्तमत		2,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)2,000 2,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 43.70 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 35.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 78.70 लाख का अनुपूरक अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 12,600.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 12,141.96 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2029-001-456-आयुक्त, भू अभिलेख तथा बन्दोबस्त का कार्यालय—			
मूल	356.03		
पुनर्वि.	(-)51.03	305.00	292.66
			(-)12.34

₹ 51.03 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण न दिए जाने एवं मरम्मत में कम व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एव 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2029-102-2503-परिमाण, व्यवस्थापना तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य— मूल 439.30 पुनर्वि. (-)82.30	357.00	337.30	(-)19.70
₹ 82.30 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2029-102-3132-भू-सुधार कार्यालय— मूल 256.50 पुनर्वि. (-)74.80	181.70	186.65	+4.95
(4) 2029-103-1472-जिला खर्च— मूल 12,236.88 पुनर्वि. (-)432.76	11,804.12	12,083.37	+279.25
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 74.80 लाख एवं ₹ 432.76 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलाधीशों के द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2029-103-3150-भूमि सर्वेक्षण— मूल 180.83 पुनर्वि. (-)20.13	160.70	136.70	(-)24.00
₹ 20.13 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2029-103-8910-पर्यावरण निधि से व्यय— मूल 4,500.00 पुनर्वि. (-)4,500.00
(7) 2029-103-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय— मूल 4,500.00 पुनर्वि. (-)4,500.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 4,500.00 लाख एवं ₹ 4,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(8) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5917-भू-अमिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार— मूल 149.58 पुनर्वि. (-)46.04	103.54	103.53	(-)0.01
₹ 46.04 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 9981-लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मनदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय— मूल 53.50 पुनर्वि. (-)46.05	7.45	7.29	(-)0.16

अनुदान संख्या 08—जारी

₹ 46.05 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2029-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6337—भू-अभिलेख का अद्यतिकरण—			
मूल	2,346.99		
पुनर्वि.	(-)1,403.49	943.50	741.69
			(-)201.81

₹ 1,403.49 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2029-797-6753—पर्यावरण निधि का अन्तरण—			
मूल	6,500.00		
पुनर्वि.	(-)4,235.95	2,264.05	2,264.05
			..

₹ 4,235.95 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2052-099-3657—राजस्व बोर्ड—			
मूल	359.00		
पुनर्वि.	(-)189.85	169.15	168.97
			(-)0.18

₹ 189.85 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने दावा प्राप्त न होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2053-093-1510—जिला स्थापना—			
मूल	16,890.70		
पूरक	43.70		
पुनर्वि.	(-)735.50	16,198.90	15,873.66
			(-)325.24

₹ 735.50 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2216-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7298—नक्सल प्रभावित परिवारों के लिये आवास योजना—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00
			..

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2029-797-6754—अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण—			
मूल	6,500.00		
पुनर्वि.	4,235.95	10,735.95	10,735.95
			..

₹ 4,235.95 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 08—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 20.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
6401-800-862-कृषक ऋण विधान—			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	(-)20.00

₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,03,122		
पूरक	11,300	1,14,422	83,022
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)31,400 9,878
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	10	..	(-)10 10
पूंजीगत:			
दत्तमत	400	..	(-)400
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 113.00 लाख का अनुपूरक अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को इंगित करता है।

(ii) ₹ 314.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 98.78 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2058-001-2286—नियंत्रक,शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय—			
मूल	67.76		
पुनर्वि.	(-)23.61	44.15	31.14
			(-)13.01
₹ 23.61 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 20.00 लाख), चिकित्सा दावे प्राप्त न होने (₹ 1.80 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 1.50 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.31 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2058-102-2820—फार्म का मुद्रण, भण्डारण और वितरण—			
मूल	626.34		
पूरक	113.00		
पुनर्वि.	(-)13.24	726.10	553.10
			(-)173.00

₹ 13.24 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 6.00 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 5.80 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1.44 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2058-102-5659-शासकीय प्रेस रायपुर-			
मूल	224.92		
पुनर्वि.	(-60.88	164.04	155.18
			(-8.86

₹ 60.88 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 35.13 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 15.50 लाख) एवं मशीन क्रय नहीं किए जाने (₹ 1.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 9.25 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) ₹ 4.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है। 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 10-वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-			
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी			
4406-वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	73,05,746		
पूरक	19,900	73,25,646	65,94,780
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)7,30,866 6,89,875
प्रभारित-			
मूल	2,24,030		
पूरक	8,500	2,32,530	2,30,683
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)1,847 1,500
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
	2,00,000	97,387	(-)1,02,613
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			1,02,858
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत-			
(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 112.40 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 86.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 199.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 7,308.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 6,898.75 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय-			
मूल	1,360.03		
पुनर्वि	(-)236.51	1,123.52	1,096.15
(2) 2406-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 2723-प्रशासन सुदृढीकरण			
मूल	95.00		
पुनर्वि	(-)40.00	55.00	48.80
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 236.51 लाख एवं ₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2406-01-003-4462-वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन-			
मूल	204.02		
पुनर्वि	(-)44.99	159.03	149.99
			(-)9.04

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2406-01-101-2786—प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)— मूल 892.60 पुनर्वि. (-)61.55	831.05	816.03	(-)15.02
(5) 2406-01-101-3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस— मूल 2,298.11 पुनर्वि. (-)162.90	2,135.21	2,080.88	(-)54.33
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 44.99 लाख, ₹ 61.55 लाख एवं ₹ 162.90 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(6) 2406-01-101-3877—क्षेत्रीय वन मण्डल— मूल 29,433.36 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)4,527.17	24,906.19	25,672.64	+765.45
₹ 4,527.17 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(7) 2406-01-101-812—कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना— मूल 828.71 पुनर्वि. (-)232.99	595.72	570.34	(-)25.38
(8) 2406-01-101-813—कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य— मूल 317.45 पुनर्वि. (-)40.86	276.59	240.15	(-)36.44
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 232.99 लाख एवं ₹ 40.86 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014) । 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(9) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6827—भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य— 1,900.00	1,833.59		(-)66.41
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(10) 2406-01-102-4475—सामाजिक वानिकी— पूरक 1,193.60 पुनर्वि. (-)356.00	837.60	843.15	+5.15
₹ 356.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(11) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6724—बांस वनों का पुनरोद्धार— मूल 1,600.00 पुनर्वि. (-)51.00	1,549.00	1,537.92	(-)11.08
₹ 51.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2406-01-203-535—इमारती लकड़ी	7,775.00	7,558.02	(-)216.98
(13) 2406-01-204-2901—बांस	1,465.00	1,256.34	(-)208.66
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2406-01-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 792—कर्मचारी कल्याण योजना— मूल 140.00 पुनर्वि. (-)56.00	84.00	80.14	(-)3.86
₹ 56.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(15) 2406-02-070-4349—सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरस्ती—	100.00	..	(-)100.00
(16) 2406-02-070-6218—भवनों की मरम्मत—	110.00	..	(-)110.00
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2406-02-110-2899—राष्ट्रीय उद्यान— मूल 836.10 पुनर्वि. (-)10.00	826.10	725.67	(-)100.43
(18) 2406-02-110-2900—अभ्यारण क्षेत्र— मूल 1,758.60 पुनर्वि. (-)215.00	1,543.60	1,499.91	(-)43.69
उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 10.00 लाख एवं ₹ 215.00 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों के कम भुगतान के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2406-02-110-3896—वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति— मूल 650.00 पुनर्वि. (-)70.00	580.00	506.78	(-)73.22
₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत क्षतिपूर्ति के लिए कम भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(20) 2406-02-110-8644—वन्य प्राणी वन वृत्तों की स्थापना—	224.10	179.36	(-)44.74
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(21) 2406-02-110-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5502—प्रोजेक्ट एलीफेन्ट— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)204.57	45.43	45.43	..

₹ 204.57 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)596.37	403.63	450.88
			(-)47.25

₹ 596.37 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राज्यांश राशि कम प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं की गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2406-02-800-6885—प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना—	208.35	160.77	(-)47.58
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा मुख्यतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-070-4349—सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरुस्ती	440.00	533.78	+93.78
(2) 2406-01-070-6218—भवनों की मरम्मत	845.00	938.84	+93.84

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2406-02-111-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6540—चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन—			
मूल	727.20		
पुनर्वि.	60.00	787.20	762.92
			(-)24.28

₹ 60.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 100.00 की वृद्धि एवं ₹ 40.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि नंदन वन पेंडारी कानन चिड़िया घर में रखे गए वन जीवों के लिए पानी एवं खाने में अधिक व्यय के कारण तथा कमी वेतन एवं भत्तों के कम भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

प्रभारित—

(v) ₹ 2,306.83 लाख वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया (₹ 60.00 लाख) अनुपूरक अपर्याप्त रहा वहीं जनवरी 2014 (₹ 25.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 85.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था।

(vi) ₹ 18.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 15.00 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2406-01-001-3555—मुख्यालय—			
मूल	40.00		
पूरक	85.00		
पुनर्वि.	(-)15.00	110.00	106.83
			(-)3.17

अनुदान संख्या 10—समाप्त

₹ 15.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुरस्कार के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) ₹ 1,026.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 1,028.58 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ix) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4406-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5538-एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)976.93	523.07	509.00
			(-)14.07

₹ 976.93 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2230—श्रम एवं रोजगार			
2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	9,56,424		
पूरक	1,53,600	11,10,024	8,48,847
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)2,61,177 2,84,186
प्रभारित	35	..	(-)35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			35
पूंजीगत :			
दत्तमत	4,28,000	73,261	(-)3,54,739
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			3,54,739
प्रभारित	1,500	..	(-)1,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			1,500
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 1,536.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 2,611.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 2,841.86 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान—			
मूल	3,800.00		
पुनर्वि.	(-)571.93	3,228.07	3,422.94
			+194.87

₹ 571.93 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2851-200-1464-जिला औद्योगिक केन्द्र-			
मूल	1,915.70		
पुनर्वि.	(-)665.91	1,249.79	1,284.75
			+34.95
₹ 665.91 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2852-80-001-3370-संचालनालय उद्योग-			
मूल	556.30		
पुनर्वि.	(-)135.72	420.58	419.68
			(-)0.90
₹ 135.72 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2852-80-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
8890-खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान-			
पूरक	1,436.00		
पुनर्वि.	(-)798.00	638.00	638.00
			..
(5) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5385-नए औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)683.78	816.22	816.22
			..
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 798.00 लाख एवं ₹ 683.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(6) 2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5520-छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल			
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00
			..
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(7) 2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
8928-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना-			
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)81.48	18.52	18.52
			..
₹ 81.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
9068-औद्योगिक इकाइयों को			
लागत पूंजी अनुदान-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	358.53	1,058.53	1,078.83
			+20.29
₹ 358.53 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन निधि में ₹ 0.01 लाख की वृद्धि एवं ₹ 358.54 लाख की कमी निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 11—समाप्त

प्रभारित—

(v) ₹ 0.35 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2012—13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य) — 6742—औद्योगिक पार्को के लिए अनुदान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00
(2) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9219— भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,000.00 लाख एवं ₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(3) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9232—औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में सड़क, नालियां आदि का निर्माण— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)967.39	532.61	532.61	..
(4) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9233—औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में जल प्रदाय— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)500.00	200.00	200.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 967.39 लाख एवं ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012—13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

प्रभारित—

(vii) ₹ 15.00 लाख सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2801—बिजली			
2810—नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	37,64,529		
पूरक	1,25,000	38,89,529	39,31,645
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			+42,116
			1,58,094
<i>प्रभारित</i>	<i>18,00,010</i>	<i>11,70,000</i>	<i>(-)6,30,010</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>..</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	43,50,000		
पूरक	2,20,000	45,70,000	2,20,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)43,50,000
			43,50,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) अनुदान से हुए ₹ 4,21,15,872 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 421.16 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को ₹ 1,580.94 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक तथा अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
2801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7305-5 एच.पी. के कृषि पम्पों को			
निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान-			
मूल	16,111.00		
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	1,628.00	18,739.00	20,739.00
			+2,000.00

₹ 1,628.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन सामान्य श्रेणी के सिंचाई पंपों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 12-जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2045-103-4281-संग्रह प्रभार बिजली शुल्क-			
मूल	745.73		
पुनर्वि.	(-)183.18	562.55	564.65
			+2.10

₹ 183.18 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2501-04-101-0410-उर्जा विकास निधि (सामान्य)- 3220-छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान-			
मूल	1,138.00		
पुनर्वि.	(-)788.00	350.00	350.00
			..

₹ 788.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2801-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6825-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युती योजना हेतु-			
मूल	1,250.00		
पुनर्वि.	(-)688.00	562.00	562.00
			..

₹ 688.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(4) 2801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6501-एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान-			
मूल	3,918.30		
पूरक	250.00		
पुनर्वि.	(-)940.00	3,228.30	3,228.30
			..

₹ 940.00 लाख की प्रत्याशित बचत सामान्य वर्ग के कम एकल बत्ती कनेक्शन होने के कारण सूचित की गई है।

(5) 2810-60-600-0410-उर्जा विकास निधि (सामान्य)- 3220-छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान-			
मूल	1,165.15		
पुनर्वि.	(-)565.15	600.00	600.00
			..

₹ 565.15 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं देने के कारण सूचित की गई है।

प्रभारित-

(v) ₹ 6,300.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2045-797-3218-उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण	18,000.00	11,700.00	(-)6,300.00

अनुदान संख्या 12—समाप्त

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) ₹ 2,200.00 लाख की वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 2,200.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण कम्पनी-			
मूल	43,500.00		
पुनर्वि.	(-43,500.00

₹ 43,500.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(ix) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि :-

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर "राजस्व शीर्ष" 0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क-800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2013 को प्रारम्भिक शेष ₹ 6,992.72 लाख नामें था। वर्ष के दौरान ₹ 11,700.00 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2045-797-3218 उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 15,310.00 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2014 को ₹ 3,382.72 लाख की शेष राशि निधि में नामें थी।

इस निधि के लेन-देन "मुख्य शीर्ष-8229-विकास एवं कल्याण निधि-110-ऊर्जा विकास निधि" में सम्मिलित है जिसका लेखा वित्त लेखे 2013-14 के "18-आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण" में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13-कृषि

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
-----------------------------	------------------	-------------------

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष-

2401-फसल कृषि-कर्म

2402-मृदा तथा जल संरक्षण

4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

6401-फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत-

मूल 70,55,730

पूरक 2,00,000

72,55,730

55,18,751

(-)17,36,979

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

17,59,817

(31 मार्च 2014)

प्रभारित

950

271

(-)679

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

679

(31 मार्च 2014)

पूंजीगत :

दत्तमत-

मूल 20,02,000

पूरक 1,00,000

21,02,000

8,52,678

(-)12,49,322

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

12,50,006

(31 मार्च 2014)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था अतः जुलाई 2013 (₹ 1,850.00 लाख) तथा जनवरी 2014 (₹ 150.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 17,369.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 17,598.17 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-			
5411-आइसोपॉम विकास योजना-			
मूल	904.00		
पुनर्वि.	(-)289.35	614.65	615.07
			+0.42
₹ 289.35 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि जारी किये जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम अधिव्यय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(2) 2401-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6820-कृषक समग्र विकास योजना-			
मूल	2,250.00		
पुनर्वि.	(-)46.77	2,203.23	2,190.78
			(-)12.45

अनुदान संख्या 13—जारी

₹ 46.77 लाख की प्रत्याशित बचत कृषक समग्र विकास योजना अन्तर्गत भौतिक प्रगति के अनुसार सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2401-105-7283-छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)447.47	752.53	752.53	..
₹ 447.47 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8900-जैविक खेती मिशन— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)102.39	47.61	47.61	..
₹ 102.39 लाख की प्रत्याशित बचत जैविक प्रकोष्ठ स्थापना का गठन एवं समय पर जिलों का चयन नहीं किये जाने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 2401-108-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 18,000.00 पुनर्वि. (-)7,340.59	10,659.41	10,652.52	(-)6.89
(6) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 4838-मैक्रो मेनेजमेंट वर्किंग प्लान— मूल 1,250.00 पुनर्वि. (-)1,157.28	92.72	92.72	..
(7) 2401-109-5278-राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना— मूल 120.24 पुनर्वि. (-)70.76	49.48	49.07	(-)0.41
(8) 2401-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8541-धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन— मूल 1,198.00 पुनर्वि. (-)442.36	755.64	766.89	+11.25
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 7,340.59 लाख, ₹ 1,157.28 लाख ₹ 70.76 लाख एवं ₹ 442.36 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2401-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8702-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना— (कार्पस ऑफ फंड) प्रोत्साहन योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)274.35	225.65	225.65	..
(10) 2401-113-6929-सहायक यंत्री कार्यालय— मूल 374.20 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)48.68	325.52	317.49	(-)8.03

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2401-113-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 5494-किसानों के खेत पर नवविकसित कृषि उपकरणों (उद्यानिकी उपकरणों सहित) का प्रदर्शन-			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	(-)48.86	21.14	18.34
			(-)2.80
(12) 2401-113-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7333-पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी कृषि यंत्रों का प्रचार प्रसार-			
मूल	145.00		
पुनर्वि.	(-)95.95	49.05	49.05
			..
उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (12) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 274.35 लाख, ₹ 48.68 लाख, ₹ 48.86 लाख एवं ₹ 95.95 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(13) 2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8906-कृषि उद्यमियों को ब्याज अनुदान-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
			..
₹ 100.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(14) 2401-119-6788-संचालनालय उद्यानिकी-			
मूल	193.84		
पुनर्वि.	(-)59.97	133.87	133.56
			(-)0.31
₹ 59.97 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(15) 2401-119-9188-उद्यान विकास योजना-			
मूल	3,030.75		
पुनर्वि.	(-)178.45	2,852.30	2,845.66
			(-)6.64
₹ 178.45 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(16) 2401-119-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,404.73	1,595.27	1,595.27
			..
(17) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2794-स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान-			
मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)1,099.00	201.00	201.00
			..
(18) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6831-राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना हेतु राज्यांश-			
मूल	1,225.00		
पुनर्वि.	(-)242.73	982.27	982.27
			..

अनुदान संख्या 13—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 5,404.73 लाख, ₹ 1,099.00 लाख एवं ₹ 242.73 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत एवं 2006-07 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8901-टिशु कल्चर लैब की स्थापना-			
मूल	143.75		
पुनर्वि.	(-)143.75
₹ 143.75 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(20) 2402-101-8351-विस्तृत मृदा सर्वेक्षण-			
मूल	276.65		
पुनर्वि.	(-)47.60	229.05	220.33 (-)8.72
(21) 2402-102-3143-भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजना-			
मूल	2,908.95		
पुनर्वि.	(-)551.52	2,357.43	1,930.30 (-)427.13

उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 47.60 लाख एवं ₹ 551.52 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत एवं 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2402-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6833-भू-जल संवर्धन-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)52.74	147.26	147.41 +0.15

₹ 52.74 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर कृषकों द्वारा खनित नलकूपों का जल संवर्धन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा मुख्यतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-001-119-अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)-			
मूल	14,928.50		
पुनर्वि.	(-)86.20	14,842.30	15,515.89 +673.59
₹ 86.20 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(2) 2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5629-राज्य में कृषि सुधार हेतु विकास कार्यक्रम-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	69.71	319.71	319.71 ..

अनुदान संख्या 13—समाप्त

₹ 69.71 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 77.22 लाख की वृद्धि तथा ₹ 7.51 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में वृद्धि राज्यांश की पूर्ति कम बजट प्रावधान के कारण सूचित की गए हैं तथा कमी लंबित देयकों का निराकरण नहीं किए जाने के सूचित की गई है।।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2401-110-0101-राज्य आयोजना-(सामान्य)- 7293-मौसम आधारित फसल बीमा योजना (कॉपर्स फण्ड)- मूल 500.00 पुनर्वि. 981.97	1,481.97	1,481.97	..

₹ 981.97 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 982.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.03 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में वृद्धि मौसम आधारित कृषि बीमा योजना के अंतर्गत राज्यांश का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 1,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 12,493.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 12,500.06 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7283-छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता- मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)11,500.00	8,500.00	8,500.00	..

₹ 11,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 6401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8936-ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को ऋण अनुदान- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00
--	----	----	----

₹ 1,000.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत बजट में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण राशि के उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2403—पशुपालन			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	28,38,920		
पूरक	1,00,856	29,39,776	22,34,399
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)7,05,377
<i>प्रभारित</i>	<i>20</i>	<i>60</i>	<i>+40</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>..</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 492.50 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 516.06 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,008.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 7,053.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2403-001-1468—जिला एवं संभागीय स्तर	1,867.45	1,601.23	(-)266.22
(2) 2403-101-2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय	10,871.00	9,672.73	(-)1,198.27
(3) 2403-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय—			
मूल	987.00		
पूरक	सांकेतिक	987.00	596.72
			(-)390.28
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान संख्या (2) एवं 2007-08 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2403-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8898—राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	175.00	225.00	46.75
			(-)178.25
₹ 1,75.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन हितग्राहियों की मांग की पूर्ति हेतु सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(5) 2403-102-1108—गहन पशु विकास परियोजना	3,299.60	2,638.12	(-)661.48
(6) 2403-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना, कुककुट पालन प्रक्षेत्रों पर	178.00	96.29	(-)81.71

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2403-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5027-बकरी पालन प्रक्षेत्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण	232.90	172.16	(-)60.74
(8) 2403-108-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3,300.00	780.83	(-)2,519.17
(9) 2403-109-9329-अंजोरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय हेतु सहायक अनुदान- मूल 780.00 पूरक 185.00	965.00	780.00	(-)185.00
(10) 2403-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7403-पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय- मूल 1,100.00 पूरक सांकेतिक	1,100.00	187.50	(-)912.50
(11) 2403-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9329-अंजोरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय हेतु सहायक अनुदान	110.00	..	(-)110.00
(12) 2403-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1971-दुग्ध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उपलब्धता के अनुमान- मूल 18.22 पूरक 46.55	64.77	15.31	(-)49.46
(13) 2403-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5620-पशुरोग नियंत्रण	932.00	671.95	(-)260.05
(14) 2403-800-8703-दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना- मूल 650.00 पूरक 145.00	795.00	690.96	(-)104.04
(15) 2403-800-8881-डेयरी टेक्निकल कॉलेज को अनुदान, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर- मूल 345.00 पूरक सांकेतिक	345.00	300.00	(-)45.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (15) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5), 2012-13 के दौरान संख्या (7) एवं 2008-09 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2403-001-4297-संचालनालय स्तर	128.20	199.23	+71.03

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(v) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 40,000 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2403—पशुपालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व:			
मूल	22,41,986		
पूरक	84,712	23,26,698	17,62,424
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)5,64,274 6,11,999

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 17,624.24 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 847.12 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 5,642.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 6,119.99 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-197-0803-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृत्तियां-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)86.00	64.00	64.00
₹ 86.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से शेष राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-02-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 4717-अनुसूचित जाति छात्रावास-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)84.56	515.44	531.02
(3) 2202-02-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6175-राज्य छात्रवृत्तियां-			
मूल	3,966.00		
पुनर्वि.	(-)302.20	3,663.80	3,796.08

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-02-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये— मूल 100.00 पुनर्वि (-)41.28	58.72	59.47	+0.75
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 84.56 लाख, ₹ 302.20 लाख एवं ₹ 41.28 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(5) 2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन— मूल 158.40 पूरक 491.60	650.00	411.70	(-)238.30
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7340-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन— मूल 65.00 पूरक 355.52	420.52	233.21	(-)187.31
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(7) 2405-789-101-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 400.00 पूरक (-)177.16	222.84	222.77	(-)0.07
₹ 177.16 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(8) 2515-789-196-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7019-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि— मूल 7,500.00 पुनर्वि. (-)3,334.00	41.16	41.16	..
(9) 2515-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8668-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान— मूल 1,352.76 पुनर्वि. (-)1,248.43	104.33	104.33	..
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 3,334.00 लाख एवं ₹ 1,248.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 15—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2515-789-198-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7424-राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00		

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सूचित की गई है।।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	2,200.00	2,360.31	+160.31
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2405—मछली पालन			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,72,150		
पूरक	31,457	4,03,607	3,61,850
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-) 41,757 60,120
<i>प्रभारित</i>	<i>20</i>	<i>..</i>	<i>(-) 20</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)</i>			
पूंजीगत :			
दत्तमत	7,510	7,481	(-) 29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 259.57 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 55.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 314.57 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह दोषपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 417.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 601.20 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2405-101-162-अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर का अमला—			
मूल	1,862.15		
पूरक	259.57		
पुनर्वि.	(-) 342.40	1,779.32	1,779.75
₹ 342.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+0.43
(2) 2415-05-004-8896-मछुआ कल्याण बोर्ड की स्थापना—			
मूल	67.00		
पुनर्वि.	(-) 42.00	25.00	25.00
₹ 42.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			..

प्रभारित—

(v) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार			
2425—सहकारिता			
4408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
6425—सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	17,00,360		
पूरक	10,000	17,10,360	13,91,865
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)3,18,495 3,18,813
प्रभारित	15	..	(-)15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			15

पूंजीगत:

दत्तमत	2,93,060	2,92,827	(-)233
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			233
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 139.18 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 3,184.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 3,188.13 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2425-001-123-अधीक्षण—			
मूल	3,669.50		
पुनर्वि.	(-)1,038.73	2,630.77	2,637.66
			+6.89

₹ 1,038.73 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 2425-001-2282-निर्देशन—

मूल	717.30		
पुनर्वि.	(-)297.03	420.27	416.56
			(-)3.71

₹ 297.03 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 17— समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त हेतु ब्याज अनुदान-			
मूल	5,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-101.00	4,899.00	4,899.00
(4) 2425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 8654-राज्य जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का सहकारी बैंकों में विलय-			
मूल	7,500.00		
पुनर्वि.	(-2,049.07	5,450.93	5,450.93

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 101.00 लाख एवं ₹ 2,049.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7499-सहकारी शक्कर कारखाना बालोद को गन्ना परिवहन हेतु अनुदान-			
मूल	0.10		
पुनर्वि.	399.90	400.00	400.00

₹ 399.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 400.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.10 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में वृद्धि दंतेश्वरी सहकारी चीनी कारखाना बालोद हेतु गन्ना परिवहन के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2014)।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम तथा रोजगार			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	9,78,795		
पूरक	2,451	9,81,246	6,44,873
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-) 3,36,373 2,91,090
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	20	..	(-) 20 20
पूंजीगत:			
दत्तमत	35,000	..	(-) 35,000 35,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 24.51 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(ii) ₹ 3,363.73 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 2,910.90 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं विनियोग पर हुए व्यय पर नियंत्रण नहीं रखा जाना दर्शाता है ।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-01-102-791-कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय—			
मूल	874.75		
पुनर्वि.	(-)80.79	793.96	804.89
			+10.93
₹ 80.79 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3676-राज्य बीमा अस्पताल—			
मूल	2,180.90		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,005.31	1,175.59	1,173.90
			(-)1.69

अनुदान संख्या 18—जारी

₹ 1,005.31 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं नवीन केन्द्रों को प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2230-01-001-4268-श्रम आयुक्त- मूल 455.75 पुनर्वि. (-)232.16	223.59	224.07	+0.48

₹ 232.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(4) 2230-01-101-4271-श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला- मूल 855.45 पुनर्वि. (-)246.08	609.37	608.17	(-)1.20
--	--------	--------	---------

₹ 246.08 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 247.58 लाख की कमी तथा ₹ 1.50 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(5) 2230-01-101-4272-श्रम न्यायालय- मूल 444.80 पुनर्वि. (-)187.78	257.02	260.04	+3.02
---	--------	--------	-------

₹ 187.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(6) 2230-01-101-712-औद्योगिक न्यायालय- मूल 169.40 पूरक 9.50 पुनर्वि. (-)53.88	125.02	124.60	(-)0.42
--	--------	--------	---------

₹ 53.88 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(7) 2230-01-102-5810-औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा- मूल 399.60 पुनर्वि. (-)266.69	132.91	132.66	(-)0.25
--	--------	--------	---------

₹ 266.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(8) 2230-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल- मूल 3,100.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)187.79	2,912.21	2,420.54	(-)491.67
--	----------	----------	-----------

₹ 187.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(9) 2230-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2837-बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना- मूल 610.00 पुनर्वि. (-)468.60	141.40	141.40	..
---	--------	--------	----

अनुदान संख्या 18—समाप्त

₹ 468.60 लाख की प्रत्याशित बचत के भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 350.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4250-201-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
8352-राज्य में बीड़ी मजदुरों के लिए आवास निर्माण—			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)350.00		

₹ 350.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आवास निर्माण हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	73,58,770		
पूरक	6,60,250	80,19,020	71,25,974
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)8,93,046
<i>प्रभारित</i>	<i>1,750</i>	<i>93</i>	<i>(-)1,657</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			..
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,18,420	26,146	(-)92,274
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 1,602.50 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 5,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,602.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह त्रुटि पूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 8,930.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2210-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7476-संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय	118.30	49.97	(-)68.33
(2) 2210-01-110-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- (मूलभूत सेवाएं)	182.90	75.07	(-)107.83
(3) 2210-01-110-748-औषधालय	558.80	376.89	(-)181.91
(4) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7327-मानसिक चिकित्सालय	228.10	158.94	(-)69.16
(5) 2210-01-196-1473-जिला चिकित्सालय- मूल	5,813.00		
पूरक	2,000.00	7,813.00	5,388.08
(6) 2210-01-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1473-जिला चिकित्सालय	4,481.80	3,642.84	(-)838.96

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(7) 2210-01-200-77—अंधरोग उपचार की रोकथाम की ईकाइयां स्थापित करना	1,483.60	1,220.04	(-)263.56
(8) 2210-01-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7463—कैन्सर, मधुमेह, हृदयरोग एवं आघात रोगों की रोकथाम	262.00	..	(-)262.00
(9) 2210-01-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7464—वयोवृद्ध स्वास्थ्य संरक्षण	105.00	5.00	(-)100.00
(10) 2210-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र	3,511.30	3,297.66	(-)213.64
(11) 2210-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7330—मितानिन कल्याण निधि— मूल 300.00 पूरक 1,600.00	1,900.00	1,000.00	(-)900.00
(12) 2210-03-197-748—औषधालय	312.30	240.29	(-)72.01
(13) 2210-03-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	3,949.30	3,661.55	(-)287.75
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत, 2008-09 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (4), 2005-06 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (5) एवं (6), 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (7) एवं (9) एवं 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (8) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2210-03-198-2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)— मूल 13,777.00 पुरक 2,000.00 पुनर्वि. (-)157.00	15,620.00	15,199.12	(-)420.88
₹ 157.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)	2,813.90	2,760.35	(-)53.55
(16) 2210-03-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6884—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	7,500.00	6,495.06	(-)1,004.94
(17) 2210-06-003-2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	308.70	189.29	(-)119.41
(18) 2210-06-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	230.00	0.38	(-)229.62
(19) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3463—महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	241.30	135.23	(-)106.07
(20) 2210-06-101-858—कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	1,783.60	1,590.72	(-)192.88

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(21) 2210-06-101-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5026—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान	1,000.00	875.00	(-)125.00
उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (21) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (15) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5572—सिकल सेल विकृति की रोकथाम एवं नियंत्रण— मूल 451.00 पुनर्वि. (-)114.00	337.00	..	(-)337.00
(23) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5688—मुख्यमंत्री दवा पेटी	430.00	126.65	(-)303.35
(24) 2210-06-102-1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)	226.50	82.22	(-)144.28
(25) 2210-06-104-750—औषध नियंत्रण	228.00	158.83	(-)69.17
उपरोक्त क्रम संख्या (22) से (25) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2211-001-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 3704—राज्य स्तरीय परिवार कल्याण संगठन	394.40	300.86	(-)93.54
(27) 2211-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 1007—क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	137.60	81.61	(-)55.99
(28) 2211-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2880—बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना	152.40	67.61	(-)84.79
(29) 2211-101-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र	6,858.60	6,720.12	(-)138.48
(30) 2211-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4601—स्टरलाइजेशन	65.00	11.50	(-)53.50
(31) 2211-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2498—परम्परागत गर्भ निरोधक का प्रदाय	100.00	..	(-)100.00
(32) 2211-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6106—युनिवर्सल इम्युनाईजेशन	130.00	..	(-)130.00
उपरोक्त क्रम संख्या (26) से (32) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत, 2008-09 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत एवं 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 19—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-800-5499-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	180.00	381.69	+201.69
(2) 2210-01-001-2283-निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)— मूल 1,431.80 पूरक 2.50	1,434.30	1,485.50	+51.20
(3) 2210-03-101-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	1,503.00	1,936.38	+433.38
(4) 2210-03-197-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,226.50	2331.03	+104.53
(5) 2210-06-101-8150-बहुद्देशीय कार्यकर्ता योजना	454.00	719.34	+265.34

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (3) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(6) 2210-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8645-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 1,000.00 पूरक 1,000.00 पुनर्वि. 850.00	2,850.00	2,850.00	..
--	----------	----------	----

₹ 850.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कार्डों की संख्या में वृद्धि के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 16.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2210-01-001-2283-निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)	10.00	0.93	(-)9.07

बचत के कारण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 922.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना विनियोग में त्रुटि पूर्ण व्यय के प्रवाह को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 19—समाप्त

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-02-103-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	699.00	57.00	(-)642.00
(2) 4210-02-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	200.00	55.58	(-)144.42
(3) 4210-80-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7398-मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन	100.00	45.00	(-)55.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत तथा 2011-2012 एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	32,19,010		
पूरक	18,191	32,37,201	26,90,424
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)5,46,777 5,02,394
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	1,000	536	(-)464 704
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	5,11,500	64,317	(-)4,47,183
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			2,76,035
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 181.91 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 5,467.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 5,023.94 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-06-107-3862—लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं— मूल 58.88 पुनर्वि. (-)0.17	58.71	..	(-)58.71
₹ 0.17 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2215-01-001-2294—निर्देशन— मूल 1,209.30 पुनर्वि. (-)150.39	1,058.91	850.40	(-)208.51

₹ 150.39 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2215-01-001-2715-प्रशासन— मूल 6,461.00 पुनर्वि. (-)682.63	5,778.37	5,844.21	+65.84
₹ 682.63 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(4) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण— मूल 893.50 पुनर्वि. (-)384.00	509.50	756.67	+247.17
(5) 2215-01-102-1202-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)500.00	50.00	285.21	+235.21
उपरोक्त क्रम संख्या (4) तथा (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 384.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख के प्रत्याशित बचत निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2215-01-102-2219-नलकूपों का अनुरक्षण— मूल 4,591.60 पुनर्वि. (-)276.67	4,314.93	3,669.35	(-)645.58
उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 276.67 लाख के प्रत्याशित बचत निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)82.33	4,917.67	4,911.34	(-)6.33
₹ 82.33 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 212.33 लाख की कमी तथा ₹ 130.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में कमी वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2215-01-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6975-दुर्ग द्वितीय चरण जल प्रदाय योजना— मूल 810.00 पुनर्वि. (-)1.00	809.00	698.10	(-)110.90
₹ 1.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(9) 2215-01-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7308-रायगढ़ जल प्रदाय योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)125.00	375.00	375.00	..
₹ 125.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2215-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5099-चरोदा (भिलाई) जल प्रदाय योजना-			
मूल	200.00
पुनर्वि.	(-)200.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2215-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6897-दल्ली राजहरा जल प्रदाय योजना-			
मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7371-बिलाईगढ़ जल प्रदाय योजना-			
मूल	50.00	49.90	(-)49.90
पुनर्वि.	(-)0.10
₹ 0.10 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7387-पाण्डातराई जल प्रदाय योजना-			
मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)50.00
(14) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7391-सरिया जल प्रदाय योजना-			
मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)50.00
उपरोक्त क्रम संख्या (13) तथा (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के प्रत्याशित बचत योजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत तथा 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8318-कटघौरा जिला बिलासपुर नल जल प्रदाय योजना-			
मूल	400.00	351.30	..
पुनर्वि.	(-)48.70
₹ 48.70 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(16) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8565-भखारा-भठेली जल प्रदाय योजना-			
मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)50.00
(17) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8566-मगरलोड भैसमुड़ी जल प्रदाय योजना-			
मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)50.00

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8612—पाटन आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
(19) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8613—उतई जल प्रदाय योजना— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00
(20) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8616—कुसुमकसा नल जल प्रदाय योजना— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00
उपरोक्त क्रम संख्या (16) तथा (20) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 50.00 लाख, ₹ 50.00 लाख, ₹ 100.00 लाख, ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के प्रत्याशित बचत योजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (20) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।			
(21) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8908—नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 70.00 पूरक 60.00 पुनर्वि. (-)80.00	50.00	50.00	..
₹ 80.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गए हैं (₹ 30.81 लाख)। ₹ 49.19 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(22) 2215-01-799-4058—विविध लोक निर्माण अग्रिम— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)269.70	1,230.30	1,310.23	+79.93
₹ 269.70 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(23) 2215-01-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9938—भू-जल स्रोतों का रिचार्जिंग— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00
₹ 250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(24) 2215-02-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5504—सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गए हैं (₹ 870.00 लाख)। ₹ 130.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(25) 2215-02-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6841—जल निकासी योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00

अनुदान संख्या 20—जारी

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 4.64 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2014 को ₹ 7.04 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(v) उचंत लेन देन —

इस अनुदान के व्यय में "2215—जल प्रदाय और सफाई—01—जल प्रदाय—799—"उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 1310.23 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थायी प्रकृति के लेन—देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बंधित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं, और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गए हैं, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है। "उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :-

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन—देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई :-

(1) क्रय— राज्य में 1983-84 से प्रवर्तित नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप परिप्रेक्ष्य में उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन—देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बंधित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

2013-14 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न "उचंत" उप शीर्षों के अन्तर्गत "उचंत" लेन—देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2013 को नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2014 को नामे+ जमा(-)
			(₹ लाख में)	
2215—जलपूर्ति तथा सफाई				
(i) क्रय	(-)1,600.70	(-)1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	+1,550.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+9,920.15	1,310.23	665.70	+10,564.68
योग	+9,869.68	1,310.23	665.70	+10,514.21

अनुदान संख्या 20—जारी

पूँजीगत:
दत्तमत—

(vi) ₹ 4,471.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 2,760.35 लाख की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2715-प्रशासन-			
मूल	470.00		
पुनर्वि.	(-)44.51	425.49	5.49
			(-)420.00
(2) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	1,680.00		
पुनर्वि.	(-)329.55	1,350.45	151.27
			(-)1,199.18
उपरोक्त क्रम संख्या (1) तथा (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 44.51 लाख एवं ₹ 329.55 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4215-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5699-शालाओं की शौचालय व्यवस्था-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00
			..
₹ 250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4215-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6899-बटालियन एवं पुलिस लाइन हेतु शौचालय का निर्माण-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)46.30	3.70	5.00
			+1.30
₹ 46.30 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं।			
(5) 6215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजना-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,019.39	480.61	380.61
			(-)100.00
₹ 2,019.39 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2217—शहरी विकास			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	9,63,370	5,32,708	(-)4,30,662
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			4,30,378
पूंजीगत	28,28,000	5,32,405	(-)22,95,595
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			21,60,901
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) ₹ 4,306.62 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 4,303.78 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7444-विकास नगर योजना-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,750.00	2,250.00	2,250.00
(2) 2217-01-001-8635-नया मंत्रालय का रख रखाव-			
मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	1,050.00	1,050.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 2,750.00 लाख एवं ₹ 250.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	1,475.00		
पुनर्वि.	(-)625.00	850.00	850.00
₹ 625.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वित्त विभाग के द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ.सहायित एस.यू.टी.पी. योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	200.00	200.00

₹ 300.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2217-05-001-2020-नगर और ग्राम निवेश-			
मूल	657.70		
पुनर्वि.	(-)113.26	544.44	541.63
			(-)2.81

₹ 113.26 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2217-05-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2621-विकास योजना बनाना,पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण करना-			
मुल	375.00		
पुनर्वि.	(-)168.52	206.48	206.45
			(-)0.03

₹ 168.52 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2217-05-800-8892-छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण-			
मुल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00
			..

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iii) ₹ 229.55 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 216.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ.सहायित एस.यू.टी.पी. योजना-			
मूल	3,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,876.97	623.03	623.03
			..

₹ 2,876.97 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	24,775.00		
पुनर्वि.	(-)18,727.04	6,047.96	4,701.02
			(-)1,346.94

₹ 18,727.04 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व :			
दत्तमत	36,515	31,756	(-)4,759
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			4,623
प्रभारित	5	..	(-)5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			5

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 47.59 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 46.23 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ लाख में)		
(1) 2217-05-800-2122—नगर पालिका कर्मचारियों की पेंशन योजना का क्रियान्वयन—			
मूल	42.15		
पुनर्वि.	(-)10.08	32.07	(-)0.32
		31.75	

₹ 10.08 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2217-05-800-6148—नगरीय स्थानीय
निकाय संचालनालय—

मूल	186.50		
पुनर्वि.	(-)28.16	158.34	(-)1.08
		157.26	

₹ 28.16 लाख की प्रत्याशित बचत सीधी भर्ती द्वारा पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217-05-800-7442—संभागीय कार्यालय
की स्थापना—

मूल	136.50		
पुनर्वि.	(-)7.99	128.51	+0.05
		128.56	

₹ 7.99 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2700—मुख्य सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	34,40,960	33,40,626	(-)1,00,334
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			2,27,678
<i>प्रभारित</i>	<i>110</i>	<i>..</i>	<i>(-)110</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)</i>			<i>110</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	41,08,185		
पूरक	1,00,375	42,08,560	32,68,461
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)9,40,099
			9,94,604
<i>प्रभारित</i>	<i>2,500</i>	<i>569</i>	<i>(-)1,931</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)</i>			<i>1,931</i>
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,003.34 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 2,276.78 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700-05-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	404.00		
पुनर्वि.	(-)0.04	403.96	354.36
			(-)49.60
(2) 2700-06-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	385.00		
पुनर्वि.	(-)34.84	350.16	303.82
			(-)46.34
(3) 2701-80-001-275-आबियाना स्थापना—			
मूल	1,985.20		
पुनर्वि.	(-)537.94	1,447.26	1,335.07
			(-)112.19

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2701-80-001-3264—मंडल स्थापना— मूल 406.70 पुनर्वि. (-)86.57	320.13	322.99	(-)2.86
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 0.04 लाख, ₹ 34.84 लाख, ₹ 537.94 लाख एवं ₹ 86.57 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2701-80-001-3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट। - मूल 11,250.00 पुनर्वि. (-)887.05	10,362.95	10,855.43	+492.48
(6) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3264—मण्डल स्थापना— मूल 922.20 पुनर्वि. (-)67.14	855.06	867.16	+12.10
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत ₹ 887.05 लाख एवं ₹ 67.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट। - मूल 1,045.40 पुनर्वि. (-)139.02	906.38	899.20	(-)7.18
₹ 139.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 814—कार्यपालिक स्थापना (विद्युत/यांत्रिकी)— मूल 652.00 पुनर्वि. (-)120.31	531.69	550.04	+18.35
₹ 120.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700-01-101-2894—बांध तथा नहरें— मूल 1,699.00 पुनर्वि. (-)24.40	1,674.60	1,869.77	+195.17
₹ 24.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(2) 2701-80-799-9191—भण्डार	29.00	484.29	455.29
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			

अनुदान संख्या 23—जारी

प्रभारित—

(iv) ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में "उचंत" शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 484.29 लाख सम्मिलित है। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेख की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2013-14 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित "उचंत" लेन देन का विश्लेषण विभिन्न "उचंत" उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारम्भिक शेष 01 अप्रैल 2013 को नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31मार्च 2014 को नामे+ जमा(-)
2701—मध्यम सिंचाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)838.35	(-)838.35
(ii) भण्डार	+410.01	484.29	..	+894.30
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+2,715.19	..	19.20	+2,695.99
(iv) कार्यशाला उचंत	+147.09	+147.09
कुल	+2,433.94	484.29	19.20	+2,899.03

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 1,003.75 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 9,400.99 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 9,946.04 का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-कार्यपालिक स्थापना (यूनिट I एवं II)- मूल 2,858.00 पुनर्वि. (-)441.01	2,416.99	2,509.33	+92.34
(2) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना (यूनिट I)- मूल 558.55 पुनर्वि. (-)100.76	457.79	464.97	+7.18
(3) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3264-मंडल स्थापना- मूल 165.60 पुनर्वि. (-)66.00	99.60	99.52	+0.08

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 441.01 लाख, ₹ 100.76 लाख एवं ₹ 66.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत, 2010-11 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट 1- मूल 700.50 पुनर्वि. (-)144.44	556.06	524.62	(-)31.44
₹ 144.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(5) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)293.23	206.77	210.01	+3.24
₹ 293.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)866.12	133.88	133.88	..
₹ 866.12 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं समायिक वर्षा होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4700-08-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)402.63	97.37	166.18	+68.81
₹ 402.63 लाख की प्रत्याशित बचत भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4700-10-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य- मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)866.83	533.17	533.16	(-)0.01
₹ 866.83 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं समायिक वर्षा होने (₹ 1316.83 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 550.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4700-11-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,090.66	3,909.34	3,909.33	(-)0.01
₹ 1,090.66 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं असमायिक वर्षा होने (₹ 160.66 लाख) एवं कार्य की धीमी प्रगति (₹ 930.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4700-12-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)3,500.51	1,499.49	1,499.49	..

अनुदान संख्या 23—जारी

₹ 3,500.51 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं असमायिक वर्षा होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 4700-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4416-सर्वेक्षण-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-188.36	11.64	6.93
			(-)4.71

₹ 188.36 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं असमायिक वर्षा होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 4701-10-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00

₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(13) 4701-36-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)136.74	463.26	460.14
			(-)3.12

₹ 136.74 लाख की प्रत्याशित बचत भू अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने (₹ 30.25 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 106.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 4701-38-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)488.99	111.01	114.11
			+3.10

₹ 488.99 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने (₹ 448.99 लाख) एवं कार्य प्रगतिरत नहीं होने (₹ 40.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 4701-47-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00

₹ 50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मुख्य अभियन्ता द्वारा योजना को बन्द किए जाने का प्रसताव दिए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 4701-80-002-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4793-जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना-			
मूल	1,252.20		
पुनर्वि.	(-)165.52	1,086.68	1,146.31
			+59.63

₹ 165.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 4701—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5678—छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना— पूरक 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00

₹ 1000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(18) 4711—01—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6757—खाद्य नियंत्रण परियोजना— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,082.00	918.00	915.39	(-)2.61
---	--------	--------	---------

₹ 1,082.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009—10 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यपालिक स्थापना (यूनिट I एवं II)— मूल 5,632.50 पुनर्वि. (-)286.61	5,345.89	5,718.46	+372.57

₹ 286.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009—10 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 4700—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 2,510.00 पुनर्वि. 484.11	2,994.11	2,926.83	(-)67.28
--	----------	----------	----------

₹ 484.11 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 500.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 15.89 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि कार्यों का भुगतान किए जाने के कारण एवं कमी भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(3) 4700—04—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 200.00 पुनर्वि. 192.03	392.03	392.04	+0.01
---	--------	--------	-------

₹ 192.03 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 225.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 32.97 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि कार्यों के दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण एवं कमी निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(4) 4700—09—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 6,050.00 पुनर्वि. (-)142.03	5,907.97	6,718.86	+810.89
---	----------	----------	---------

अनुदान संख्या 23-समाप्त

₹ 142.03 लाख की प्रत्याशित बचत भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने (₹ 50.63 लाख)के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 91.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4701-37-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	93.56	143.56	143.58
			+0.02

₹ 93.56 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 6.44 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि कार्यों में प्रगति के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(x) उच्चत लेन देन :-

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में उच्चत शीर्ष के अधीन कोई भी राशि सम्मिलित नहीं है। उच्चत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2013-14 के दौरान इस अनुभाग हेतु उच्चत लेन देन का विश्लेषण उच्चत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंतशेषों सहित नीचे दिया जा रहा है:-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2013 को नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2014 को नामे+ जमा (-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- (₹ लाख में)				
(i) क्रय	(-)830.51	(-)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	+346.16
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+620.17	..	14.87	+1,605.30
(iv) कार्यशाला उच्चत	(-)76.61	(-)76.61
कुल	+1,059.21	..	14.87	+1,044.34

प्रभारित-

(xi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4948-डिक्री धन का भुगतान-			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	(-)18.90	1.10	1.10
			..

₹ 18.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
3053—नागर विमानन्			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन् पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	10,799,636	95,17,048	(-)12,82,588
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	72,95,500		
पूरक	1,69,242	74,64,742	73,00,998
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,63,744
			..
प्रभारित—			
मूल	10,130		
पूरक	5,000	15,130	9,153
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 5,977
			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 12,825.88 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए कोई भी राशि समर्पित नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ लाख में)		
(1) 3054-01-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत—			
मूल	4,072.00		
पुनर्वि.	459.00	4,531.00	3,064.08
₹ 459.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति एवं देयताओं के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)1,466.92
(2) 3054-03-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	11,100.00	9,547.90	(-)1,552.10
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 3054-03-337-4090-विशेष मरम्मत—			
मूल	8,000.00		
पुनर्वि.	(-)459.00	7,541.00	6,342.12
₹ 459.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)1,198.88

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत (-)
(4) 3054-04-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	12,500.00	10,811.28	(-)1,688.72
(5) 3054-04-337-1826-डामरीकरण	4,500.00	3,189.94	(-)1,310.06
(6) 3054-04-337-2727-नवीनीकरण	35,000.00	34,518.02	(-)481.98
(7) 3054-04-337-4090-विशेष मरम्मत	2,500.00	2,146.25	(-)353.75
(8) 3054-04-337-4557-सुदृढीकरण	3,500.00	2,530.87	(-)969.13
(9) 3054-04-337-7510-ग्रामीण मार्गों का संधारण	17,500.00	13,615.13	(-)3,884.87

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3054-01-337-4090-विशेष मरम्मत	200.00	284.13	(+)84.13

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(iv) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रिट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है, और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल-800-अन्य व्यय" जिसके लिए अनुदान संख्या 24—"लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल" में प्रावधान किया गया है, के नामें डालकर जमा लेखा "8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता"को अंतरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है, और बाद में जमालेखा "8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

31 मार्च 2014 को जमा लेखे में ₹ 91.02 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे 2013-14 के क्रमांक 18-आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 1,637.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	1,000.00	38.91	(-)961.09

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3775-रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)75.00	4,925.00	3,203.91
			(-)1,721.09
₹ 75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4151-वृहद पुलों का निर्माण-			
मूल	12,170.00		
पुनर्वि.	(-)4,425.00	7,745.00	7,609.18
			(-)135.82
₹ 4,425.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 75.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4,500.00 की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि देयताओं के भुगतान एवं कार्य की प्रगति के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 5054-03-337-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 8716-केन्द्रीय सड़क निधि			
	6,000.00	5,788.93	(-)211.07
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 4336-राज्यों में सड़कों का निर्माण राज्य मार्ग-			
मूल	15,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,000.00	13,000.00	13,023.79
			+23.79
₹ 2,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण-			
मूल	12,500.00		
पुनर्वि.	(-)3,000.00	9,500.00	8,113.06
			(-)1,386.94
₹ 3,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1222-मूलभूत न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण-			
मूल	5,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	1,100.00	3,900.00	3,698.33
			(-)201.67
₹ 1,100.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन देयताओं के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(8) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5041-वृहद सड़कों का सर्वेक्षण			
	200.00	..	(-)200.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 24—समाप्त

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1513-जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण-			
मूल	15,085.00		
पुनर्वि.	9,500.00	24,585.00	27,729.55
			+3,144.55

₹ 9,500.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन लंबित देयताओं के भुगतान किए जाने के (₹ 2,000.00 लाख) के कारण सूचित किए गए हैं। शेष ₹ 7,500.00 लाख के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-			
मूल	1,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	1,100.00	2,100.00	2,134.30
			+34.30

₹ 1,100.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन देयताओं के भुगतान किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

प्रभारित—

(viii) ₹ 59.77 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ix) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	100.00	40.23	(-)/59.77

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों			
पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	18,65,395		
पूरक	1,200	18,66,595	18,16,033
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)50,562 49,360
प्रभारित—			
मूल	50		
पूरक	450	500	500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	8,23,000		
पूरक	सांकेतिक	8,23,000	8,23,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां:			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 12.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को इंगित करता है।			
(ii) ₹ 505.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 493.60 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2853-02-001-4639-मुख्यालय स्थापना—			
मूल	813.45		
पूरक	12.00		
पुनर्वि.	(-)181.10	644.35	637.49
			(-)6.86
₹ 181.10 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने (₹ 83.35 लाख), सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने (₹ 4.26 लाख), वित्त विभाग से लंबित प्रकरणों के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 69.35 लाख) एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 4.00 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 20.14 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2853-02-001-4640-जिला स्थापना—			
मूल	1,214.60		
पुनर्वि.	(-)128.16	1,086.44	1,087.75
			+1.31

अनुदान संख्या 25—समाप्त

₹ 128.16 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने (₹ 97.47 लाख), विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने (₹ 1.47 लाख), जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 7.69 लाख) एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने जाने (₹ 6.00 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 15.53 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2853-02-001-4643-क्षेत्रीय स्थापना-			
मूल	1,100.90		
पुनर्वि.	(-)184.34	916.56	910.09
			(-)6.47

₹ 184.34 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 194.34 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण एवं कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व :			
मूल	2,01,622		
पूरक	5,378	2,07,000	1,74,711
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित			(-)32,289
टीका एवं टिप्पणियां			..

राजस्व :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया (₹ 50.00 लाख) एवं जनवरी 2014 में प्राप्त किया गया (₹ 3.78 लाख) ₹ 53.78 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को इंगित करता है।

(ii) ₹ 322.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-05-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7013-छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग	91.65	64.24	(-)27.41
(2) 2205-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3077-बहु आयामी संस्कृति संस्थान			
मूल	100.00		
पूरक	सांकेतिक	100.00	..
(3) 2205-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8937-लोक पुस्तकालय/ग्रंथालय	50.00	..	(-)50.00
(4) 2205-107-4283-संग्रहालय	296.70	261.85	(-)34.85

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	2,88,01,130			
पूरक	1,58,507	2,89,59,637	2,17,55,545	(-)72,04,092
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित		320	565	+245
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	2,15,260			
पूरक	51,819	2,67,079	2,28,472	(-)38,607
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 1,256.50 लाख) तथा जनवरी 2014 (₹ 328.57 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,585.07 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 72,040.92 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए भी कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2202-01-001-1500—जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 3,250.50 पुनर्वि. (-)3.00	3,247.50	2,756.77	(-)490.73
₹ 3.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-01-101-3491—माध्यमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	23,355.60	19,872.96	(-)3,482.64
(3) 2202-01-101-4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	30,012.60	26,217.51	(-)3,795.09
(4) 2202-01-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5634—कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना	200.00	103.71	(-)96.29

अनुदान संख्या 27-जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5660-इ.पी.ई.जी.ई.एल.	180.00	..	(-)180.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	50,001.60	38,924.60	(-)11,077.00
(7) 2202-01-101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	30,202.70	22,633.40	(-)7,569.30
(8) 2202-01-102-110-अशासकीय विद्यालयों को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	5,000.00	2,821.97	(-)2,178.03
(9) 2202-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 110-अशासकीय विद्यालयों को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	600.00	363.85	(-)236.15
(10) 2202-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8659-अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	3,500.00	2,443.83	(-)1,056.17
(11) 2202-01-107-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	2,648.00	1,791.16	(-)856.84
(12) 2202-01-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5708-योग प्रशिक्षण	60.00	11.28	(-)48.72
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7), 2009-10 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (9) एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम (10), (11) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2202-01-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8646-राज्य प्रशिक्षण योजना- मूल 100.00 पूरक 100.00	200.00	113.85	(-)86.15
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2202-01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5904-नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	1,000.00	739.68	(-)260.32
(15) 2202-01-111-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5396-सर्व शिक्षा अभियान	22,000.00	10,712.55	(-)11,287.45
(16) 2202-01-112-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	4,310.00	2,972.13	(-)1,337.87
(17) 2202-01-112-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	3,400.00	2,566.86	(-)833.14

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एस.सी.ई.आर.टी.)	3,481.00	3,324.18	(-)156.82
(19) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	2,326.00	2,084.03	(-)241.97
(20) 2202-01-800-9005—इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	12,500.00	9,067.32	(-)3,432.68
(21) 2202-02-105-4402—सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	652.50	376.76	(-)275.74
(22) 2202-02-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 3694—राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस.सी.ई.आर.टी.) का पुनर्गठन	123.10	17.82	(-)105.28
(23) 2202-02-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 4402—सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	104.90	23.36	(-)81.54
उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (23) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं 2008-09 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (16) तथा (17) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(24) 2202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3694—राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस.सी.ई.आर.टी.) का पुनर्गठन मूल 240.70 पुनर्वि. (-)77.79	162.91	137.65	(-)25.26
₹ 77.79 लाख की प्रत्याशित बचत कम राशि के देयक प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2202-02-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6944—पुस्तकालय योजना	350.00	..	(-)350.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(26) 2202-02-109-578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	17,270.60	13,821.92	(-)3,448.68
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(27) 2202-02-109-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6794—सूचना एवं संचार तकनीकी	850.00	..	(-)850.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(28) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6794—सूचना एवं संचार तकनीकी	1,780.00	152.57	(-)1,627.43
(29) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	6,000.00	4,966.70	(-)1,033.30
(30) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मूल 38,797.30 पूरक 200.57	38,997.87	29,145.33	(-)9,852.54

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 2202-02-110-110-अशासकीय विद्यालय को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	5,900.00	4,378.65	(-),521.35
(32) 2202-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-110-अशासकीय विद्यालय को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	510.00	402.52	(-),107.48
(33) 2202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9005-इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य का मरम्मत	700.00	314.09	(-),385.91
उपरोक्त क्रम संख्या (28) से (33) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (28), (31) एवं (33) तथा 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (29) तथा (30) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 2202-80-001-3858-लोक शिक्षण संचालनालय- मूल पुरक पुनर्वि	1,034.30 191.80 3.00	1,229.10	991.52 (-),237.58
₹ 3.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(35) 2202-80-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	2,390.00	..	(-),2,390.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल	1,311.50	773.95	(-),537.55
(37) 2204-800-1084-खेल कूद तथा गतिविधियों पर व्यय	466.00	270.16	(-),195.84
उपरोक्त क्रम संख्या (36) एवं (37) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-3930-विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	2,876.50	2,993.04	+116.54
(2) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5551-हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	1,450.00	1,513.14	+63.14

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(v) ₹ 2,45,235 के विनियोग से हुए अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

अनुदान संख्या 27—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 2,284.72 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2013 (₹ 197.10 लाख) का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था, जबकि जनवरी 2014 (₹ 321.09 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 518.19 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 386.07 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए कोई भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-201-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालायें- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	50.00	..	(-)50.00
(2) 4202-01-201-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं-(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	200.00	..	(-)200.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	1,000.00		
पूरक	106.76	1,106.76	989.07
			(-)117.69

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2011— संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,37,850		
पूरक	3,950	3,41,800	2,25,509
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)1,16,291 1,307
प्रभारित	7,300	1,193	(-)6,107
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम होते हुए जुलाई 2013 (₹ 32.00 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 7.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 39.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,162.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 13.07 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2011-02-101-4007—विधान सभा—			
मूल	1,875.80		
पूरक	30.00	1,905.80	1,372.19
(2) 2011-02-103-4009—विधान सचिवालय	1,407.20	828.74	(-)578.46
(3) 2011-02-103-6582—भारतीय संसदीय संघ को सहायक अनुदान	48.30	10.17	(-)38.13

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2004-05 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) 2006-07 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 61.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2011-02-101-125—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का यात्रा भत्ता	73.00	11.93	(-)61.07

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2004-05 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2015—निर्वाचन			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	23,58,490		
पूरक	3,08,870	26,67,360	19,64,503
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)7,02,857
			..
<i>प्रभारित—</i>			
मूल	3,68,590		
पूरक	2,500	3,71,090	2,50,819
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,20,271
			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2013 (₹ 668.20 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 2,420.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,088.70 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 7,028.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि समर्पित नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-5421-छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी	186.50	49.25	(-)137.25
(2) 2014-103-5416-परिवार न्यायालय की स्थापना— मूल	1,241.80		
पूरक	36.00	1,277.80	701.34
			(-)576.46
(3) 2014-105-2410-निर्वाह पत्र तामिल स्थापना	991.10	697.97	(-)293.13
(4) 2014-105-4497-सामान्य स्थापना— मूल	10,080.70		
पूरक	180.00	10,260.70	7,393.48
			(-)2,867.22
(5) 2014-105-0701-केन्द्र प्रवर्धित योजना सामान्य— 7256-न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	200.00	69.71	(-)130.29
(6) 2014-114-3428-महाधिवक्ता	609.50	390.23	(-)219.27

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (5) 2006-07 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (3) एवं 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2014-114-3572—मुफस्सिल स्थापना—			
मूल	588.00		
पूरक	110.00		
पुनर्वि.	35.00	733.00	523.93
			(-)209.07
₹ 35.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2014-114-800-2918—बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)40.00	110.00	27.18
			(-)82.82
₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(9) 2015-102-2409—निर्वाचन अधिकारी—			
मूल	879.10		
पूरक	121.20	1,000.30	770.59
			(-)229.71
(10) 2015-103-3307—मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण—			
मूल	1,160.00		
पूरक	410.00	1,570.00	1,478.66
			(-)91.34
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2015-106-4006—राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रभार—			
मूल	4,568.00		
पूरक	1,950.00		
पुनर्वि.	(-)90.00	6,428.00	5,097.31
			(-)1,330.69
₹ 90.00 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2052-090-9057—विधि एवं विधायी कार्य—			
मूल	647.90		
पूरक	16.00		
पुनर्वि.	5.00	668.90	412.02
			(-)256.88
₹ 5.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2235-60-200-3255—विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान—			
मूल	859.80		
पूरक	265.50	1,125.30	715.02
			(-)410.28
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 29— समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2235-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3255-विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	50.00	..	(-)50.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

प्रभारित—

(iv) ₹ 1,202.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि समर्पित नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-573-उच्च न्यायालय— मूल 3,498.80 पूरक 25.00	3,523.80	2,403.51	(-)1,120.29
(2) 2052-091-9056-माध्यस्थम अधिकरण	187.10	104.68	(-)82.42

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2501—ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्राम रोजगार			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054—सड़कें तथा सेतु			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	56,06,930			
पूरक	21,75,101	77,82,031	56,67,362	(-)21,14,669
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				26,54,142

प्रभारित—

मूल	200			
पूरक	3,000	3,200	3,000	(-)200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				100

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	39,04,500			
पूरक	सांकेतिक	39,04,500	36,98,333	(-)2,06,167
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,94,597

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा जुलाई 2013 (₹ 21,720.00 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 31.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 21,751.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 21,146.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 26,541.42 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-196-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7291-आम आदमी बीमा योजना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	50.00	50.00
			..

₹ 250.00 लाख की प्रत्याशित बचत जीवन बीमा निगम से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2501-02-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम-			
मूल	1,370.11		
पुनर्वि.	(-)1,198.13	171.98	171.98
			..
₹ 1,898.13 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2501-06-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आजिविका योजना-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)956.36	1,543.64	1,543.64
			..
₹ 956.36 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2501-06-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8775-प्रशासन योजना- जिला स्तर-			
मूल	375.51		
पुनर्वि.	(-)187.65	187.86	193.86
			+6.00
₹ 187.65 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2505-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6728- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	231.45		
पुनर्वि.	(-)4.47	226.98	112.80
			(-)114.18
₹ 4.47 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2505-60-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	14,515.00		
पूरक	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)9,005.00	15,510.00	15,507.81
			(-)2.19
₹ 9,005.00 लाख की प्रत्याशित बचत जिला पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने (₹ 515.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 8,480.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2515-001-1033-विकास खंड कार्यालय-			
मूल	1,987.10		
पुनर्वि.	(-)35.85	1,951.25	1,747.91
			(-)203.34
₹ 35.85 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2515-101-2467-पंचायत संचालनालय-			
मूल	297.20		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)-219.53	77.67	83.03
			+5.36

₹ 219.53 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2515-101-2474-पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित प्रभार-			
मूल	7,100.70		
पुनर्वि.	(-)-6,545.57	555.13	6,013.28
			+5,458.15

₹ 6,545.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	3,197.50		
पुनर्वि.	(-)-298.96	2,898.54	2,338.29
			(-)-560.25

₹ 298.96 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-2013 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	4,211.00		
पुनर्वि.	(-)-868.40	3,342.60	3,378.48
			+35.88

₹ 868.40 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(12) 3054-04-105-4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	12,500.00		
पूरक	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)-10,250.00	12,250.00	12,250.00
			..

₹ 10,250.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2216-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6549-इंदिरा आवास योजना-			
मूल	3,325.00		
पूरक	1,500.00		
पुनर्वि.	3,490.38	8,315.38	8,568.08
			+252.70

₹ 3,490.38 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 8,484.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4,993.62 लाख कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि भारत सरकार से राज्यांश अधिक प्राप्त होने के कारण एवं कमी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश की राशि जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1033-विकास खण्ड कार्यालय-			
मूल	2,620.10		
पुनर्वि.	(-)41.49	2,578.61	2,834.26
			+255.65

₹ 41.49 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3926-विकास खण्ड कार्यालय-			
मूल	184.20		
पुनर्वि.	6.00	190.20	221.34
			+31.14

₹ 6.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन पी. ओ. एल. देयक अधिक प्राप्त होने कारण सूचित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(4) 2515-800-1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	795.20		
पुनर्वि.	(-)3.15	792.05	1048.55
			+256.50

₹ 3.15 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(v) ₹ 2.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 केवल ₹ 1.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 2,061.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 1,945.97 की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3064-भवन निर्माण-			
मूल	40.00		
पुनर्वि.	(-)40.00
			..

₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिला पंचायतों का गठन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(2) 5054-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4871-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण-			
मूल	1,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,800.00
			..

₹ 1,800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 7475-मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	22,500.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)5,001.03	17,498.97	18,092.81
			+593.84

₹ 5,001.03 लाख की प्रत्याशित बचत 136 निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रियाओं को स्थगित किए जाने एवं मांग कम प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना-			
मूल	12,500.00		
पुनर्वि.	(-)4,900.06	17,400.06	16,690.52
			(-)709.54

₹ 4,900.06 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन प्रावधान में ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 99.94 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि अधिक मांगपत्र प्राप्त होने के कारण एवं कमी रेत परिवहन में रोक होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 31—योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
--	-----------------------------	------------------	-------------------

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	3,10,504			
पूरक	1,68,592	4,79,096	3,19,237	(-)1,59,859
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,59,488

प्रभारित	40	..		(-)40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				40

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 3,192.37 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में ₹ 1,685.92 लाख का अनुपूरक प्रावधान जुलाई 2013 (₹ 71.26 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था जबकि जनवरी 2014 (₹ 1,614.66 लाख) में प्राप्त किया गया का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,598.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 1,594.88 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3451-101-3686-राज्य योजना आयोग—			
मूल	301.60		
पुनर्वि.	(-)131.93	169.67	169.67
(2) 3451-101-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी			
कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	774.20		
पूरक	(-)772.41	1.79	1.79

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 131.93 लाख एवं ₹ 772.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (1) एवं 2004-05 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3454-02-111-1430-जन्म मृत्यु संबंधी

आंकड़ों का संकलन—

मूल	174.36			
पूरक	(-)78.35	96.01	96.15	+0.14

₹ 78.35 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति फरवरी माह में किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। वर्ष 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 3454-02-111-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7497-छठवीं आर्थिक गणना-			
मूल	125.00		
पूरक	70.66		
पुनर्वि.	(-175.66)	20.00	23.64
			+3.64

₹ 175.66 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(5) 3454-02-205-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय-			
मूल	1,412.10		
पूरक	0.60		
पुनर्वि.	(-325.46)	1,087.24	1,083.66
			(-3.58)

₹ 325.46 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति फरवरी माह में किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। वर्ष 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग का अप्रयुक्त रहना एवं अभ्यर्पित किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

मुख्य शीर्ष—

- 2015—निर्वाचन
 2029—भू—राजस्व
 2039—राज्य उत्पाद शुल्क
 2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर
 2051—लोक सेवा आयोग
 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
 2053—जिला प्रशासन
 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
 2055—पुलिस
 2056—जेल
 2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
 2075—विविध सामान्य सेवाएं
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेल और युवा कल्याण
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
 2217—शहरी विकास
 2220—सूचना तथा प्रचार
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम तथा रोजगार
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2403—पशुपालन
 2405—मछली पालन
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2425—सहकारिता
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2701—मध्यम सिंचाई
 2702—लघु सिंचाई
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग
 3054—सड़क तथा सेतु
 3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 4220—सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 32—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	7,93,870		
पूरक	1,00,250	8,94,120	8,70,258
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)-23,862
			32,172
प्रभारित	10	..	(-)-10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत—	200	34	(-)-166
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			166
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 8,702.58 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में ₹ 1,002.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान जुलाई 2013 (₹ 2.50 लाख) में प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था जबकि जनवरी 2014 (₹ 1,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था। यह त्रुटिपूर्ण बजट को दर्शाता है।

(ii) ₹ 238.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 321.72 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2220-60-106-1479-जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना—			
मूल	754.00		
पुनर्वि.	(-)-119.87	634.13	649.34
			+15.21
₹ 119.87 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2220-60-106-5376-इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रचार प्रसार—			
मूल	2,000.00		
पूरक	300.00		
पुनर्वि.	(-)-549.85	1,750.15	1,750.15
			..

₹ 549.85 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 32-समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रवधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2220-01-001-2320-निर्देशन और प्रशासन-			
मूल.	2,931.10		
पूरक	700.00		
पुनर्वि.	399.19	4,030.29	4,098.26
			+67.97

₹ 399.19 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 500.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 100.81 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण एवं कमी अग्रिम की मांग न किए जाने (₹ 2.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 98.81 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

प्रभारित-

(v) वर्ष के दौरान सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—		
2202—सामान्य शिक्षा		
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2215—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
राजस्व :		
दत्तमत—		
मूल	1,25,70,760	
पूरक	40,000	1,26,10,760
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		1,25,23,416
		(-)87,344
		5,51,000
<i>प्रभारित</i>	100	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> (31 मार्च 2014)		(-)100
		100
टीका एवं टिप्पणियां		

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जनवरी 2014 ₹ 400.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 873.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 5,510.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ लाख में)			
(1) 2202-01-001-2721-प्रशासन का सुदृढीकरण विकास खण्ड स्तर—			
मूल	2,480.90		
पुनर्वि.	81.90	2,562.80	2,340.12
			(-)222.68
₹ 81.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 116.15 लाख की वृद्धि एवं ₹ 34.25 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(2) 2202-01-101-2772-प्राथमिक शालाएं—			
मूल	34,052.30		
पुनर्वि.	(-)3,440.35	30,611.95	31,902.39
			+1,290.44
₹ 3,440.35 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 4,275.35 लाख की कमी एवं ₹ 835.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(3) 2225-02-109-583-उच्चतर माध्यमिक शालाएं—			
मूल	12,364.50		
पुनर्वि.	(-)1,607.03	10,757.47	11,704.49
			+947.02

अनुदान संख्या 33—जारी

₹ 1,607.03 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,695.03 लाख की कमी एवं ₹ 88.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2225-02-001-1483-जिला प्रशासन-			
मूल	3,070.00		
पुनर्वि.	(-)587.92	2,482.08	2,657.03
			+174.95

₹ 587.92 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 469.07 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 118.85 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(5) 2225-02-001-6130-संचालनालय-			
मूल	971.80		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)224.05	747.75	757.71
			+9.96

₹ 224.05 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 228.05 लाख की कमी एवं ₹ 4.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 119.90 लाख) के कारण एवं वृद्धि लंबित यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 108.15 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(6) 2225-02-277-1395-छात्रावास-			
मूल	6,543.00		
पुनर्वि.	(-)832.70	5,710.30	6,386.52
			+676.22

₹ 832.70 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,110.70 लाख की कमी एवं ₹ 278.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 1,079.25 लाख) एवं वृद्धि लंबित यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 31.45 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2225-02-277-363-आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	762.50		
पुनर्वि.	(-)174.58	587.92	602.06
			+14.14

₹ 174.58 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 171.58 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 3.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2225-02-277-3673-राज्य छात्रवृत्तियां-			
मूल	4,754.30		
पुनर्वि.	(-)701.25	4,053.05	4,398.62
			+345.57

₹ 701.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(9) 2225-02-277-495-आश्रम और शालाएं-			
मूल	5,508.30		
पुनर्वि.	(-)611.10	4,897.20	5,223.80
			+326.60

₹ 611.10 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 861.54 लाख की कमी एवं ₹ 250.44 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2225-02-277-5898—निर्माण कार्य—			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-170.74)	429.26	460.77
			+31.51
(11) 2225-02-277-979—क्रीड़ा परिसर—			
मूल	961.80		
पुनर्वि.	(-177.54)	784.26	796.95
			+12.69

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत ₹ 170.74 लाख एवं ₹ 177.54 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2225-02-277-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
5325—व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-300.00)

₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-109-3492—माध्यमिक शालाएं—			
मूल	45,969.00		
पुनर्वि.	3,201.30	49,170.30	50,046.59
			+876.29
(2) 2225-02-277-307—अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान—			
मूल	2,424.00		
पुनर्वि.	74.64	2,498.64	2,720.87
			+222.23
(3) 2515-101-5495—मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन—			
मूल	1,262.90		
पुनर्वि.	156.68	1,419.58	1,339.22
			(-80.36)

₹ 3,201.30 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 3,723.88 लाख की वृद्धि एवं ₹ 522.58 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण (₹ 294.00 लाख)। शेष ₹ 228.58 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

₹ 74.64 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 377.51 लाख की कमी तथा ₹ 302.87 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

प्रभारित—

(v) वर्ष के दौरान ₹ 1.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	5,83,421		
पूरक	30,000	6,13,421	4,85,572
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)1,27,849 1,33,714
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	40	..	(-)40 40
पूंजीगत:	1,000	450	(-)550
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			550
टीका एवं टिप्पणी:			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 300.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,278.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 1,337.14 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-2322-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	1,414.25		
पुनर्वि.	(-)374.65	1,039.60	1,038.45
₹ 374.65 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)1.15
(2) 2235-02-101-79-अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिए शाला तथा संस्थाएं—			
मूल	796.15		
पुनर्वि.	(-)140.42	655.73	658.56
₹ 140.42 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+2.83
(3) 2235-02-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
7491-निःशक्त जनों को बाधा रहित सुविधाओं का विकास—			
मूल	150.00		
पूरक	300.00		
पुनर्वि.	(-)450.00

अनुदान संख्या 34—समाप्त

₹ 450.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5650-जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र-			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	(-)51.19	18.81	20.86
			+2.05
(5) 2235-02-106-2517-परिवीक्षा इकाई-			
मूल	114.37		
पुनर्वि.	(-)30.66	83.71	83.51
			(-)0.20
(6) 2235-02-106-3339-छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं-			
मूल	307.26		
पुनर्वि.	(-)51.62	255.64	237.29
			(-)18.35

₹ 51.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 30.66 लाख एवं ₹ 51.62 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2235-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3339-छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं-				
मूल	76.65			
पुनर्वि.	(-)32.87	43.78	43.83	+0.05
(8) 2235-02-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5490-राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन-				
मूल	178.85			
पुनर्वि.	(-)75.54	103.31	126.35	+23.04

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 32.87 लाख एवं ₹ 75.54 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त था।

अनुदान संख्या 35—पुर्नवास
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व:			
दत्तमत	25,253	12,128	(-)13,125
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			12,605

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

(i) ₹ 131.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 126.05 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-01-200-3135-भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नव अप्रवासियों के पुर्नस्थापन—			
मूल	104.40		
पुनर्वि.	(-)104.40

₹ 104.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2235-01-200-4625-स्थायी दायित्व गृह माना, जिला रायपुर का संचालन—			
मूल	123.85		
पुनर्वि.	(-)17.72	106.13	101.23
			(-)4.90

₹ 17.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2003-04 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद			
2041—वाहन कर			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,27,120		
पूरक	11,600	4,38,720	2,69,720
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,69,000
<i>प्रभारित—</i>	2,010	..	(-)2,010
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			..
पूजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	10		
पूरक	1,00,000	1,00,010	95,800
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)4,210
			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 16.00 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹100.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 116.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,690.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2013-108-3283—मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	246.38	189.44	(-)56.94
(2) 2041-001-3565—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	283.65		
पूरक	100.00	383.65	313.73
			(-)69.92
(3) 2041-101-4280—संग्रह प्रभार—			
मूल	1,612.70		
पूरक	16.00	1,628.70	784.74
			(-)843.96
(4) 2041-102-679—इनफोर्समेंट—			
मूल	1,157.60		
पूरक	सांकेतिक	1,157.60	539.96
			(-)617.64

अनुदान संख्या 36—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2070—114—3598—मोटर गैरेज	701.07	647.11	(-)53.96

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत, 2008—09 से 2012—13 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत तथा 2007—08 से 2012—13 के दौरान भी क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 20.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2070—114—3598—मोटर गैरेज	20.00	..	(-)20.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 42.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
6075—800—5445—सी.आई.डी.सी. को राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उधार—			
मूल	0.10		
पूरक	1,000.00	1,000.10	(-)42.10

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
3452-पर्यटन			
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	4,00,235	4,00,235	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत	3,06,000	43,972	(-)2,62,028
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			2,62,028
टीका एवं टिप्पणियां			

पूंजीगत:

प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5452-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7009-प्रत्येक जिलों में पर्यटन केन्द्रों का विकास-			
मूल	2,180.00		..
पुनर्वि.	(-)2,180.00
₹ 2,180.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 5452-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5613-जिलों में नवीन टूरिस्ट मोटल्स का निर्माण-			
मूल	880.00		..
पुनर्वि.	(-)440.28	439.72	439.72

₹ 440.28 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा वर्ष के अंत में राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
--	-----------------------------	------------------	-------------------

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

4408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय

6408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	2,70,77,745			
पूरक	86,34,599	3,57,12,344	3,35,56,373	(-)21,55,971
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				17,00,747

प्रभारित

50

..

(-)50

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

50

(31 मार्च 2014)

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	58,12,521			
पूरक	5,60,000	63,72,521	58,89,216	(-)4,83,305
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,76,793

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 3,35,563.73 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया (₹ 48,096.00 लाख) अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त एवं जनवरी 2014 (₹ 38,249.99 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 86,345.99 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था।

(ii) ₹ 21,559.71 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 17,007.47 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन तथा उपलब्ध विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2235-60-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना-			
मूल	42,500.00		
पूरक	57,530.00		
पुनर्वि.	(-)12,754.76	87,275.24	87,276.26
			+1.02

₹ 12,754.76 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से राशि विमुक्त हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (₹ 12,750.00 लाख)। शेष ₹ 4.76 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2408-01-001-629—उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ—			
मूल	640.00		
पूरक	237.00		
पुनर्वि.	(-)299.84	577.16	576.91
			(-)0.25
₹ 299.84 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 108.44 लाख) तथा मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 191.40 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(3) 2408-01-102-3229—नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विभाग से राशि की विमुक्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2408-01-102-6964—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता—			
मूल	35.20		
पूरक	130.00		
पुनर्वि.	(-)99.97	65.23	65.23
			..
₹ 99.97 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा अनाज संग्रहण हेतु ड्रम क्रय करने के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2408-01-102-8674—राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति—			
मूल	20,000.00		
पूरक	20,000.00		
पुनर्वि.	(-)18,000.00	22,000.00	20,400.00
			(-)1,600.00
₹ 18,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8673—कोर पी.डी.एस. "मेरी मर्जी योजना"			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)192.50	157.50	157.50
			..
₹ 192.50 लाख की प्रत्याशित बचत विभाग से राशि की विमुक्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(7) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9993—रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान—			
मूल	2,273.50		
पूरक	1,026.50		
पुनर्वि.	(-)926.14	2,373.86	2,373.86
			..
₹ 926.14 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2408-01-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8894-पीली मटर दाल वितरण योजना	11,400.00	11,000.00	(-)400.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(9) 2408-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8933-शक्कर वितरण योजना-			
पूरक	1,975.00
पुनर्वि.	(-)1,975.00
₹ 1,975.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(10) 2408-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8669-आटा वितरण योजना-			
मूल	170.00		
पुनर्वि.	(-)111.83	58.17	58.17
₹ 111.83 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(11) 2408-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8894-पीली मटर दाल वितरण योजना-			
पूरक.	4,187.50	4,187.50	..
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-102-7302-समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसानों को बोनस-			
मूल	1,75,000.00		
पुनर्वि	17,801.00	1,92,801.00	1,94,401.00
+1,600.00			

₹ 17,801.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 18,000.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 199.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। प्रावधान में वृद्धि किसानों को ₹ 270/ प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण राशि अप्रयुक्त थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 58,892.16 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 5,600.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक था।

(vii) ₹ 4,833.05 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 1,767.93 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन तथा उपलब्ध विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

अनुदान संख्या 39—समाप्त

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4408-02-195-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7478-नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु-			
मूल	3,500.00		
पुनर्वि.	(-),1,000.00	2,500.00	(-),2,500.00
₹ 1000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 6408-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6914-पहुंच विहीन क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में खाद्यान्न भण्डारण हेतु सहायता-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-),61.88	188.12	+1.60
₹ 61.88 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 6408-02-190-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण-			
मूल	2,375.21		
पुनर्वि.	(-),696.65	1,678.56	(-),566.71
₹ 696.65 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 40—आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2705—कमान क्षेत्र विकास			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	59,328	51,438	(-) 7,890
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			7,619
प्रभारित	10	..	(-) 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	5,68,000		
पूरक	2,50,000	8,18,000	(-) 542
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			558

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 78.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 76.19 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 3436—महानदी कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण—			
मूल	128.06		
पुनर्वि.	(-)17.67	110.39	(-)3.09
(2) 2705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5593—हसदेव विकास प्राधिकरण—			
मूल	71.90		
पुनर्वि.	(-)24.01	47.89	(-)0.35
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 17.67 लाख एवं ₹ 24.01 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6304—सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान—			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)11.95	168.05	(-)129.93

अनुदान संख्या 40—समाप्त

₹ 11.95 लाख की प्रत्याशित बचत फील्ड चैनल के निर्माण हेतु आबंटित बजट से पी.आई.एम. की अधिक राशि प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2705-209-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6305-सिंचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान-			
मूल	192.50		
पुनर्वि.	(-)20.56	171.94	301.89
			+129.95

₹ 20.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) ₹ 5.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 5.58 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) उचंत लेन देन:-

उचंत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेख के नीचे टिप्पणी (v) में दी गए हैं।

विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत 2013-14 तक इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2013 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंतशेष 31 मार्च 2014 को नामे+ जमा (-)
-------	--	--------------------------	-------------------------	--

4701-मध्यम सिंचाई पर
पूँजीगत परिव्यय-

(₹ लाख में)

(1) क्रय	(-)4.74	(-)4.74
(2) भण्डार	(-)0.03	(-)0.03
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+15.07	+15.07
योग	+10.30	+10.30

अनुदान संख्या 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष-

- 2202-सामान्य शिक्षा
 2203-तकनीकी शिक्षा
 2205-कला एवं संस्कृति
 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2215-जल पूर्ति तथा सफाई
 2216-आवास
 2217-शहरी विकास
 2220-सूचना तथा प्रचार
 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230-श्रम तथा रोजगार
 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2236-पोषण
 2401-फसल कृषि-कर्म
 2402-मृदा तथा जल संरक्षण
 2403-पशु-पालन
 2405-मछली-पालन
 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 2425-सहकारिता
 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505-ग्राम रोजगार
 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2702-लघु सिंचाई
 2801-बिजली
 2810-नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852-उद्योग
 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215-जल पूर्ति और मल निकासी पर पूंजीगत परिव्यय
 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य
 पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय
 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6408-खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज
 6425-सहकारिता के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 41—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	3,94,50,070		
पूरक	75,74,230	4,70,24,300	3,62,94,580
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-) 1,07,29,720 79,58,954
प्रभारित	10	..	(-) 10 ..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			
पूँजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,95,82,740		
पूरक	6,30,649	2,02,13,389	1,39,46,112
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-) 62,67,277 53,46,668
प्रभारित	1,500	..	(-) 1,500 1,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 32,565.08 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 43,177.22 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 75,742.30 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,07,297.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 79,589.54 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5634-कस्तूरबा गांधी आवासीय याजना	400.00	207.42	(-) 192.58
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5660-एन.पी.ई.जी.ई.एल.	200.00	..	(-) 200.00
सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(3) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 494-आश्रम— मूल	9,256.20		
पुनर्वि.	(-) 1,045.61	8,210.59	8,378.92
			(-) 168.33

अनुदान संख्या 41—जारी

₹ 1,045.61 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,485.03 लाख की कमी एवं ₹ 439.42 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निधियों के लिए मांग होने (₹ 437.09 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 2.33 लाख की वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5092-मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना- मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)355.76	744.24	681.77	(-)62.47
₹ 355.76 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3673-राज्य छात्रवृत्तियां- मूल 4,200.00 पुनर्वि. (-)138.20	4,061.80	3,872.27	(-)189.53
₹138.20 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना- मूल 999.00 पुनर्वि. (-)650.30	348.70	419.51	+70.81
₹ 650.30 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(7) 2202-01-796-111-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5396-सर्व शिक्षा अभियान	31,000.00	17,270.00	(-)13,730.00
(8) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5169-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	5,213.00	3,739.15	(-)1,473.85
(9) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	3,771.00	2,760.37	(-)1,010.63
(10) 2202-02-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6944-पुस्तकालय योजना	250.00	0.50	(-)249.50
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत एवं 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2202-02-796-109-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2675—पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां— मूल 2,300.00 पुनर्वि. (-)1,341.48	958.52	958.52	..
₹ 1,341.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(12) 2202-02-796-109-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8956—प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति— पूरक 6,205.17 पुनर्वि. (-)6,205.17
₹ 6,205.17 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(13) 2202-02-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6794—सूचना एवं संचार तकनीकी	1,352.80	115.94	(-)1,236.86
(14) 2202-02-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	4,700.00	2,764.89	(-)1,935.11
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13), 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1398—छात्रावास— मूल 5,812.50 पुनर्वि. (-)1,132.74	4,669.76	4,827.69	+147.93
₹ 1,132.74 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 3.66 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,136.40 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निधियों के लिए मांग होने एवं कमी रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने (₹ 3.66 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,132.74 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2194—विशेष कोचिंग केन्द्र योजना— मूल 175.00 पुनर्वि. (-)103.27	71.73	68.87	(-)2.86
₹ 103.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(17) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2501—परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)186.94	13.06	77.17	+64.11
₹ 186.94 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5216-माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	5,259.00		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	(-794.46)	4,494.54	4,614.50
			+119.96
₹ 794.46 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 1.68 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 792.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(19) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5551-हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय-			
मूल	2,300.00		
पुनर्वि.	(-160.46)	2,139.54	2,155.71
			+16.17
₹ 160.46 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(20) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6755-कम्प्यूटर शिक्षा योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-200.00)
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के क्रियान्वयन नहीं होने (₹ 96.03 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 103.97 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 762-कन्या शिक्षा परिसर-			
मूल	221.00		
पुनर्वि.	(-201.48)	19.52	38.07
			+18.55
₹ 201.48 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8549-विज्ञान-वाणिज्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना-			
मूल	218.10		
पुनर्वि.	(-139.87)	78.23	78.23
			..
₹ 139.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(23) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7289-सरगुजा विश्वविद्यालय	500.00	225.00	(-275.00)
(24) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7290-बस्तर विश्वविद्यालय	750.00	350.00	(-400.00)
(25) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7445-सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय	650.00	250.00	(-400.00)
(26) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8924-सरगुजा विश्वविद्यालय के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय	600.00	200.00	(-400.00)

अनुदान संख्या 41—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (23) से (26) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(27) 2202-80-796-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,834.00	..	(-)1,834.00
--	----------	----	-------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(28) 2203-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं- मूल 569.10 पुनर्वि. (-)209.02	360.08	364.82	+4.74
---	--------	--------	-------

₹ 209.02 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 170.39 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 38.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 2203-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 2667-पॉलीटेक्निक- मूल 430.20 पुनर्वि. (-)324.86	105.34	105.18	(-)0.16
--	--------	--------	---------

₹ 324.86 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 303.24 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 21.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 1353-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय-	1,805.20	1,389.34	(-)415.86
---	----------	----------	-----------

(31) 2210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 1473-जिला चिकित्सालय- मूल 3,763.70 पुरक (-)50.00	3,813.70	2,472.23	(-)1,341.47
--	----------	----------	-------------

उपरोक्त क्रम संख्या (30) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 2210-796-200-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 7463-कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं आघात रोगों के रोकथाम	199.00	..	(-)199.00
---	--------	----	-----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(33) 2210-796-200-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 7464-वयोवृद्ध स्वास्थ्य संरक्षण	79.80	5.00	(-)74.80
---	-------	------	----------

(34) 2210-03-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 9360-मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	1,520.00	684.00	(-)836.00
---	----------	--------	-----------

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(35) 2210-03-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9360—चलित जीवन ज्योति औषधालयों की स्थापना	210.00	109.00	(-)101.00
उपरोक्त क्रम संख्या (33) से (35) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(36) 2210-03-796-198-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)— मूल 5,091.90 पुनर्वि. (-)180.00	4,911.90	4,996.48	(-)84.58
(37) 2210-03-796-198-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,870.30 पुनर्वि. (-)140.00	2,730.30	2,265.46	(-)464.84
उपरोक्त क्रम संख्या (36) एवं (37) के शीर्षान्तर्गत ₹ 180.00 लाख एवं ₹ 140.00 लाख की प्रत्याशित बचत अधीनस्थ कार्यालयों में कम व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (36) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(38) 2210-03-796-800-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6884—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	8,000.00	4,828.44	(-)3,171.56
(39) 2210-04-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	242.80	103.48	(-)139.32
(40) 2210-05-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5689—चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना	2,152.40	1,404.60	(-)747.80
(41) 2210-06-796-003-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	470.00	10.00	(-)460.00
(42) 2210-06-796-003-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	446.00	250.21	(-)195.79
(43) 2210-06-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5026—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान	760.00	645.00	(-)115.00

उपरोक्त क्रम संख्या (38) से (43) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (39) एवं 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (40) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(44) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5688-मुख्यमंत्री दवा पेटी-			
मूल	340.00		
पुनर्वि.	(-150.00)	190.00	(-)190.00
₹ 150.00 लाख की प्रत्याशित बचत अधीनस्थ कार्यालयों में कम व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(45) 2210-80-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6960-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-			
मूल	894.90		
पुनर्वि.	(-)650.00	244.90	244.90
₹ 650.00 लाख की प्रत्याशित बचत स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का कम भुगतान किये जाने के कारण सूचित की गई है।			
(46) 2210-80-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7397-छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉस सर्विसेस योजना	788.50	583.99	(-)204.51
(47) 2211-796-001-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 1508-जिला स्तरीय अमला	197.70	124.54	(-)73.16
(48) 2211-796-101-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र	6,741.10	5,930.79	(-)810.31
उपरोक्त क्रम संख्या (46) से (48) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (47) एवं (48) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(49) 2215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)449.80	4,550.20	4,544.35
₹ 449.80 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(50) 2215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4378-समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल प्रदाय-			
मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)108.21	1,191.79	1,194.57
₹ 108.21 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(51) 2215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9937-पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	430.00		
पुनर्वि.	(-)91.01	338.99	341.91

अनुदान संख्या 41-जारी

₹ 91.01 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(52) 2215-01-796-192-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7315-जसपुर जल प्रदाय योजना-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)260.00	140.00	..
₹ 260.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(53) 2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6875-राजपुर जल प्रदाय योजना	300.00	225.00	(-)75.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(54) 2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6882-किरनदुल जल प्रदाय योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00
(55) 2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7369-पंखाजुर जल प्रदाय योजना-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00
उपरोक्त क्रम संख्या (54) एवं (55) के शीर्षान्तर्गत ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(56) 2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8620-नईलेदरी नल जल प्रदाय योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
(57) 2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8621-खोंगापानी नल जल प्रदाय योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (56) एवं (57) के शीर्षान्तर्गत ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(58) 2215-01-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9938-भू-जल स्रोतों का रिचार्जिंग-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
(59) 2215-02-796-107-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5504-सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (58) एवं (59) के शीर्षान्तर्गत ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(60) 2215-02-796-001-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6979-विभागीय आवास ग्रहों का रख रखाव-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)38.47	461.53	403.48
			(-)58.05
(61) 2225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5024-आदिवासी विशेष पिछड़े समूह-			
मूल	2,200.00		
पुनर्वि.	(-)950.78	1,249.22	1,234.39
			(-)14.83
उपरोक्त क्रम संख्या (60) एवं (61) के शीर्षान्तर्गत ₹ 38.47 लाख एवं ₹ 950.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (61) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(62) 2225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 5211-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम-			
मूल	10,079.30		
पुनर्वि.	(-)4,277.55	5,801.75	6,353.81
			+552.05
₹ 4,277.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(63) 2225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 5212-माडा क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम-			
मूल	1,074.70		
पुनर्वि.	(-)572.95	501.75	486.45
			(-)15.30
₹ 572.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(64) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5601-बस्तर विकास प्राधिकरण-			
मूल	3,550.00		
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	(-)108.96	3,641.04	3,602.26
			(-)38.78
₹ 108.96 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 408.96 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निधियों के लिए मांग होने एवं कमी निधियों के लिए मांग न होने (₹ 300.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 108.96 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(65) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5602-सरगुजा/जसपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	3,550.00		
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	(-)433.57	3,316.43	3,679.56
			+379.63
₹ 433.57 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 733.57 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(66) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7344-छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास कार्यक्रम-			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)75.00	45.00	45.00
₹ 75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(67) 2225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	461.62	310.19	(-)151.42
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(68) 2225-02-796-800-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 9819-विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण-			
मूल	715.00		
पुनर्वि.	(-)167.00	547.99	443.34
₹ 167.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(69) 2225-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9853-आदिवासी संस्कृति का परिक्षण एवं विकास-			
मूल	550.00		
पुनर्वि.	(-)157.57	392.43	439.45
₹ 157.57 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(70) 2230-03-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	231.50		
पुनर्वि.	(-)131.52	99.98	98.10
₹ 131.52 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(71) 2230-03-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	3,347.50		
पुनर्वि.	(-)1,098.91	2,248.59	2,230.73
₹ 1,098.91 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,106.91 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(72) 2230-03-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7438-स्टेट रिकल डेवलपमेंट मिशन-			
पूरक	283.00		
पुनर्वि.	(-)240.34	42.66	49.15
₹ 240.34 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(73) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 19,860.17 पुनर्वि. (-)6,917.14	12,943.03	12,637.82	(-)305.21

₹ 6,917.14 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 4,041.06 लाख), चिकित्सा, अवकाश यात्रा रियायत एवं दौरे के दावों के प्राप्त नहीं होने (₹ 51.01 लाख), मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 46.74 लाख), कम आंगनबाड़ी भवनों के किराये पर लिए जाने (₹ 604.57 लाख), आंगनबाड़ी भवनों के अनुरक्षण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 149.11 लाख), स्नेह शिविर के कम आयोजन किये जाने (₹ 203.64 लाख) एवं मेडीसिन किट के क्रय की निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होने (₹ 1,035.73 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 485.28 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(74) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9130-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का परिवीक्षण— मूल 286.70 पुनर्वि. (-)155.12	131.58	123.58	(-)8.00
---	--------	--------	---------

₹ 155.12 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(75) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय— मूल 3,252.00 पुनर्वि. (-)620.23	2,631.77	2,644.79	+13.02
---	----------	----------	--------

₹ 620.23 लाख की प्रत्याशित बचत नये आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(76) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7365-अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम— मूल 125.00 पुनर्वि. (-)118.70	6.30	6.30	..
--	------	------	----

₹ 118.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(77) 2235-60-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना— मूल 32,300.00 पूरक 43,724.00 पुनर्वि. (-)9,804.00	66,220.00	66,220.00	..
---	-----------	-----------	----

₹ 9,804.00 लाख की प्रत्याशित बचत विभाग से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(78) 2236-02-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 414—आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना— मूल 17,480.00 पुनर्वि. (-)11,492.81	5,987.19	15,811.52	+9,824.33
₹ 11,492.81 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(79) 2236-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम— विशेष पोषण आहार योजना— मूल 1,240.40 पुनर्वि. (-)205.04	1,035.35	1,101.03	+65.68
₹ 205.04 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 24.45 लाख की वृद्धि एवं ₹ 229.49 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि आंगनबाड़ियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के कारण एवं कमी देयकों का भुगतान नहीं होने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(80) 2401-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5411—आईसोपाम विकास योजना— मूल 836.00 पुनर्वि. (-)491.66	344.34	342.76	(-)1.58
₹ 491.66 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(81) 2401-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 1,710.00 पुनर्वि. (-)129.69	1,580.31	1,581.64	+1.33
₹ 129.69 लाख की प्रत्याशित बचत पात्र हितग्राही उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(82) 2401-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8634—दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना— मूल 133.00 पुनर्वि. (-)131.87	1.13	1.13	..
₹ 131.87 लाख की प्रत्याशित बचत बीज निगम द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(83) 2401-796-108-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 13,680.00 पुनर्वि. (-)6,711.25	6,968.75	6,869.02	(-)99.73

अनुदान संख्या 41-जारी

₹ 6,711.25 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(84) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 4838-माइक्रो मैनेजमेंट वर्किंग प्लान-			
मूल	950.00		
पुनर्वि.	(-)939.60	10.40	10.40 ..

₹ 939.60 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना बंद किए जाने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2014)।

(85) 2401-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8540-श्री विधि द्वारा धान की उत्पादकता वृद्धि के लिए योजना-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)54.62	325.38	307.51 (-)17.87

₹ 54.62 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(86) 2401-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8541-धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन-			
मूल	912.00		
पुनर्वि.	(-)302.91	609.09	611.77 +2.68

₹ 302.91 लाख की प्रत्याशित बचत अत्यधिक वर्षा होने (₹ 64.91 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 238.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(87) 2401-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8702-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस फण्ड)-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)219.86	160.14	160.14 ..

₹ 219.86 लाख की प्रत्याशित बचत बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार भुगतान किए जाने (₹132.37 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 87.49 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(88) 2401-796-113-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8906-कृषि उद्यमियों को ब्याज अनुदान-			
मूल	76.00		
पुनर्वि.	(-)76.00

₹ 76.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रकरण प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(89) 2401-796-119-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	5,320.00		
पुनर्वि.	(-)4,339.07	980.93	980.93 ..

₹ 4,339.07 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(90) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2794-स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान-			
मूल	286.00		
पुनर्वि.	(-)126.00	160.00	160.00
(91) 2401-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2794-स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान-			
मूल	570.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	320.00	320.00
उपरोक्त क्रम संख्या (90) एवं (91) के शीर्षान्तर्गत ₹ 126.00 लाख एवं ₹ 250.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(92) 2403-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2549-पशु औषधालय एवं चिकित्सालय-			
मूल	443.90		
पुनर्वि.	सांकेतिक	443.90	109.23
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(93) 2403-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7471-नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान-			
मूल	484.88		
पुनर्वि.	(-)145.46	339.42	182.95
₹ 145.46 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों का चुनाव नहीं होने से नाबार्ड द्वारा राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(94) 2403-796-108-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2,508.00	491.16	(-)2,016.84
(95) 2403-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8317-बस्तर जिले में पशुधन विकास	269.00	165.34	(-)103.66
उपरोक्त क्रम संख्या (94) एवं (95) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (95) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(96) 2405-796-101-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)564.42	635.58	633.91
₹ 564.42 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(97) 2406-01-796-101-0602- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित- 3874-वन ग्रामों का विकास- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(98) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5091-लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना- मूल 287.50 पुनर्वि. (-)187.50	100.00	95.57	(-)4.43
₹ 187.50 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(99) 2406-01-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00
₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(100) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 3730-प्रोजेक्ट टाईगर- मूल 1,225.00 पुनर्वि. (-)427.25	797.75	802.99	+5.24
₹ 427.25 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(101) 2408-01-796-190-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8933-शक्कर वितरण योजना- मूल 1,501.00 पुनर्वि. (-)1,501.00
₹ 1,501.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(102) 2408-01-796-190-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9993-रियायती दर पर आयोजाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान- मूल 1,728.00 पूरक 780.14 पुनर्वि. (-)704.01	1,804.13	1,804.13	..
₹ 704.01 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(103) 2425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु ब्याज अनुदान- मूल 3,800.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)77.00	3,723.00	3,723.00	..

अनुदान संख्या 41-जारी

₹ 77.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(104) 2425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8930-प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान-			
मूल	500.00
पुनर्वि.	(-)500.00

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से लाईसेंस प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(105) 2501-02-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम-			
मूल	1,041.28		
पुनर्वि.	(-)910.58	130.70	130.70

₹ 910.58 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश के अनुरूप राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(106) 2501-04-796-902-0410-उर्जा विकास निधि- 3220-छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान-			
मूल	624.50		
पुनर्वि.	(-)324.50	300.00	300.00

₹ 324.50 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(107) 2501-06-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-			
मूल	2,090.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	1,090.00	1,090.00

(108) 2501-06-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8775-प्रशासन योजना जिला स्तर-			
मूल	285.38		
पुनर्वि.	(-)138.05	147.33	147.33

उपरोक्त क्रम संख्या (107) एवं (108) के शीर्षान्तर्गत ₹ 1,000.00 लाख एवं ₹ 138.05 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश के अनुरूप राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।।

(109) 2505-60-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6728-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	10,600.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	9,600.00	5,165.69

(-)4,434.31

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(110) 2801-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6825-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-			
मूल	950.00		
पुनर्वि.	(-)523.00	427.00	427.00
उपरोक्त क्रम संख्या (109) एवं (110) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,000.00 लाख एवं ₹ 523.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही क्रम संख्या (109) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (110) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(111) 2801-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7305-5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान-			
मूल	5,928.00		
पूरक	760.00		
पुनर्वि.	(-)2,642.00	4,046.00	4,046.00
₹ 2,642.00 लाख की प्रत्याशित बचत अनुसूचित जनजाति वर्गों में कम कृषि पम्प होने के कारण सूचित की गई है।			
(112) 2810-02-796-800-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8670-सोलर लेम्प/सोलर स्टडी लेम्प का निःशुल्क प्रदाय-			
पूरक	1,506.00		
पुनर्वि.	(-)1,506.00
₹ 1,506.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से राशि का विमुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(113) 2810-60-796-902-0410-उर्जा विकास निधि- 3188-उर्जा विकास संस्था को सहायक अनुदान-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	200.00	200.00
(114) 2810-60-796-902-0410-उर्जा विकास निधि- 3220-छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान-			
मूल	466.50		
पुनर्वि.	(-)266.50	200.00	200.00
(115) 2810-60-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5415-ग्रामीण ऊर्जा को अनुदान-			
मूल	1,870.00		
पुनर्वि.	(-)824.00	1,046.00	1,046.00
उपरोक्त क्रम संख्या (113) से (115) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 200.00 लाख, ₹ 266.50 लाख तथा ₹ 824.00 लाख वित्त विभाग से राशि विमुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने के कारण सूचित की गए हैं।			
(116) 2851-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)369.73	630.27	629.79
₹ 369.73 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(117) 2851-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8562-कोंडागाँव में शिल्प सिटी की स्थापना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-110.00)	90.00	90.00

₹ 110.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(118) 2852-80-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5451-अंशपूजी सहायता योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-82.85)	17.15	17.15

₹ 82.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	600.00	733.24	+133.24

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 581-उच्चतर माध्यमिक शाला-			
मूल	8,442.00		
पूरक	1,430.00		
पुनर्वि.	641.90	10,513.90	9,982.95

₹ 641.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,855.73 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,213.83 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि निधियों के लिए मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(3) 2202-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 672-एच्छिक संस्थाओं का शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान-			
मूल	2,779.50		
पूरक	35.00		
पुनर्वि.	124.76	2,939.26	3,122.69

₹ 124.76 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 486.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 361.74 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि निधियों के लिए मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय-			
मूल	3,205.90		
पूरक	50.00	3,255.90	3,720.33

अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2210-03-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	3,311.80		
पुनर्वि.	(-140.00)	3,171.80	3,491.85
			+320.05
₹ 140.00 लाख की प्रत्याशित बचत अधीनस्थ कार्यालयों में कम व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(6) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4244-शीत ज्वर-			
मूल	1,065.20		
पुनर्वि.	610.00	1,675.20	1,207.62
			(-)467.58
₹ 610.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 650.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 40.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि लिलिन मच्छरदानियों के लिए सीमा शुल्क का भुगतान किए जाने एवं कमी अधीनस्थ कार्यालयों में कम व्यय होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(7) 2210-80-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8645-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना-			
मूल	760.00		
पूरक	760.00		
पुनर्वि.	(-)650.00	2,170.00	2,170.00
			..
₹ 650.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्डों की संख्या में वृद्धि के कारण सूचित की गई है।			
(8) 2216-03-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6549-इंदिरा आवास योजना-			
मूल	2,527.00		
पूरक	1,140.00		
पुनर्वि.	1,000.00	4,667.00	5,225.79
			+858.79
₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(9) 2401-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8808-वनग्रामों के पट्टाधारी कृषकों को निःशुल्क प्रमाणित बीज एवं उर्वरक वितरण-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	357.02	857.02	840.27
			(-)16.75
₹ 357.02 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 395.49 लाख की वृद्धि एवं ₹ 38.47 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि धान, मक्का, बीज एवं उर्वरक का पट्टाधारी कृषकों को निःशुल्क वितरण किए जाने (₹ 87.49 लाख) एवं वर्ष के अंत में पुनर्विनियोजन द्वारा राशि प्राप्त होने (₹ 308.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(10) 2515-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	1,578.00		
पुनर्वि.	(-)119.96	1,458.00	1,614.93
			+156.89
₹ 119.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2801-06-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6501-एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान-			
मूल	4,036.70		
पूरक	190.00		
पुनर्वि.	3,165.00	7,391.70	7,391.70
₹ 3,165.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अधिक संख्या में एकल बत्ती कनेक्शन होने के कारण सूचित किए गए हैं।			..

(12) 2852-80-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9068-औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	140.58	740.58	740.58
₹ 140.58 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।			..

प्रभारित-

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 4,351.49 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 1,955.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,306.49 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 62,672.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 53,466.68 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-796-202-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			..
(2) 4202-01-796-202-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 1400- छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)370.30	629.70	592.06
			(-)37.64
(3) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण-			
मूल	5,782.00		
पूरक	40.00		
पुनर्वि.	(-)2,988.49	2,833.51	3,481.83
			(-)648.32

अनुदान संख्या 41-जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 370.30 लाख एवं ₹ 2,988.49 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9840-शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण-			
मूल	950.00		
पुनर्वि.	(-431.87	518.13	548.66
			+30.53
(5) 4202-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-694.62	5.38	30.36
			+24.98

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत ₹ 431.87 लाख एवं ₹ 694.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(6) 4202-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7438-स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन-			
पूरक	1,500.00		
पुनर्वि.	(-1,023.08	476.92	476.92
			..

₹ 1,023.08 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 540.30 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1563.38 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि छात्रावास स्किल डेवलपमेंट सेंटर भवन एवं बाउंड्रीवाल निर्माण के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4202-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	700.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-550.84	149.16	149.16
			..

₹ 550.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(8) 4202-02-796-104-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-1,100.00
			..

₹ 1,100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियों के प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 4202-02-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2667-पॉलीटेक्निक-			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-279.34	70.66	70.66
			..

₹ 279.34 लाख की प्रत्याशित बचत चुनाव आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं सामग्रियों के क्रय नही किए जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	100.00	0.08	(-)99.92
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4210-02-796-103-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उप योजना)- 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	724.50	..	(-)724.50
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5689-चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना	425.00	36.31	(-)388.69
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(13) 4210-04-796-112-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	100.00	..	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5403-ग्रामीण पाईप जल प्रदाय योजना- मूल 2,200.00 पुनर्वि. (-)373.97	1,826.03	125.75	(-)1,700.28
₹ 373.97 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4215-02-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5699-शालाओं की शौचालय व्यवस्था- मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गए हैं (जुलाई 2014)।			
(16) 4225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	300.00	..	(-)300.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4225-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार {अनुच्छेद 275(1)}-	10,221.50 पुनर्वि. (-)4,139.84	6,081.66	6,405.32 +323.66

अनुदान संख्या 41—जारी

₹ 4,139.84 लाख की प्रत्याशित के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010—11 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 4235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 1,596.00 पूरक 1,955.00 पुनर्वि (-)1,331.63	2,219.37	2,212.50	(-)6.87
₹ 1,331.63 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की द्वितीय किस्त प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(19) 4515—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7493—विधानसभा क्षेत्र विकास योजना— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)5.54	3,494.46	2,845.88	(-)648.58
₹ 5.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(20) 4700—03—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2898—बांध एवं संलग्न कार्य— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)597.44	502.56	493.64	(-)8.92
₹ 597.44 लाख की प्रत्याशित बचत पौधरोपण क्षतिपूर्ति प्रकरणों के निराकरण न होने, चुनाव आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं असामयिक अत्यधिक वर्षा होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(21) 4701—16—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
(22) 4701—17—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
(23) 4701—22—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (23) के शीर्षान्तर्गत ₹ 100.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नई योजनाओं के लिए केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(24) 4701—23—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 4701-24-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	110.00		
पुनर्वि.	(-)108.99	1.01	1.01
₹108.99 लाख की प्रत्याशित बचत भूमि अधिग्रहण प्रकरण के निराकरण नहीं होने (₹ 8.99 लाख) एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹100.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 4702-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7405-मरम्मत/नवीनीकरण/ पुनरोद्धार-			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)8,982.95	1,017.05	1,016.04
₹ 8,982.95 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 7,006.95 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,976.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3828-लघु सिंचाई योजना-			
मूल	20,222.00		
पुनर्वि.	(-)1,492.10	18,729.90	19,519.82
₹ 1,492.10 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 476.00 लाख की वृद्धि तथा ₹1,968.10 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि केम्पा (राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भुगतान किए जाने एवं कमी आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने एवं असामयिक अत्यधिक वर्षा होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वे-			
मूल	540.00		
पुनर्वि.	(-)77.04	462.96	434.77
₹ 77.04 लाख की प्रत्याशित बचत सर्वेक्षण कार्य के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(29) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7422-औद्योगिक जल आधारभूत विकास-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,167.54	1,832.46	1,832.46
₹ 5,167.54 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(30) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4871-सड़क पर पुलों का निर्माण- "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना"-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)6,000.00

अनुदान संख्या 41-जारी

₹ 6,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निविदा प्रीमियम के कम भुगतान होने (₹ 3,900.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 2,100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना- मूल 17,100.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)5,456.75	11,643.25	9,884.13	(-)1,759.12
₹ 5,456.75 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की मांग कम होने (₹ 5,000.00 लाख) एवं निविदा प्रक्रिया स्थगित होने (₹ 456.75 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 7,800.00 पुनर्वि. (-)2,600.00	5,200.00	3,000.00	(-)2,200.00
₹ 2,600.00 लाख के पुनर्विनियोगन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 3,900.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6,500.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निविदा प्रीमियम के भुगतान किए जाने एवं कमी लंबित देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(33) 6215-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं- मूल 700.00 पुनर्वि. (-)628.40	71.60	171.60	+100.00
₹ 628.40 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 6401-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7283-छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण- मूल 15,200.00 पुनर्वि. (-)11,900.00	3,300.00	3,300.00	..
₹ 11,900.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(35) 6408-02-796-190-0311-नाबार्ड घोषित योजनायें (सामान्य)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण- मूल 1,792.00 पुनर्वि. (-)529.76	1,262.24	845.01	(-)417.23
₹ 529.76 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य भण्डागार निगम द्वारा राशि विमुक्त किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 6425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5055-सरकारी शक्कर कारखाना- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)900.00	1,100.00	1,100.00	..
₹ 900.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4342-भवन एवं सड़कों का निर्माण-			
मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	60.00	1,360.00	(-)28.84

₹ 60.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 4701-08-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	299.10	599.10	..

₹ 299.10 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.90 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि लंबित दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(3) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5059-एनिकट/स्टापडेम का निर्माण-			
मूल	19,500.00		
पुनर्वि.	1,175.59	20,675.59	(-)113.16

₹ 1,175.59 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 324.41 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि लंबित दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(4) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना-			
मूल	9,500.00		
पुनर्वि.	3,813.93	13,313.93	(-)2,508.48

₹ 3,813.93 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,186.07 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण एवं कमी रेत खनन में प्रतिबंध होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

प्रभारित-

(x) ₹ 15.00 लाख की सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया।

(xi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4701-80-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1831-डिक्री धन का भुगतान-			
मूल	5.00		
पुनर्वि.	(-)5.00

अनुदान संख्या 41—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4702-80-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1831-डिक्री धन का भुगतान-			
मूल	10.00
पुनर्वि.	(-)10.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 5.00 लाख एवं ₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	44,85,200		
पूरक	52,001	45,37,201	26,86,855
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)18,50,346

प्रभारित

16,000

1,767

(-)14,233

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

..

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 520.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 18,503.46 लाख की बचत होते हुए भी वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, यह प्रचलन त्रुटिपूर्ण बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	

(1) 5053-02-796-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—
4727—हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार 1,000.00 379.09 (-)620.91

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4149—वृहद् पुलों का निर्माण—

मूल	11,460.00		
पूरक	20.00	11,480.00	5,143.19
			(-)6,336.81

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2003-04 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6590—नाबार्ड ऋण सहायता के

अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण—

मूल	5,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	1,000.00	6,000.00	4,388.99
			(-)1,611.01

अनुदान संख्या 42-समाप्त

₹ 1,000.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति एवं दायित्वों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2457-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	8,000.00	2,278.03	(-)5,721.97

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3539-मुख्य जिला सड़कें-			
मूल	13,530.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)2,035.00	11,495.00	8,257.56
			(-)3,237.44

₹ 2,035.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अशंत: प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-03-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3710-राज्यों के राजमार्ग-			
मूल	5,500.00		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	800.00	6,800.00	6,111.64
			(-)688.36

₹ 800.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति एवं दायित्वों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

प्रभारित-

(v) ₹ 142.33 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	160.00	17.67	(-)142.33

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं(जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं

4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	5,50,184			
पूरक	50,000	6,00,184	1,95,186	(-)4,04,998
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				4,05,541

प्रभारित	25	..		(-)25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				25

पूंजीगत :

दत्तमत—

पूरक	17,900	17,900	17,900	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 4,049.98 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 4,055.41 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2204-103-2323-निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	586.83		
पुनर्वि.	(-)305.66	281.17	282.32
			+1.15

₹ 305.66 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 258.80 लाख) एवं जिलों से मांग प्राप्त न होने (₹ 12.43 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 34.43 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

5429-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(-)42.54	157.46	158.56	+1.10

₹ 42.54 लाख की प्रत्याशित बचत विधान सभा चुनाव के कारण खेलों का आयोजन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 43—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2204-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7304-पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान-			
मूल	2,915.00
पुनर्वि.	(-)2,915.00
₹ 2,915.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण-			
मूल	165.00	64.85	71.05
पुनर्वि.	(-)100.15	..	+6.20
₹ 100.15 लाख की प्रत्याशित बचत विधान सभा चुनाव के कारण खेलों का आयोजन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन-			
मूल	350.00	249.36	248.44
पुनर्वि.	(-)100.64	..	(-)0.92
₹ 100.64 लाख की प्रत्याशित बचत विधान सभा चुनाव के कारण खेलों का आयोजन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि-			
मूल	165.00	21.00	21.00
पुनर्वि.	(-)144.00
₹ 144.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(7) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7296-खेल अकादमी-			
पूरक	110.00	1.37	1.37
पुनर्वि.	(-)108.63
₹ 108.63 लाख की प्रत्याशित बचत खेल अकादमी प्रारंभ नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(8) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8559-छत्तीसगढ़ राज्य खेल महोत्सव-			
मूल	320.00	265.63	265.63
पुनर्वि.	(-)54.37
₹ 54.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(9) 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7473-सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल-			
मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पर्याप्त संख्या में निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.25 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष –		
2202—सामान्य शिक्षा		
राजस्व :		
दत्तमत—		
मूल	50,75,470	
पूरक	2,31,000	53,06,470
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		39,01,583
		(-)14,04,887
		14,04,260
प्रभारित	70	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)		
		(-)70
		60

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 2,310.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 14,048.87 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 14,042.60 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ लाख में)			
(1) 2202-03-001-3443-महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय—			
मूल	405.30		
पुनर्वि.	(-)87.49	317.81	315.64
			(-)2.17
₹ 87.49 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-03-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना समान्य— 3753-राष्ट्रीय सेवा योजना—			
मूल	575.00		
पुनर्वि.	(-)216.57	358.43	362.06
			+3.63
₹ 216.57 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5205-पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर—			
मूल	2,400.00		
पूरक	(-)81.61	2,318.39	2,318.39
			..

अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7484-बिलासपुर विश्वविद्यालय-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	150.00	150.00
			..
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत ₹ 81.61 लाख एवं ₹ 150.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-03-103-798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय-			
मूल	28,846.50		
पुनर्वि.	(-)9,985.84	18,860.66	18,845.38
			(-)15.28
₹ 9,985.84 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 5.09 लाख) के कारण सूचित की गई हैं। शेष ₹ 9,980.75 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय-			
मूल	8,447.50		
पुनर्वि.	(-)3,159.13	5,288.37	5,304.39
			+16.02
₹ 3,159.13 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-03-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान-			
मूल	1,710.00		
पूरक	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)165.03	3,044.97	3,044.97
			..
₹ 165.03 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(8) 2202-05-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5716-हिन्दी ग्रंथ अकादमी-			
मूल	55.00		
पुनर्वि	(-)50.00	5.00	5.00
			..
₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य शासन द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.70 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 0.60 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2702—लघु सिंचाई			
4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	4,86,490		
पूरक	9,000	4,96,390	4,75,894
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)20,496 18,740
पूंजीगत:			
मूल	56,42,000		
पूरक	6,60,000	63,02,000	50,51,751
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)12,50,249 12,59,398
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जनवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 99.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 204.96 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 187.40 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2702-03-103-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	335.50		
पूरक	59.00		
पुनर्वि.	(-)47.74	346.76	210.25
			(-)136.51
₹ 47.74 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(2) 2702-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5709-किसान समृद्धि योजना को अनुदान—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)39.58	960.42	928.19
			(-)32.23

₹ 39.58 लाख की प्रत्याशित बचत नलकूपों के लिए विद्युतिकरण के प्रकरण निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 45—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः

प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2702-03-101-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य-			
मूल	1,740.00		
पूरक	40.00		
पुनर्वि.	(-)47.99	1,732.01	1,874.61
			+142.60

₹ 47.99 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

पूँजीगत:

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के समान एवं समकक्ष नहीं था, ₹ 12,502.49 लाख के वृहद बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2013 (₹ 1,000.00 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 5,600.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,600.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 12,502.49 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 12,593.98 लाख का अभ्यर्षण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4702-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7405-मरम्मत/पुनर्नवीनीकरण/पुनरोद्धार-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,439.59	1,060.41	1,060.40
			(-)0.01

₹ 1,439.59 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली से योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3803-माईनर एवं माइक्रो माईनर सिंचाई योजना-			
मूल	11,750.00		
पुनर्वि.	(-)2,499.80	9,250.20	9,196.61
			(-)53.59

₹ 2,499.80 लाख की प्रत्याशित बचत वृक्षारोपण के क्षतिपूर्ति प्रकरणों का निराकरण नहीं होने (₹ 27.32 लाख) एवं निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू हो जाने (₹ 1,272.48 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,200.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(3) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5678-छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास योजना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00

₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्यों के लिए नवीन करार हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 45—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5059-एनीकट/स्टॉपडेम का निर्माण-			
मूल	19,200.00		
पूरक	1,800.00		
पुनर्वि.	(-389.34	20,610.66	20,758.80
			+148.14

₹ 389.34 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,589.34 लाख की कमी एवं ₹ 1,200.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं वृद्धि कार्यों के देयताओं के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण-				
मूल	21,000.00			
पूरक	3,800.00			
पुनर्वि.	(-)6,390.23	18,409.77	18,508.76	+98.99

₹ 6,390.23 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9284-नलकूप की स्थापना-				
मूल	1,010.00			
पुनर्वि.	(-)841.83	168.17	169.09	+0.92

₹ 841.83 लाख की प्रत्याशित बचत नलकूपों के खनन हेतु नीति निर्धारण नहीं किए जाने के कारण सूचित सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उचंत लेन देन:-

उचंत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में दर्शाई गए हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2013 को नामें + जमा(-)	वर्ष के दौरान नामें +	वर्ष के दौरान जमा (-)	अंतशेष 31 मार्च 2014 को नामें + जमा(-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)47.83	(-)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	+42.24
(iv) कार्य शाला उचन्त	+0.04	+0.04
योग	+180.85	+180.85

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
राजस्व	1,69,500	1,11,393	(-)58,107
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			58,107
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3425-60-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5632—साइन्स सिटी की स्थापना—			
मूल	570.00		
पुनर्वि.	(-)415.00	155.00	..
(2) 3425-60-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान—			
मूल	650.00		
पुनर्वि.	(-)166.07	483.93	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 415.00 लाख एवं ₹ 166.07 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2009-10 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (2) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2230—श्रम तथा रोजगार			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	18,01,360		
पूरक	70,000	18,71,360	12,63,746
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)6,07,614 6,02,416
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	20	..	(-)20 20
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	3,75,000		
पूरक	40,000	4,15,000	42,902
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)3,72,098 3,69,617
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 700.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 6,076.14 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 6,024.16 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2203-001-1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—			
मूल	319.60		
पुनर्वि.	(-)81.16	238.44	237.91
			(-)0.53
₹ 81.16 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2203-105-2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं—			
मूल	3,643.00		
पुनर्वि.	(-)653.72	2,989.28	2,966.13
			(-)23.15

₹ 653.72 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2203-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(4) 2203-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 1,256.70 पुनर्वि. (-)832.93	423.77	424.57	+0.80
₹ 832.93 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2203-112-502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल 1,431.60 पुनर्वि. (-)279.06	1,152.54	1,103.41	(-)49.13
₹ 279.06 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2203-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7477—तकनीकी संस्थाओं में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)152.81	247.19	247.19	..
₹ 152.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(7) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल 766.80 पुनर्वि. (-)280.74	486.06	488.52	+2.46
₹ 280.74 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7341—आई.आई.आई.टी.की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत संस्थाओं की स्थापना नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2203-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8643—मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वर्ष 2013-14 में योजना का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2230-02-001-3795—रोजगार संचालनालय— मूल 195.90 पुनर्वि. (-)72.87	123.03	122.37	+0.66
₹ 72.87 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2230-02-101-9147—रोजगार कार्यालय— मूल 841.20 पुनर्वि. (-)297.75	543.45	547.82	+4.37
₹ 297.75 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2230-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8272—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता— मूल 662.50 पुनर्वि. (-)134.49	528.01	527.60	(-)0.41
₹ 134.49 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2230-03-001-9148—प्रशिक्षण संचालनालय— मूल 287.00 पुनर्वि. (-)161.42	125.58	122.52	(-)3.06
₹ 161.42 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2230-03-003-717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 4,425.90 पुनर्वि. (-)508.66	3,917.24	3,935.53	+18.29
₹ 508.66 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 756.00 पुनर्वि. (-)248.79	507.21	501.24	(-)5.97
₹ 248.79 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 1,635.90 पूरक 200.00 पुनर्वि. (-)1,136.57	699.33	705.50	+6.17
₹ 1,136.57 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7438—स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)230.00	170.00	..
(18) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8935—लाइवलिहुड कालेज—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)496.97	3.03	..

उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 230.00 लाख एवं ₹ 496.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम होते हुए जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 400.00 लाख अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vi) ₹ 3,720.98 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 3,696.17 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)864.38	135.62	+0.18

₹ 864.38 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं—

मूल 1,000.00

पूरक 400.00

पुनर्वि. (-)1,237.86

162.14

162.14

..

₹ 1,237.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202-02-104-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं—

मूल 1,150.00

पुनर्वि. (-)1,150.00

..

..

..

₹ 1,150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4202-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)393.50	106.50	81.50
			(-)25.00

₹ 393.50 लाख की प्रत्याशित बचत बलौदा बाजार में सह शिक्षा के अन्तर्गत पॉलीटेक्निक संस्थान प्रारंभ नहीं होने के कारण सूचित की गए हैं (जुलाई 2014)।

(5) 4202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)50.42	49.58	49.58
			..

₹ 50.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 48—तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2055—पुलिस			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी			
3054—सड़क तथा सेतु			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	44,16,324			
पूरक	2,08,980	46,25,304	31,99,763	(-)14,25,541
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				13,20,434

पूंजीगत :

मूल	32,93,236			
पूरक	3,94,844	36,88,080	6,77,972	(-)30,10,108
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				25,06,816

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 1,729.80 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 360.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,089.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 14,255.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 13,204.34 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन तथा उपलब्ध विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-103-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	1,091.20		
पुनर्वि.	960.20	131.00	17.12
			(-)113.88

अनुदान संख्या 48—जारी

₹ 960.20 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 91.57 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,051.77 की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त निधि आबंटित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2014-105-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	196.40		
पूरक	0.03		
पुनर्वि.	(-)196.40	0.03	18.40
			+18.37
₹ 196.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2014-116-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	565.80		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)140.17	425.63	..
			(-)425.63
₹ 140.17 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2054-800-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	185.00		
पुनर्वि.	(-)63.04	121.96	121.96
			..
₹ 63.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2055-101-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	65.40		
पुनर्वि.	(-)2.36	63.04	1.64
			(-)61.40
₹ 2.36 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2203-800-1303—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	108.00		
पुनर्वि.	(-)103.50	4.50	4.50
			..
₹ 103.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(7) 2053-800-1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	342.00		
पुनर्वि.	(-)140.75	201.25	205.65
			+4.40

अनुदान संख्या 48—जारी

₹ 140.75 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2203—800—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)351.69	98.31	98.31	..

₹ 351.69 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(9) 2205—103—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	158.40	94.73	(-)63.67
(10) 2205—103—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	229.00	120.04	(-)108.96

उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं 2012—13 के दौरान क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(11) 2406—01—101—1303—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,077.36 पूरक 183.57 पुनर्वि. (-)45.15	1,215.78	1,183.61	(-)32.17
--	----------	----------	----------

₹ 45.15 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2406—01—101—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 3,639.00 पूरक 764.88 पुनर्वि. (-)661.69	3,742.19	4,125.88	+383.69
---	----------	----------	---------

₹ 661.69 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2406—02—110—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	550.00	253.90	(-)296.10
---	--------	--------	-----------

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2406-02-110-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	850.00	275.08	(-)574.92
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(15) 3054-04-105-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 9,600.00 पुनर्वि. (-)9,600.00
₹ 9,600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 3454-02-800-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 325.24 पूरक 360.00 पुनर्वि. (-)304.21	381.03	382.31	+1.28
₹ 304.21 लाख की प्रत्याशित बचत निधि वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 3454-02-800-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 216.40 पुनर्वि. (-)216.40
(18) 3454-02-800-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 691.60 पुनर्वि. (-)691.60
(19) 3454-02-800-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 910.00 पुनर्वि. (-)910.00

उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (19) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 216.40 लाख, ₹ 691.60 लाख एवं ₹ 910.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (17) तथा (19) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	583.20		
पूरक	100.01		
पुनर्वि.	1,296.77	1,979.98	1,702.14
			(-277.84)

₹ 1,296.77 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 394.00 लाख की कमी एवं ₹ 1,690.77 लाख की वृद्धि के कारण सूचित की गई है। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 2406-01-101-1302—वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—				
7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—				
मूल	2,861.64			
पूरक	581.31			
पुनर्वि.	(-113.93)	3,329.02	3,850.68	+521.66

₹ 113.93 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

पूँजीगत:

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 3,783.82 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 164.62 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,948.44 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vi) ₹ 30,101.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 25,068.16 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-1303—वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	450.00		
पूरक	241.37	691.37	433.82
			(-257.55)

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4059-01-051-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	1,660.02		
पूरक	764.34		
पुनर्वि.	(-)535.02	2,189.34	1,655.23
			(-)534.11
₹ 535.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4059-01-051-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	3,089.98		
पूरक	1,170.33		
पुनर्वि.	(-)514.98	3,745.33	2,899.83
			(-)845.50
₹ 514.98 लाख की प्रत्याशित बचत आवासीय भवनों के निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4202-04-106-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	390.00	210.86	(-)179.14
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4210-01-103-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	155.10		
पूरक	206.80	361.90	..
			(-)361.90
(6) 4210-01-110-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	41.82		
पूरक	41.82	83.64	..
			(-)83.64
(7) 4210-02-101-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	114.60		
पूरक	146.37	260.97	..
			(-)260.97

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 4210-02-101-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 458.40 पूरक 313.65	772.05	..	(-)772.05
(9) 4210-02-101-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 343.80 पूरक 753.38	1097.18	..	(-)1097.18
(10) 4210-02-103-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	99.14	..	(-)99.14
(11) 4210-02-104-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	160.00	..	(-)160.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (11) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (7) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4216-01-106-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 2,040.00 पुनर्वि. (-)2,040.00
(13) 4216-01-106-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 4,210.00 पुनर्वि. (-)4,210.00
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत ₹ 2,040.00 लाख एवं ₹ 4,210.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(14) 4217-01-051-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 13,750.00 पुनर्वि. (-)13,750.00

अनुदान संख्या 48—समाप्त

₹ 13,750.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 4235-02-102-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)450.00
₹ 450.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(16) 4235-02-102-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,425.00 पुनर्वि. (-)1,425.00
(17) 4235-02-102-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,875.00 पुनर्वि. (-)1,875.00
उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,425.00 लाख एवं ₹ 1,875.00 लाख के प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4406-01-101-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 456.00 पूरक 100.76 पुनर्वि. (-)30.16	526.60	408.45	(-)118.15
(19) 4406-01-101-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 600.00 पूरक 132.58 पुनर्वि. (-)224.26	508.32	437.83	(-)70.49

उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत ₹ 30.16 लाख एवं ₹ 224.26 लाख के प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

**2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**

राजस्व	5,95,880	5,56,564	(-)39,316
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			64,139
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 393.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 641.39 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2225-01-277-1391—छात्रवृत्तियां और वृत्तियां—			
मूल	1,600.00		
पुनर्वि.	(-)333.36	1,266.64	1,274.03
(2) 2225-01-277-8051—अनुसूचित जातियों का कल्याण आश्रम और शालाएं—			
मूल	423.50		
पुनर्वि.	(-)100.54	322.96	326.10

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 333.36 लाख एवं ₹ 100.54 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2225-01-277-1396—छात्रावास—			
मूल	1,720.90		
पुनर्वि.	(-)26.36	1,694.54	1,764.10

₹ 26.36 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 138.11 लाख की कमी एवं ₹ 111.75 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय

		(सभी दत्तमत)		
		कुल	वास्तविक	आधिक्य+
		अनुदान	व्यय	बचत(-)
			(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-				
2053-जिला प्रशासन				
राजस्व:				
मूल	20,570			
पूरक	200	20,770	19,821	(-)949
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				12,262

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 2.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रवृत्ति अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 9.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 122.62 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल	वास्तविक	आधिक्य+
		अनुदान	व्यय	बचत(-)
			(₹ लाख में)	
2053-800-2987-बीस सूत्रीय कार्यक्रम				
का क्रियान्वयन-				
मूल	205.70			
पूरक	2.00			
पुनर्वि.	(-)122.62	85.08	198.21	+113.13

₹ 122.62 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2075—विविध सामान्य सेवायें			
2250—अन्य सामाजिक सेवायें			
राजस्व :			
मूल	80,150		
पूरक	सांकेतिक	80,150	53,706
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)26,444
			18,154

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 264.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 181.54 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2250—800—3379—मंदिर आदि को परिपोषण अनुदान—			
मूल	38.50		
पुनर्वि.	(-)34.00	4.50	4.50
			..
₹ 34.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008—09 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2250—800—6292—शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
			..
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010—11 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2250—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5805—मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण—			
मूल	100.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)0.01	99.99	9.00
			(-)90.99
₹ 0.01 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

**अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व :			
मूल	6,33,947		
पूरक	12,900	6,46,847	6,38,577
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)8,270
पूँजीगत	4,35,000	..	(-)4,35,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			4,35,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 82.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-789-192-1003-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-			
मूल	19.20		
पूरक	50.00	69.20	35.18
			(-)34.02
(2) 2235-60-789-193-1003-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-			
मूल	8.40		
पूरक	75.00	83.40	32.08
			(-)51.31

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-789-193-1003-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) 7340-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	8.00	12.56	+4.56

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 53—समाप्त

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6217-60-789-191-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास— मूल 2,103.00 पुनर्वि. (-)2,103.00
(2) 6217-60-789-192-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास— मूल 1,095.00 पुनर्वि. (-)1,095.00
(3) 6217-60-789-192-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00
(4) 6217-60-789-193-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास— मूल 1,002.00 पुनर्वि. (-)1,002.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,103.00 लाख, ₹ 1,095.00 लाख, ₹ 150.00 लाख एवं ₹ 1,002.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
राजस्व:			
मूल	9,45,000		
पूरक	75,000	10,20,000	7,73,900
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)2,46,100 2,46,100

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था जनवरी 2014 को प्राप्त किया गया ₹ 750.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2415-01-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9182-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान-			
मूल	3,800.00		
पुनर्वि.	(-)2,461.00	1,339.00	1,339.00

₹ 2,461.00 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य शासन द्वारा राशि विमुक्तानुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	64,92,158		
पूरक	25,784	65,17,942	53,59,265
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)11,58,677 24,80,969
प्रभारित	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूंजीगत:

दत्तमत—			
मूल	2,59,000		
पूरक	5,72,800	8,31,800	6,51,825
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)1,79,975 1,80,450
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 157.84 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹100.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 257.84 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 11,586.77 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 24,809.69 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नान्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5354-एकीकृत सेवा योजना- (विदेशी सहायता योजनान्तर्गत)	300.00	..	(-)300.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7361-सबला योजना	334.40	250.37	(-)84.03
--	--------	--------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7423-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-			
मूल	2,200.00		
पुनर्वि.	(-)743.46	1,456.54	1,456.54
			..
₹ 743.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7543-संचार रणनीति-			
मूल	640.00		
पुनर्वि.	(-)231.31	408.69	..
			(-)408.69
₹ 231.31 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9042-बालबाड़ियों, शासकीय अनाथालयों तथा कुष्ठरोगियों के लिये गृह-			
पूरक	149.30	149.30	47.73
			(-)101.57
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-			
मूल	25,662.38		
पुनर्वि.	(-)5,918.08	19,744.30	20,396.69
			+652.39
₹ 5,918.08 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं दावों के लिए देयक प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9130-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का परिवीक्षण-			
मूल	379.05		
पुनर्वि.	(-)144.50	234.55	261.45
			+26.90
₹ 144.50 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श आचार संहिता के लागू होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं दावों के लिए देयक प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2003-04 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)777.21	222.79	222.79
			..
₹ 777.21 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की सीमा के अनुसार निधि के आहरण किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय-			
मूल	4,300.00		
पुनर्वि.	(-)350.10	3,949.90	3,950.98
			(-)1.08

अनुदान संख्या 55—जारी

₹ 350.10 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5563-क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्था-			
मूल	107.80		
पुनर्वि.	(-)51.40	56.40	56.33
			(-)0.07

₹ 51.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(11) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6868-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(12) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8665-मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र (पारिजात)-			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)87.84	32.16	32.16
			..
(13) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8809-घरेलू हिंस से महिलाओं का संरक्षण-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)138.18	11.82	11.82
			..

उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 87.84 लाख एवं ₹ 138.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (13) के इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7361-सबला योजना-			
मूल	2,752.50		
पुनर्वि.	(-)1,598.43	1,154.07	2,558.56
			+1,404.49

(15) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	22,850.00		
पुनर्वि.	(-)13,734.09	9,115.91	20,562.76
			+11,446.85

उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत ₹ 1,598.43 लाख एवं ₹ 13,734.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6904-न्यूट्रिशन सर्विलेंस योजना-			
मूल	100.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)62.79	37.21	43.68
			+6.47

अनुदान संख्या 55-जारी

₹ 62.79 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	1,092.00		
पुनर्वि.	(-)213.79	878.21	980.81
			+102.60

₹ 213.79 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वित्त विभाग से नव जतन अवार्ड योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण-			
मूल	710.00		
पुनर्वि	(-)135.53	574.47	894.17
			+319.70

₹ 135.53 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श आचार संहिता के लागू होने कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एव कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2012-13 के दौरान भी संपूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vi) ₹ 1,799.75 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 1,804.50 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था एवं बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4235-02-102-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 337-आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण-			
मूल	2,100.00		
पूरक	2,571.00		
पुनर्वि.	(-)1,751.00	2,920.00	2,911.25
			+8.75

₹ 1751.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नही होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8680-नारी निकेतन भवन का निर्माण-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों			
पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	6,43,349		
पूरक	13,961	6,57,310	5,93,017
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)64,293 65,112
प्रभारित			
मूल	10		
पूरक	40	50	50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत:			
दत्तमत	7,510	7,465	(-)45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			45

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 56.00 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 83.61 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 139.61 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 642.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 किया गया ₹ 651.12 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-103-931—केन्द्रीय कार्यालय—			
मूल	313.65		
पूरक	6.00		
पुनर्वि.	(-)53.38	266.27	268.85
			+2.58
₹ 53.38 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(2) 2851-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
6934—एकीकृत हथकरघा विकास योजना—			
मूल	162.00		
पुनर्वि.	(-)98.64	63.36	63.36
			..

₹ 98.64 लाख की प्रत्याशित बचत सहायता के लिए योग्य हितग्राही उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5635-हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण अनुदान-			
मूल	44.00
पुनर्वि.	(-)44.00
₹ 44.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पूर्व प्रशिक्षण योजना हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(4) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7470-हस्तशिल्प में कार्यशील पूजी अनुदान-			
मूल	55.00
पुनर्वि.	(-)55.00
₹ 55.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8554-ग्रामीण हस्तशिल्प डिजाईन विकास संस्थान-			
मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)50.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9201-प्रदर्शनी, प्रचार एवं प्रसार-			
मूल	132.00
पुनर्वि.	(-)132.00
₹ 132.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(7) 2851-107-3778-रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन-			
मूल	2,825.65	2,765.55	2,773.83
पुनर्वि.	(-)60.10		+8.28
₹ 60.10 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु मांग प्राप्त न होने (₹ 17.99 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 42.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	2,30,000	28,238	(-)2,01,762
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			2,01,762

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4701—80—800—1201—विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 5678—छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना—			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)996.00	104.00	..

₹ 996.00 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना मई 2013 के पश्चात योजना के समय विस्तार की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण सूचित की गई है। 2009—10 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4702—101—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं—

(अनुसूचित जनजाति उप योजना)—

5678—छत्तीसगढ़ सिंचाई

विकास परियोजना—

मूल 200.00

पुनर्वि. (-)193.67

6.33

0.65

(-)5.68

₹ 193.67 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना मई 2013 के पश्चात योजना के समय विस्तार की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009—10 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4702—101—1201—विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

5678—छत्तीसगढ़ सिंचाई

विकास परियोजना—

मूल 900.00

पुनर्वि. (-)826.68

73.32

78.99

+5.67

₹ 826.68 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना मई 2013 के पश्चात योजना के समय विस्तार की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57—समाप्त

(ii) उचंत लेन देन —

वर्ष के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किया गया है। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) के नीचे की गई है।

2013—14 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2013 को नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2014 को नामे+ जमा(-)
(₹ लाख में)				
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	(-)70.71	(-)70.71
(2) भण्डार	+426.46	+426.46
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+290.99	+290.99
(4) कार्य शाला उचन्त	+18.02	+18.02
योग	+664.76	+664.76

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	41,40,757		
पूरक	18,88,075	60,28,832	39,81,053
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)20,47,779
			23,55,738
पूँजीगत	2,000	..	(-)2,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			2,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 18,880.75 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 20,477.79 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को ₹ 23,557.38 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-101-96-अग्नि पीड़ितों को राहत—			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	41.20	641.20	557.11
			(-)84.09
₹ 41.20 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 141.20 लाख की वृद्धि एवं ₹ 100.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि असामयिक वर्षा एवं ओला पीड़ित हितग्राहियों को भुगतान किए जाने एवं कमी जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2245-01-102-2661-पेय जल प्रदाय—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)83.92	416.08	426.81
			+10.73
₹ 83.92 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2245-01-103-7345-पोषण आहार—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00
			..
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2245-01-104-7346—चारा आपूर्ति— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
(5) 2245-01-105-5492—पशु धन का टीकाकरण टीकाद्रव्य उपलब्ध कराने हेतु— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के लिए जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2245-01-282-7347—लोक स्वास्थ्य— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	..	3.00	+3.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2245-01-800-1467—जिला एवं अन्य सड़कें— मूल 1,600.00 पुनर्वि. (-)1,600.00
(8) 2245-01-800-2389—निर्माण कार्य— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)800.00
(9) 2245-01-800-3819—लघु सिंचाई (कृषि)— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,600.00 लाख, ₹ 800.00 लाख तथा ₹ 1,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के लिए जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2245-02-101-747—ओला पीड़ितों को सहायता— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)176.67	123.33	114.31	(-)9.02
₹ 176.67 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2245-02-104-7346—चारा आपूर्ति— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(12) 2245-02-105-5492—पशुधन का टीकाकरण/टीकाद्रव्य उपलब्ध कराने हेतु— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00

अनुदान संख्या 58—जारी

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010—11 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2245—02—106—1467—जिला एवं अन्य सड़कें—			
मूल	2,500.00		
पूरक	7,415.00		
पुनर्वि.	(-)5,717.33	4,197.67	5,607.36
			+1,409.69

₹ 5,717.33 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(14) 2245—02—107—7349—मरम्मत—				
मूल	300.00			
पुनर्वि.	(-)300.00
(15) 2245—02—108—7349—मरम्मत—				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00
(16) 2245—02—109—7349—मरम्मत—				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00

उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 300.00 लाख, ₹ 100.00 लाख तथा ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010—11 से 2012—13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) एवं 2012—13 के दौरान भी क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2245—02—110—2018—नगद दान—				
मूल	600.00			
पुनर्वि.	(-)554.22	45.78	37.64	(-)8.14

₹ 554.22 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010—11 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2245—02—112—5607—बाढ़ नियंत्रण—				
मूल	2,600.00			
पुनर्वि.	(-)1,818.94	781.06	1,241.50	+460.44

₹ 1,818.94 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों एवं नगर सेना द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 1,436.31 लाख) एवं जिलों द्वारा मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 374.00 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 8.63 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2245—02—112—7357—बाढ़ आदि में सहायता—				
मूल	800.00			
पुनर्वि.	(-)696.06	103.94	153.98	+50.04

₹ 696.06 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 692.51 लाख) तथा जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 3.55 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010—11 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना— मूल 2,800.00 पूरक 11,250.00 पुनर्वि. (-)5,842.13	8,207.87	8,900.38	+692.51

₹ 5,842.13 लाख की प्रत्याशित बचत जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2245-05-101-4849-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00
--	----	----	----

₹ 3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2245-05-101-7427-राज्य आपदा मोचन निधि— मूल 17,517.00 पुनर्वि. (-)417.00	17,100.00	17,100.00	..
--	-----------	-----------	----

₹ 417.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2245-80-001-2304-निर्देशन और प्रशासन— मूल 89.57 पुनर्वि. (-)33.90	55.67	45.90	(-)9.77
--	-------	-------	---------

₹ 33.90 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(24) 2245-80-800-7408-राज्य आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत दक्षता निर्माण— मूल 400.00 पूरक 215.75 पुनर्वि. (-)442.18	173.57	174.36	+0.79
---	--------	--------	-------

₹ 442.18 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी एवं जिलाधीशों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गए हैं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-101-2018-नगद दान	400.00	576.34	+176.34

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2245-02-101-2018-नगद दान-			
मूल	1,510.00		
पुनर्वि.	537.98	2,047.98	1,777.40
			(-270.58)

₹ 537.98 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 538.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.02 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि असामयिक वर्षों एवं ओला पीड़ित हितग्राहियों को भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2245-02-111-7352-शोकार्त परिवारों को सहायक अनुदान-				
मूल	1,400.00			
पुनर्वि.	(-142.03)	1,257.97	1,572.93	+314.96

₹ 142.03 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 426.03 लाख की कमी एवं ₹ 284.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी जिला क्लेकटर्स द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 2245-02-113-7357-बाड़ अनुदान आदि में सहायता-				
मूल	400.00			
पुनर्वि.	194.40	594.40	539.17	(-55.23)

₹ 194.40 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 194.50 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.10 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि असामयिक वर्षों एवं ओला पीड़ित हितग्राहियों को भुगतान किए जाने (₹ 104.50 लाख) एवं जिला क्लेकटर्स द्वारा निधियों की मांग किए जाने (₹ 90.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। कमी जिला क्लेकटर्स द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किये जाने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(5) 2245-02-114-7357-बाढ़ अनुदान आदि में सहायता	100.00	447.57	+347.57
--	--------	--------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(v) आकाल राहत निधि-

यह निधि बाढ़ अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2013 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 307.43 जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 1,174.83 लाख (मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखण्ड को शासकीय कर्मचारियों का अंशदान ₹ 854.37 लाख, ब्याज ₹ 14.46 लाख एवं निवेश की वापिसी ₹ 306.00 लाख) जमा की गई। भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किए गए। निधि लेखा का 31 मार्च 2014 को अंतिम शेष निम्नानुसार है :-

विवरण	01 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2014 को अंतशेष
	₹	₹	₹	₹
1. निधि लेखा	297.72 (जमा)	..	868.83	1,166.55 (जमा)
2. निवेश लेखा	9.71 (जमा)	..	306.00	315.71 (जमा)
योग	307.43 (जमा)	..	1,174.83	1,482.26 (जमा)

निधि के लेन देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2013-14 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रमांक-18 में सम्मिलित किया गया है।

अनुदान संख्या 58—समाप्त

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि :-

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि का गठन करने की स्वीकृति देती है। तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी प्रतिवेदन के अध्याय 11 में आपदा प्रबंधन मोचन, निधि की स्थापना की अनुशंसा की है, एवं उसक अन्तर्गत होने वाले अंशदान एवं भुगतान के तरीके का निर्धारण किया है। यह अनुशंसा भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक-2005 के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 32-3/2010-एन.डी.एम-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 में मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन निधि की स्थापना एवं संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का गठन किया गया, प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसा के आधार पर योजना की राशि का 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेतर अनुदान के रूप में दिया जाता है। शेष 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

केन्द्र एवं राज्य के निधियों के प्रवाह की वर्षवार तालिका निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
केन्द्रांश	139.49	119.17	125.12	131.38	137.95	627.11
राज्यांश	37.83	39.72	41.71	43.79	45.98	209.03
कुल	177.32	158.89	166.83	175.17	183.93	836.14

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष "1601-भारत सरकार से सहायक अनुदान-01-आयोजनेत्तर अनुदान-109-राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान " के अंतर्गत जमा होता था। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष "8121-"सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122-राज्य आपदा मोचन निधि" में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष "2245-दैवी विपत्तियों के संबंधमें राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि -101-आरक्षित निधि में अंतरण" में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर "2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत 05-राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुनर्प्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

राज्य सरकार को आवश्यक है कि वह निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूति अथवा नीलामी पर खजाना देयक ब्याज मुक्त जमा एवं अनुसूचित बैंकों में जमा प्रमाण पत्रों आदि के अन्तर्गत करें। अन्यथा राज्य सरकार को राज्य आपदा मोचन निधि को अर्द्ध वार्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के ओवर ड्राफ्ट नियामक निर्देशावली द्वारा लागू की गई ब्याज दर को मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज-05-आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि पर ब्याज में जमा करना होगा।

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 17,144.42 लाख की राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 112-राज्य आपदा मोचन निधि में जमा की गई एवं दैवीय विपत्तियों के कारण इस वर्ष ₹ 13,595.25 लाख का व्यय नामें किया गया।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2013-14 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रमांक-18 में दर्शाया गया है।

पूंजीगत :

दत्तमत-

(vii) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	10,000	3,041	(-)6,959
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			6,959
पूंजीगत:			
मूल	4,40,000		
पूरक	80,410	5,20,410	+1,342
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			2,906
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3451-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7282—जिला योजना का सुदृढीकरण—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)69.59	30.41	30.41

₹ 69.59 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(ii) दत्तमत से हुए ₹ 13,42,349 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(iii) ₹ 13.42 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 29.06 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iv) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7493—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना—			
मूल	4,400.00		
पुनर्वि.	(-)29.06	4,370.94	4,555.58

₹ 29.06 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 60—समाप्त

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित आधिक्य प्रावधान में निम्न के अन्तर्गत बचत से प्रतिसंतुलित हुआ:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-103-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7493-विधान सभा निर्वाचन			
क्षेत्र विकास योजना	100.00	30.41	(-)69.59
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
 2055—पुलिस
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2215—जल पूर्ति और सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम और रोजगार
 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्रामीण रोजगार
 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
 अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 6215—जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज
 6425—सहकारिता के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 64—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,22,82,832		
पूरक	25,02,552	1,47,85,384	(-)39,89,565
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			24,32,629
प्रभारित	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			10

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	93,70,110		
पूरक	3,01,819	96,71,929	(-)29,62,743
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			21,58,879

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 11,791.68 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 13,233.84 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 25,025.52 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(ii) ₹ 39,895.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 24,326.29 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन के साथ ही व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है ।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना— मूल 277.30 पूरक सांकेतिक 277.30	277.30	158.86	(-)118.44
(2) 2202-01-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5634-कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना 340.00	340.00	178.31	(-)163.69
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2011-12 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2009-10 से 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-789-101-0103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5660-एन.पी.ई.जी.ई.एल. 200.00	200.00	..	(-)163.69
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 495-आश्रम और शालाएं— मूल 723.30 पुनर्वि. (-)149.45	573.85	631.69	+57.84
₹ 149.45 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गए हैं । अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-01-789-108-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	950.00	715.50	(-)234.50
(6) 2202-01-789-111-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5396-सर्व शिक्षा अभियान	22,000.00	10,712.55	(-)11,287.45
(7) 2202-01-789-112-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	3,551.00	2,683.99	(-)867.01
(8) 2202-01-789-112-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	2,063.00	1,574.04	(-)488.96
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) एवं 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(9) 2202-02-789-106-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6944-पुस्तकालय योजना	150.00	..	(-)150.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(10) 2202-02-789-109-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां— मूल 1,100.00 पूरक 2,685.80 पुनर्वि. (-)1,155.28	2,630.52	2,630.52	..
₹ 1,155.28 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की कम मांग होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2202-02-789-109-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8956-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां— मूल 2,475.25 पुनर्वि. (-)2,475.25
₹ 2,475.25 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6794—सूचना एवं संचार तकनीकी	427.20	36.61	(-)390.59
(13) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1,700.00	984.11	(-)715.89
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4717—अनुसूचित जाति छात्रावास— मूल 2,554.00 पुनर्वि. (-)652.48	1,901.52	1,995.63	+94.11
₹ 652.48 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5551—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण— मूल 1,190.00 पूरक (-)61.55	1,128.45	946.65	(-)181.80
₹ 61.55 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के लिए कम मांग होने (₹ 32.32 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 29.23 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6140—छात्र भोजन सहाय योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)131.09	168.91	144.31	(-)24.60
₹ 131.09 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों के लिए कम मांग होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(17) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6755—कम्प्यूटर शिक्षा योजना— मूल 80.00 पुनर्वि. (-)80.00
₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कम मांग होने के कारण (₹ 61.60 लाख) सूचित की गई है। शेष ₹ 18.40 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2202-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 2,104.80 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)144.90	1,959.91	1,949.80	(-)10.11
₹ 144.90 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2202-80-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	576.00	..	(-)576.00
(20) 2210-01-789-200-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7463-कैंसर मधुमेह, हृदयरोग एवं आघात रोगों के रोकथाम	63.00	..	(-)63.00
उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2210-01-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8649-मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	480.00	216.00	(-)264.00
(22) 2210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7511-आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल	317.00	53.94	(-)263.06
(23) 2210-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1228-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय	483.10	288.51	(-)194.59
(24) 2210-03-789-197-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	850.40	582.15	(-)268.25
(25) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)	2,583.70	2,287.99	(-)295.71
(26) 2210-03-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6884-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	2,500.00	2,070.62	(-)429.38
(27) 2210-05-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय	437.30	7.38	(-)429.92

अनुदान संख्या 64—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (27) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (23), (24) एवं (25) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(28) 2210-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5688-मुख्यमंत्री दवा पेटी	100.00	..	(-)100.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 2210-06-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6960-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 282.60 पुनर्वि. (-)200.00	82.60	82.60	..
--	-------	-------	----

₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत बीमा प्रीमियम के कम भुगतान होने के कारण सूचित की गई है।

(30) 2210-80-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7397-छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉंस सर्विस योजना	249.00	17.62	(-)231.38
---	--------	-------	-----------

(31) 2211-789-001-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 1508-जिला स्तरीय अमला	108.70	53.78	(-)54.92
--	--------	-------	----------

(32) 2211-789-101-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र	1,358.60	1,124.71	(-)233.89
---	----------	----------	-----------

उपरोक्त क्रम संख्या (30) से (32) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 2215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)86.76	1,713.24	1,719.74	(-)6.50
---	----------	----------	---------

₹ 86.76 लाख की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(34) 2215-01-789-193-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7316-गिरोदपुरी धाम जल प्रदाय योजना	100.00	..	(-)100.00
--	--------	----	-----------

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(35) 2225-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9550—नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ अन्तर्गत प्रचार प्रसार एवं प्रशासकीय सुदृढीकरण— मूल 60.00 पुनर्वि. (-)60.00
₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों की कम मांग होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने कारण सूचित की गई हैं।			
(36) 2225-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 3,550.00 पूरक 200.00 पुनर्वि. (-)146.87	3,603.13	3,605.63	+2.50
₹ 146.87 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की कम मांग होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(37) 2225-01-789-800-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5191—अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सहायता/पुनर्वास एवं सहायता— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)99.71	250.29	250.29	..
₹ 99.71 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की कम मांग होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(38) 2225-01-789-800-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 4675—स्वरोजगार योजना— पूरक 700.00 पुनर्वि. 700.00
₹ 700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(39) 2225-01-789-800-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारतसरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 5014—क्षेत्रीय विकास के लिए अनावद्ध राशि— मूल 130.00 पूरक 252.00 पुनर्वि. (-)161.00	221.00	206.00	(-)15.00

अनुदान संख्या 64-जारी

₹ 161.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की कम मांग होने के कारण सूचित की गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(40) 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं- मूल 338.90 पुनर्वि. (-)217.82	121.08	117.14	(-)3.94

₹ 217.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(41) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 9044-एकीकृत बाल विकास योजना- मूल 6,259.77 पुनर्वि. (-)1,538.12	4,721.65	4,605.12	(-)116.53
--	----------	----------	-----------

₹ 1,538.12 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने (₹ 544.99 लाख), चिकित्सा एवं अवकाश यात्रा रियायत के दावे प्राप्त नहीं होने (₹ 7.05 लाख), मितव्ययी उपयों को अपनाने (₹ 15.32 लाख), नवीन स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए विलंब से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण सामग्री क्रय नहीं किए जाने (₹ 213.41 लाख) आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 7.20 लाख), रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने (₹ 2.40 लाख), आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढीकरण की स्वीकृति विलंब से प्राप्त होने (₹ 60.12 लाख) एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए दवा पेटी क्रय नहीं किए जाने (₹ 436.26 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 251.37 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(42) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय- मूल 1,048.00 पुनर्वि. (-)99.84	948.16	974.56	+26.40
---	--------	--------	--------

₹ 99.84 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(43) 2235-60-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना- मूल 10,200.00 पूरक 13,807.00 पुनर्वि. (-)3,095.88	20,911.12	20,911.12	..
--	-----------	-----------	----

₹ 3095.88 लाख की प्रत्याशित बचत विभाग द्वारा राशि विमुक्त न किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(44) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 2179-अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम- मूल 5,520.00 पुनर्वि. (-)4,783.04	736.96	4,431.84	+3,694.88
---	--------	----------	-----------

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(45) 2236-02-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7361—सबला योजना— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)536.13	13.87	480.43	+466.56
उपरोक्त क्रम संख्या (44) एवं (45) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 4,783.04 लाख एवं ₹ 536.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(46) 2401-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5411—आइसोपाम विकास योजना— मूल 260.00 पुनर्वि. (-)134.56	125.44	126.70	+1.26
₹ 134.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(47) 2401-789-108-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 4,320.00 पुनर्वि. (-)1,895.13	2,424.87	2,453.49	+28.62
₹ 1,895.13 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(48) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 4838—मैक्रो मॅनेजमेंट वर्किंग प्लान— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)296.20	3.80	3.80	..
₹ 296.20 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना बंद किए जाने के कारण सूचित की गए हैं।			
(49) 2401-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8541—धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन— मूल 290.00 पुनर्वि. (-)102.32	187.68	225.03	+37.35
₹ 102.32 लाख की प्रत्याशित बचत अत्यधिक वर्षा के कारण धान की बोआई नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(50) 2401-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8702—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस फण्ड)— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)67.44	52.56	52.56	..
₹ 67.44 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(51) 2401-789-119-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 1,680.00 पुनर्वि. (-)1,338.12	341.88	341.88	..
₹ 1,338.12 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(52) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2794—स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान— मूल 216.00 पुनर्वि. (-)191.00	25.00	25.00	..
(53) 2401-789-800-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2794—स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान— पूरक 180.00 पुनर्वि. (-)145.00	35.00	35.00	..
उपरोक्त क्रम संख्या (52) एवं (53) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 191.00 लाख एवं ₹ 145.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (52) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(54) 2403-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1108—गहन पशु विकास परियोजना	167.60	96.97	(-)70.63
(55) 2403-789-108-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	792.00	171.05	(-)620.95
उपरोक्त क्रम संख्या (54) एवं (55) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(56) 2408-01-789-190-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8933—शक्कर वितरण योजना— पूरक 474.00 पुनर्वि. (-)474.00
₹ 474.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(57) 2408-01-789-190-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9993—रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान— मूल 546.00 पूरक 246.36 पुनर्वि. (-)222.63	569.73	569.73	..
₹ 222.63 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(58) 2501-02-789-196-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना— 7350—एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 328.83 पुनर्वि. (-)287.56	41.27	41.27	..
₹ 287.56 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(59) 2501-04-789-902-0410—उर्जा विकास निधि— 3220—छत्तीसगढ़ अक्षय उर्जा विकास निधि को सहायता अनुदान— मूल 271.25 पुनर्वि. (-)271.25
₹ 271.25 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(60) 2501-06-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन— मूल 660.00 पूरक 52.80 पुनर्वि. (-)234.02	478.78	423.27	(-)55.51
₹ 234.02 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(61) 2505-60-789-196-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना— मूल 3,600.00 पुनर्वि. (-)400.00	3,200.00	1,631.11	(-)1,568.89
₹ 400.00 लाख की प्रत्याशित बचत कम मांग होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(62) 2702-03-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5707—शाकम्भरी प्रोजेक्ट— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)110.99	339.01	331.07	(-)7.94
₹ 110.99 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(63) 2801-06-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6825—राजीव गांधी ग्रामीण विद्युती योजना हेतु— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)165.00	135.00	135.00	..
₹ 165.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(64) 2810-60-789-600-0410-उर्जा विकास निधि- 3220-छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निधि स्वीकृत न किए जाने के कारण सूचित की गए हैं ।

(65) 2851-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)192.13	107.87	107.87

₹ 192.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(66) 2851-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5146-टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम-			
मूल	335.00		
पुनर्वि.	(-)69.32	265.68	264.49

₹ 69.32 लाख की प्रत्याशित बचत रेशम कीट के लिए नवीन पौधरोपण नहीं किए जाने (₹ 69.15 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(67) 2852-80-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5451-अंशपूजी सहायता योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)92.50	7.50	7.50

₹ 92.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2055-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5172-नये थानों की स्थापना	303.00	382.41	+79.41

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5092-मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना— मूल 250.00 पुनर्वि. 6.74	256.74	319.21	+62.47
₹ 6.74 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 9.26 लाख की कमी एवं ₹ 16.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(3) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	313.70	362.30	+48.60
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(4) 2210-06-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8645-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 240.00 पूरक 240.00 पुनर्वि. 200.00	680.00	680.00	..
₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन स्मार्ट कार्डों की संख्या में वृद्धि के कारण सूचित की गई है।			
(5) 2216-03-789-105-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6549-इंदिरा आवास योजना— मूल 798.00 पूरक 360.00 पुनर्वि. 385.82	1,543.82	1,969.48	+425.66
₹ 385.82 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 14.18 लाख की कमी एवं ₹ 400.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि भारत सरकार से अधिक निधि प्राप्त होने के कारण एवं कमी केन्द्रांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2235-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8662-छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना	600.00	650.00	+50.00
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(7) 2801-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7305-5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान— मूल 2,961.00 पूरक 240.00 पुनर्वि. 165.00	3,366.00	3,366.00	..

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2852-80-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9068-औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान— मूल 100.00 पुनर्वि. 100.00	200.00	200.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत ₹ 165.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के समान एवं समकक्ष नहीं था, जुलाई 2013 (₹ 2,097.34 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 920.85 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3018.19 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 30,231.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 29,627.43 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन के साथ ही व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-789-202-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 1400-आश्रम एवं छात्रावास भवन का निर्माण— मूल 750.00 पुनर्वि. (-)750.00

₹ 750.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों की कम मांग होने के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202-01-789-202-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1400-महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण— मूल 2,500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)377.27	2,122.73	2,200.74	+78.00
--	----------	----------	--------

(3) 4202-01-789-202-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5094-आश्रम, छात्रावास एवं अधीक्षक आवास— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)112.58	187.42	242.65	+55.23
--	--------	--------	--------

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत ₹ 377.27 लाख एवं ₹ 112.58 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की कम मांग होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4202-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)363.42	36.58	36.58	..
₹ 363.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4210-02-789-101-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण— पूरक 750.00	750.00	..	(-)750.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	250.00	169.26	(-)80.74
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4210-02-103-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—	168.00	..	(-)168.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4210-02-104-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	100.00	20.97	(-)79.03
(9) 4210-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय	110.00	6.30	(-)103.70
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4215-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)591.78	8.22	8.22	..
₹ 591.78 लाख की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 4225-01-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5507—ग्राम गिरौदपुरी में जैतखम्भ का निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नही होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4225-01-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5616—गिरोधपुरी एवं भंडारपुरी का समन्वित विकास— मूल 250.00 पुनर्वि (-)235.00	15.00	..	(-)15.00
₹ 235.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नही होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4225-01-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6985—तेलासी बाड़ा का समन्वित विकास— मूल 100.00 पुनर्वि (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नही होने के कारण सूचित की गई है।			
(14) 4235-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 71—अंध, मूक और बधिरों के लिए शालाएं— मूल 120.00 पुनर्वि (-)120.00
₹ 120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नही किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(15) 4235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 504.00 पूरक 618.00 पुनर्वि (-)421.38	700.63	688.13	(-)12.50
₹ 421.38 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2014)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 4515-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7493-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)1.74	1,198.26	1,004.35	(-)193.91
₹ 1.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(17) 4700-01-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)637.10	1,362.90	1,328.53	(-)34.37
₹ 637.10 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता के क्रियान्वित होने एवं असामयिक अत्यधिक वर्षा के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4700-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)2,005.30	1,494.70	1,494.70	..
₹ 2,005.30 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता के क्रियान्वित होने एवं असामयिक अत्यधिक वर्षा के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 4700-08-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884-नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)1,076.50	23.50	23.50	..
₹ 1,076.50 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता के क्रियान्वित होने एवं असामयिक अत्यधिक वर्षा एवं भू-अर्जन के प्रकरणों का निराकरण नही होने के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4700-10-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884-नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)205.20	594.80	594.81	+0.01
₹ 205.20 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता के क्रियान्वित होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 4702-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3828-लघु सिंचाई योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,564.96	1,435.04	1,435.04	..
₹ 1,564.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5059-एनिकट/स्टापडेम का निर्माण— मूल 8,500.00 पुनर्वि. (-)4,157.09	4,342.91	4,344.10	+1.19
₹ 4,157.09 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता के क्रियान्वित होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण— मूल 22,000.00 पुनर्वि. (-)4,517.73	17,482.27	17,482.26	(-)0.01
₹ 4,517.73 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता के क्रियान्वित होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4149-वृहद पुलों का निर्माण	3,150.00	1,183.01	(-)1,966.99
(25) 5054-04-789-337-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	4,000.00	1,126.74	(-)2,873.26
(26) 5054-04-789-337-0313- नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	5,400.00	5,100.45	(-)299.55
(27) 5054-04-789-337-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	3,000.00	2,499.09	(-)500.91
(28) 5054-04-789-337-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9002-अनुसूचित जातिबाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	11,000.00	9,931.57	(-)1,068.43

अनुदान संख्या 64—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (24) से (28) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (24), 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (25), (26) एवं (27) एवं 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 6215-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2182—नगरीय नई जल

प्रदाय योजनाएं—

मूल 200.00

पुनर्वि. (-)100.00

100.00

100.00

..

₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की मांग प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है।

(30) 6401-789-105-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7283—छत्तीसगढ़ राज्य

विपणन संघ को उर्वरक

व्यवसाय हेतु ऋण—

मूल 4,800.00

पूरक (-)3,600.00

1,200.00

1,200.00

..

₹ 3,600.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(31) 6408-02-789-190-0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)—

8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण—

मूल 566.00

पुनर्वि. (-)167.29

398.71

266.85

(-)131.86

₹ 167.29 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य भंडागार निगम से निधि विमुक्त किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने (₹ 167.19 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.10 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4225-01-789-800-0603—अनुसूचित जातियों के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 5014—क्षेत्रीय विकास के लिए अनावद्ध राशि—	मूल 165.00 पुनर्वि. (-)28.50	136.50	269.00
			+132.50

₹ 28.50 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,95,304		
पूरक	13,600	2,08,904	1,53,131
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)55,773 55,590
प्रभारित	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			10

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 136.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(i) ₹ 557.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 555.90 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2052-091-4043-विमानन संचालनालय—			
मूल	1,953.04		
पूरक	136.00		
पुनर्वि.	(-)555.90	1,533.14	1,531.31
			(-)1.83

₹ 555.90 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 29.18 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 206.98 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 319.74 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2004-05 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा था।

**अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	13,35,750			
पूरक	3,54,000	16,89,750	15,44,006	(-)1,45,744
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,19,075

पूंजीगत

मूल	16,250			
पूरक	93,084	1,09,334	11,126	(-)98,208
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,01,908

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 15,440.06 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 3,540.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अप्रत्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,457.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 1,190.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-107-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7285-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति- मूल 224.00 पुनर्वि. (-)133.84	90.16	90.70	+0.54
(2) 2202-02-107-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7286-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)272.03	227.97	229.60	+1.63
(3) 2202-02-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6938-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति- मूल 900.00 पुनर्वि. (-)292.82	607.18	649.37	+42.19

अनुदान संख्या 66—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 133.84 लाख, ₹ 272.03 लाख एवं ₹ 292.82 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5551-हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय-			
मूल	567.00		
पुनर्वि.	(-)86.28	480.72	214.44
			(-)266.28
(5) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2949-बालिकाओं का गणवेश-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)96.37	703.63	703.63
			..
(6) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3673-राज्य छात्रवृत्तियां-			
मूल	4,100.00		
पुनर्वि.	(-)117.88	3,982.12	3,926.73
			(-)55.39

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 86.28 लाख, ₹ 96.37 लाख एवं ₹ 117.88 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय-			
मूल	220.00		
पुनर्वि.	55.52	275.52	275.52
			..

₹ 55.52 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

पूजीगत:

दत्तमत-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 930.84 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 982.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 1,019.08 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 66—समाप्त

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4225-03-277-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1395-छात्रावास-			
मूल	0.50		
पूरक	930.84		
पुनर्वि.	(-)931.34

₹ 931.34 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(2) 4225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
1395-छात्रावास-

मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
2216—आवास			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230—श्रम तथा रोजगार			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2403—पशुपालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	36,13,329		
पूरक	91,360	37,04,689	35,42,837
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)1,61,852 1,500
प्रभारित		4,000	1,430
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)2,570 ..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	37,15,965		
पूरक	2,55,637	39,71,602	27,28,518
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)12,43,084 822

अनुदान संख्या 67—जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 153.60 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 760.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 913.60 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,618.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल ₹ 15.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-051-2449-न्याय प्रशासन— (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	70.00	21.72	(-)48.28
(2) 2059-01-051-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल	200.00	27.30	(-)172.70
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2059-01-053-3692-राज्य विधान मण्डल	60.00	..	(-)60.00
सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2059-60-053-3647-राजकीय माध्यमिक— विद्यालयों का रख रखाव	1,200.00	918.03	(-)281.97
(5) 2059-80-001-3300-मण्डल स्थापना	804.45	691.45	(-)113.00
(6) 2059-80-001-3566-मुख्यालय स्थापना— मूल 1,288.60 पूरक 60.00	1,348.60	1,183.42	(-)165.18
(7) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2418-निष्पादन	5,774.05	5,488.68	(-)285.37
(8) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3300-मण्डल स्थापना	414.15	290.80	(-)123.35
(9) 2059-80-799-1051-भण्डारण	175.00	99.67	(-)75.33
(10) 2059-80-799-4056-विविध लोक निर्माण अग्रिम	90.00	22.39	(-)67.61
(11) 2216-05-053-1482-जिला प्रशासन	60.00	150	(-)58.50
(12) 2216-80-001-2300-निर्देशन और प्रशासन— (मांग संख्या 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना प्रभारों का समानुपातिक भाग)	3,038.44	2,657.90	(-)380.54
(13) 2216-80-052-692-औजार एवं संयंत्र प्रभार— (मांग संख्या 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)	337.60	20.11	(-)317.49
(14) 2216-80-800-4095-विशेष मरम्मतें	1,700.00	1,641.76	(-)58.24

अनुदान संख्या 67—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (14) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5), 2007-08 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (6) एवं (13), 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (8) एवं (9) तथा 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-051-3692-राज्य विधान मण्डल	40.00	63.10	+23.10
(2) 2059-01-051-4608-राष्ट्रीय सैन्य दल	33.00	83.41	+50.41
(3) 2059-80-001-2418-निष्पादन- मूल 11,908.00 पूरक 700.00	12,608.00	13,498.64	+890.64
(4) 2210-05-105-4220-शिक्षा- चिकित्सा महाविद्यालय	100.00	148.88	+48.88

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में ₹ 122.06 लाख "2059-लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए हैं। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (v) में दिए गए हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2013 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2014 को नामे+ जमा(-)
(₹ लाख में)				
2059-लोक निर्माण कार्य—				
(i) क्रय	(-) 2,282.95	(-) 2,282.95
(ii) भण्डार	+1,486.32	99.67	..	+1,585.99
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 7,546.27	22.39	53.81	+ 7,514.85
योग	+ 6,749.64	122.06	53.81	+ 6,817.89

प्रभारित—

(vi) ₹ 25.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-80-800-1835-डिक्री धन का भुगतान	30.00	12.30	(-)17.70
(2) 2216-80-800-1836-डिक्री धन का भुगतान	10.00	2.00	(-)8.00

अनुदान संख्या 67—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(viii) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 2,273.60 लाख) तथा जनवरी 2014 (₹ 282.77 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,556.37 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) ₹ 12,430.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 8.22 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं विनियोग पर हुए व्यय पर नियंत्रण नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2450-न्याय प्रशासन-			
मूल	800.00		
पूरक	126.16	926.16	446.28
			(-)479.88
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1481-जिला प्रशासन	320.00	57.72	(-)262.28
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2407-चुनाव-			
मूल	412.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	312.00	188.07
			(-)123.93
₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2450-न्याय प्रशासन-			
मूल	500.00		
पूरक	100.00	600.00	277.17
			(-)322.83
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी			
(5) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2716-प्रशासन अकादमी	118.00	..	(-)118.00
(6) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3755-राष्ट्रीय सैन्य दल	160.00	..	(-)160.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) तथा (6) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(7) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3855-लोक निर्माण कार्य-भवन	600.00	488.60	(-)111.40
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(8) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4606-स्टाम्प एवं पंजीयन-			
मूल	300.00		
पूरक	(-)100.00	200.00	110.03
			(-)89.97

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5558-जिला उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण-			
मूल	333.00		
पूरक	14.66		
पुनर्वि.	(-)-100.00	247.66	10.30
			(-)-237.36
उपरोक्त क्रम संख्या (8) तथा (9) के शीर्षान्तर्गत ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4059-01-51-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5600-परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण	1,100.00	928.38	(-)-171.62
(11) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5651-होमगार्ड परिसर में आवासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	145.00		
पूरक	154.00	299.00	222.63
			(-)-76.37
उपरोक्त क्रम संख्या (10) तथा (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5652-प्रिंटिंग प्रेस भवन का निर्माण	100.00	..	(-)-100.00
सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन	3,092.00	2,618.14	(-)-473.86
(14) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7274-लोक अभियोजन-			
मूल	142.00		
पूरक	सांकेतिक	142.00	18.68
			(-)-123.32
(15) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7392-ग्राम नगर निवेश कार्यालय भवन निर्माण	100.00	49.05	(-)-50.95
उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (15) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(16) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7402-खनिज प्रशासन	100.00	..	(-)-100.00
(17) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7466-प्रशिक्षण केन्द्र	100.00	..	(-)-100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (16) तथा (17) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8040—जेल भवनों का निर्माण— मूल 510.15 पूरक 28.78	538.93	435.14	(-)103.79
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2006-07 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 4059-80-052-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3412—भारी मशीनों का क्रय— पूरक 500.00	500.00	..	(-)500.00
सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(20) 4202-01-202-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण— मूल 6,500.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	5,500.00	4,862.47	(-)637.53
(21) 4202-01-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8071—पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण— मूल 1,522.50 पुनर्वि. (-)600.00	922.50	638.29	(-)284.21
उपरोक्त क्रम संख्या (20) तथा (21) के शीर्षान्तर्गत ₹ 1,000.00 लाख एवं ₹ 600.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(22) 4202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 515—इन्जीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान, भवनों का निर्माण	1,015.00	359.80	(-)655.20
(23) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5908—खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण	2,500.00	2,111.41	(-)388.59
(24) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण (मूलभूत सेवाओं के लिए)	1,500.00	644.04	(-)855.96
उपरोक्त क्रम संख्या (22) से (24) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (22) तथा 2005-06 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(25) 4210-02-101-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,200.00	800.00	26.44	(-)773.56
₹ 1200.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 4210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	1,175.00	548.20	(-)626.80

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(27) 4210-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4143—मूलभूत सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	1,000.00	860.57	(-)139.43
(28) 4210-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4136—आयुर्वेद भवन का निर्माण	237.00	159.05	(-)77.95
(29) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220—शिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 3,749.00 पूरक 200.00	3,949.00	3,173.37	(-)775.63
(30) 4216-01-106-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6222—न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)— मूल 215.00 पूरक 800.00	1,015.00	126.05	(-)888.95
उपरोक्त क्रम संख्या (26) से (30) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत, 2008-09 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत तथा 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (28) एवं (30) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 4216-01-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2631—पुलिस प्रशासन	119.00	..	(-)119.00
(32) 4216-01-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6222—न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)	200.00	..	(-)200.00
उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (31) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 4216-01-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5918—सामान्य प्रशासन विभाग— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)100.00	200.00	0.79	(-)199.21
₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 4250-203-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 976—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यालय भवनों का निर्माण	90.00	..	(-)90.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—समाप्त

(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन— मूल 1.00 पुनर्वि. 1,200.00	1,201.00	329.17	(-)871.83
₹ 1200.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति एवं निधि का कम आबंटन किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2629-पुलिस— मूल 1,375.00 पुनर्वि. 200.00	1,575.00	1,450.16	(-)124.84
₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति एवं देयताओं का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7480-जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना— मूल 50.00 पुनर्वि. 91.78	141.78	136.95	(-)4.83
₹ 91.78 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 8.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि दायित्वों के भुगतान होने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(4) 4202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि— मूल 1,200.00 पुनर्वि. 1,000.00	2,200.00	1,534.88	(-)665.12
(5) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5640-उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण— पूरक 250.00 पुनर्वि. 600.00	850.00	844.21	(-)5.79

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत ₹ 1,000.00 लाख एवं ₹ 600.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

पूंजीगत :

मूल	18,45,000			
पूरक	2,000	18,47,000	11,76,825	(-)6,70,175
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 6,701.75 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4055-796-211-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2629-पुलिस	200.00	100.96	(-)99.04
(2) 4059-01-796-051-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजना	550.00	154.67	(-)395.33
(3) 4059-01-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3855-लोक निर्माण-भवन	300.00	211.41	(-)88.59
(4) 4059-01-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7402-खनिज प्रशासन	665.00	166.50	(-)498.50
(5) 4059-01-796-202-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7284-छात्रावास आश्रम भवनो का निर्माण	200.00	88.63	(-)111.37
(6) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5086-कॉलेज भवन का निर्माण-	1,315.00	1,083.89	(-)231.11

अनुदान संख्या 68—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (3) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4202-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8071-पॉलिटैक्निक भवनों का निर्माण-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	100.00	68.98
			(-)31.02
(8) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 395-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण-			
मूल	812.00		
पुनर्वि.	(-)700.00	112.00	65.33
			(-)46.67
(9) 4210-02-796-101-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	2,000.00	99.60
			(-)1,900.40
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत ₹ 600.00 लाख, ₹ 700.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत, 2006-07 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4210-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	1,000.00	655.28	(-)344.72
(11) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	500.00	14.59	(-)485.51
(12) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	1,218.00	1,012.79	(-)205.21
(13) 4210-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण	600.00	284.26	(-)315.74
(14) 4210-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5057-चिकित्सालयो में शय्याओं की वृद्धि	200.00	70.59	(-)129.41
(15) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	360.00	54.87	(-)305.13
(16) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4220-शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय	3,000.00	2,768.92	(-)231.08
(17) 4225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9840-शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण-			
मूल	1,800.00		
पूरक	20.00	1,820.00	1,297.25
			(-)522.75

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9147-रोजगार कार्यालय	180.00	18.79	(-)161.21

उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (18) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत, 2010-11 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (13) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (14), (15) एवं (16) से (18) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-796-051-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 500.00	500.00	237.90	(-)262.10

₹ 500.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(2) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2631-पुलिस प्रशासन- मूल 50.00 पुनर्वि. 400.00	450.00	349.76	(-)100.24
--	--------	--------	-----------

(3) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3070-भाड़ा गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत आवास गृहों का निर्माण- मूल 10.00 पुनर्वि. 200.00	210.00	405.00	+195.00
---	--------	--------	---------

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 400.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन लम्बित दायित्वों का भुगतान के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 4250-796-203-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें कार्यालय भवनों का निर्माण	45.00	139.57	+94.57
---	-------	--------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(5) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यालय भवनों का निर्माण- मूल 2,000.00 पुनर्वि. 600.00	2,600.00	2,283.82	(-)316.18
--	----------	----------	-----------

₹ 600.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति एवं लम्बित दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

**अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व:			
मूल	47,03,332		
पूरक	7,15,440	54,18,772	19,47,667
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)34,71,105 34,71,105

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 3,000.00 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 4,154.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,154.40 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217—80—191—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6741—नेशनल अरबन रिन्व्यूवल मिशन— मूल 17,570.62 पूरक 3,000.00 पुनर्वि. (-)11,401.56	9,169.06	9,169.06	..
(2) 2217—80—191—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6807—एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना— मूल 4,750.00 पूरक 1,850.00 पुनर्वि. (-)3,608.53	2,991.47	2,991.47	..
(3) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8630—राजीव आवास योजना— मूल 21,875.00 पुनर्वि. (-)18,784.23	3,090.77	3,090.77	..
(4) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9106—स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना— मूल 660.00 पुनर्वि. (-)341.67	318.33	318.33	..
(5) 2217—80—192—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9106—स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना— मूल 660.00 पुनर्वि. (-)341.67	318.33	318.33	..

अनुदान संख्या 69—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2217-80-193-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6807-एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना-			
मूल	50.00		
पूरक	450.00		
पुनर्वि.	(-152.46)	347.54	347.54
(7) 2217-80-193-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
9106-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना-			
मूल	224.40		
पुनर्वि.	(-74.98)	149.42	149.42

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत ₹ 11,401.56 लाख, ₹ 3,608.53 लाख, ₹ 18,784.23 लाख, ₹ 341.67 लाख, ₹ 341.67 लाख, ₹ 152.46 लाख एवं ₹ 74.98 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2010-11 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (3), (4), (5) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3275—अन्य दूरसंचार सेवायें—			
राजस्व:			
मूल	2,85,694		
पूरक	2,94,275	5,79,969	(-)1,19,894
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (10 फरवरी 2014, 05, 25 एवं 27 मार्च 2014)			79,894

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 4,600.75 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में ₹ 4,600.75 लाख का अनुपूरक प्रावधान, जुलाई 2013 (₹ 142.75 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि जनवरी 2014 (₹ 2,800.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,198.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 798.94 लाख का अभ्यर्पण बजट प्रावधान पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275-800-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6818-स्वान परियोजना-			
मूल	1,738.00		
पुनर्वि.	(-)60.00	1,678.00	1,678.00
(2) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7276-डाटा सेंटर की स्थापना-			
मूल	250.00		
पूरक	42.75		
पुनर्वि.	(-)250.00	42.75	42.75
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 60.00 लाख एवं ₹ 250.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 3275-800-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7278-राज्य में कंपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम-			
मूल	182.30		
पुनर्वि.	(-)182.30
(4) 3275-800-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7482-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्थान-			
मूल	130.60		
पुनर्वि.	(-)130.60

अनुदान संख्या 71—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 182.30 लाख एवं ₹ 130.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6894-डिजिटल शासन की स्थापना	300.00	..	(-)300.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(6) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7481-जैव प्रौद्योगिकी हेतु प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास की परियोजना-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(7) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8726-छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	80.00	80.00

₹ 120.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(8) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8922-मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना-			
पूरक	100.00	100.00	..

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
मूल	15,02,000		
पूरक	सांकेतिक	15,02,000	(-)8,88,410
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			8,88,417
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत :			

(i) ₹ 8,884.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 8,884.17 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-02-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00
(2) 4700-03-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(3) 4700-05-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)518.02	581.98	581.98	..
₹ 518.02 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण एवं जनवरी एवं फरवरी में अत्यधिक वर्षा होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4700-07-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00

अनुदान संख्या 75—समाप्त

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4701-01-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(6) 4701-05-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 800.00 पुनर्वि. (-)514.76	285.24	285.24	..
---	--------	--------	----

₹ 514.76 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण एवं जनवरी एवं फरवरी में अत्यधिक वर्षा होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4702-101-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5189-लघु सिंचाई योजना- निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)66.75	33.25	33.25	..
--	-------	-------	----

₹ 66.75 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है।

(8) 4702-101-0312-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5189-लघु सिंचाई योजना- निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 7,300.00 पुनर्वि. (-)4,897.62	2,402.38	2,395.95	(-)6.43
--	----------	----------	---------

₹ 4,897.62 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने (₹ 4,797.62 लाख) एवं वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति के प्रकरणों के निराकरण नहीं होने (₹ 100.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

(9) 4702-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 9469-नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत- मूल 4,100.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,268.01	2,831.99	2,838.49	+6.50
--	----------	----------	-------

₹ 1,268.01 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	30,00,000	9,218	(-)29,90,782
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत :			

(i) ₹ 29,907.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054—03—337—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट—फेज—II	6,100.00	64.71	(-)6,035.29
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 5054—03—337—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट—फेज—II	11,400.00	..	(-)11,400.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 5054—03—337—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं सामान्य— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट—फेज—II	12,500.00	27.47	(-)12,472.53
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011—12 एवं 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	31,55,650		
पूरक	1,07,200	32,62,850	24,16,557
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)8,46,293
<i>प्रभारित</i>	<i>420</i>	<i>..</i>	<i>(-)420</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>..</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	3,62,000	83,893	(-)2,78,107
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<i>..</i>
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2013 (₹ 450.00 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 622.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,072.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 8,462.93 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए बचत का अभ्यर्पित नहीं किया जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-800-5499-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	250.00	..	(-)250.00
(2) 2210-01-110-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय— मुल 4,856.70 पूरक 522.00	5,378.70	3,966.45	(-)1,412.25
(3) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6967-चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर	2,024.00	1,499.83	(-)524.17
(4) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6997-चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ से सम्बद्ध चिकित्सालय	182.70	6.69	(-)176.01

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (4), 2006-07 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8938-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव से सम्बद्ध चिकित्सालय	50.00	..	(-)50.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(6) 2210-02-101-4194-शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एण्ड डिपो	392.90	313.53	(-)79.37
(7) 2210-02-101-4286-संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	208.70	154.50	(-)54.20
(8) 2210-02-101-460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	745.20	592.44	(-)152.76
(9) 2210-02-101-461-आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढीकरण	546.50	361.99	(-)184.51
(10) 2210-02-101-7511-आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाविद्यालय	392.40	290.82	(-)101.58
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (8), 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (9) एवं 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2210-02-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना- मूल 106.30 पुनर्वि. (-)27.80	78.50	40.40	(-)38.10
₹ 27.80 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(12) 2210-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7503-आयुष संस्थाओं का उन्नयन	59.20	0.58	(-)58.62
(13) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	244.00	150.00	(-)94.00
(14) 2210-04-101-460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	6,184.30	5,136.08	(-)1,048.22
(15) 2210-04-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5684-एलोपैथिक चिकित्सालयों में पंचकर्म, क्षारसूत्र यूनिट की स्थापना	149.40	47.54	(-)101.86
(16) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	531.50	402.33	(-)129.17
(17) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7240-आयुर्वेदिक ग्राम	450.00	338.77	(-)111.23

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2210-05-101-469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय	1,187.80	829.56	(-)358.24
(19) 2210-05-105-1352-चिकित्सा महाविद्यालय	3,238.60	3,088.47	(-)150.13
(20) 2210-05-105-1355-चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	165.20	97.84	(-)67.36
(21) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1352-चिकित्सा महाविद्यालय- मूल 1,094.00 पूरक सांकेतिक 1,094.00	1,094.00	613.79	(-)480.21
उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (21) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (20), 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (14), (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1355-चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	100.00	..	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1915-दंत महाविद्यालय	1,746.60	1,049.58	(-)697.02
(24) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6968-चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर	2,158.00	1,856.15	(-)301.85
(25) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6996-चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़- मूल 234.00 पूरक 450.00	684.00	363.16	(-)320.84
(26) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7279-चिकित्सा महाविद्यालय	900.00	530.00	(-)370.00
(27) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7328-फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	186.30	88.11	(-)98.19
(28) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8939- चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	50.00	..	(-)50.00
(29) 2210-06-003-2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	287.90	197.64	(-)90.26
(30) 2210-06-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	779.60	230.42	(-)549.18

उपरोक्त क्रम संख्या (22) से (30) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007-08 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (27) तथा 2009-10 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (24), (25), (29) एवं (30) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 4.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 79—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 2,781.07 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए भी बचत का अभ्यर्पित नहीं किया जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	450.00	251.11	(-)198.89
(2) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6967-चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर अस्पताल	100.00	5.42	(-)94.58
(3) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1352-चिकित्सा महाविद्यालय	1,750.00	350.00	(-)1,400.00
(4) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1915-दंत महाविद्यालय	100.00	65.35	(-)34.65
(5) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6968-चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर	1,020.00	67.06	(-)952.94
(6) 4210-04-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	100.00	..	(-)100.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3), 2008-09 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (4) तथा 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 80—त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	2,87,88,743			
पूरक	15,08,278	3,02,97,021	2,54,24,203	(-)48,72,818
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				31,50,278

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा जुलाई 2013 (₹ 12,920.68 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 2,162.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 15,082.78 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 48,728.18 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 31,502.78 लाख का अभ्यर्पण त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन के साथ ही व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	4,955.00	1,957.01	(-)2,997.99
(2) 2202-01-112-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6933-माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	3,540.00	1,722.43	(-)1,817.57
(3) 2202-01-197-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	35,500.00		
पूरक	3,200.00	38,700.00	35,224.08
			(-)3,475.92

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-01-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	30,000.00		
पूरक	1,000.00	24,165.22	(-)6,834.78
(5) 2202-02-196-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	17,000.00		
पूरक	4,000.00	16,188.84	(-)4,811.16
(6) 2202-02-196-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	20,700.00		
पूरक	1,100.00	16,941.71	(-)4,858.29
(7) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	550.00		
पूरक	500.00	806.44	(-)243.56
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2005-06 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2007-08 से 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (2), 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (3) से (6) एवं 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2405-101-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)42.36	357.64	(-)184.62
₹ 42.36 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2515-196-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	4,627.00		
पुनर्वि.	(-)864.35	3,762.65	(-)20.84
₹ 864.35 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2515-196-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7019-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-			
मूल	20,000.00		
पुनर्वि.	(-)7,718.00	12,282.00	..
₹ 7,718.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2515-196-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8668—राजीव गांधी पंचायत सशक्ति करण अभियान— पूरक 5,636.49 पुनर्वि. (-)5,127.52	508.97	430.47	(-)78.50
₹ 5,127.52 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2515-197-7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 9,254.00 पुनर्वि. (-)1,728.74	7,525.26	7,525.26	..
₹ 1,728.74 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2515-198-7416—तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 32,389.00 पुनर्वि. (-)6,050.49	26,338.51	26,359.35	+20.84
₹ 6,050.49 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2515-198-8214—सचिवीय व्यवस्था— मूल 6,000.00 पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,713.73	6,286.27	7,781.72	+1,495.45
₹ 1,713.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2515-198-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7424—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(16) 2853-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 7,982.00 पुनर्वि. (-)0.20	7,981.80	7,864.32	(-)117.48
₹ 0.20 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग द्वारा कम निधि स्वीकृत किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014) 2007-08 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 80—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 3604—197—0480—पंचायत, भू—राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि— 4610—स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध— मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)3,157.85	2,842.15	2,934.71	+92.56

₹ 3,157.85 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2007—08 से 2012—13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235—60—198—4858—इंदिरा सहारा योजना— मूल 4,100.00 पूरक 204.00	4,304.00	4,466.92	+162.92
(2) 2235—60—198—9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 11,500.00 पूरक 2,026.00	13,526.00	14,930.04	+1,404.04
(3) 2235—60—198—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 8,300.00 पूरक (-)100.00	8,400.00	8,625.49	+225.49
(4) 2235—60—198—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन— मूल 1,200.00 पूरक (-)690.68	1,890.68	1,954.95	+64.27
(5) 2235—60—198—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7340—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन 350.00	350.00	505.64	+155.64

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012—13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(6) 2515—198—5848—ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यो हेतु अनुदान— मूल 30,000.00 पुनर्वि. (-)21.00	29,979.00	30,078.50	(-)99.50
---	-----------	-----------	----------

₹ 21.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,34,31,270		
पूरक	18,60,920	1,52,92,190	1,44,17,883
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)8,74,307 6,84,354
प्रभारित	5,00,000	5,00,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूंजीगत :

दत्तमत	21,75,000	..	(-)21,75,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			21,75,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 8,743.07 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2013 (₹ 500.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त एवं जनवरी 2014 (₹ 18,109.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 18,609.20 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था।

(ii) ₹ 8,743.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को केवल ₹ 6,843.54 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ लाख में)		
(1) 2202-01-191-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	1,500.00		
पूरक	100.00	1,600.00	1,556.53
			(-)43.47

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 1,500.00 पूरक 300.00	1,800.00	1,177.80	(-)622.20
(3) 2202-01-192-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	1,500.00	1,447.47	(-)52.53
(4) 2202-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	1,500.00	932.36	(-)567.64
(5) 2202-02-191-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 800.00 पूरक 400.00	1,200.00	686.51	(-)513.49
(6) 2202-02-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	600.00	536.79	(-)63.21
(7) 2202-02-192-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	1,000.00	943.86	(-)56.14

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), (2) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3), (4) एवं (7) तथा 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2217-05-191-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 6,490.00 पूरक 3,015.29 पुनर्वि. (-)3,031.41	6,473.88	6,473.88	..
--	----------	----------	----

₹ 3,031.41 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास— मूल 9,452.00 पुनर्वि. (-)101.00	9,351.00	9,351.00	..
--	----------	----------	----

₹ 101.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

अनुदान संख्या 81-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	1,500.00
पुनर्वि.	(-)-1,500.00
₹ 1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नगरीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2217-05-192-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	2,297.00		
पूरक	958.00		
पुनर्वि.	(-)-964.79	2,290.21	2,290.21
₹ 964.79 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)-100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नगरीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2217-05-193-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	2,558.00		
पूरक	1,089.00		
पुनर्वि.	(-)-1,096.34	2,550.66	2,550.66
₹ 1096.34 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)-50.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नगरीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2235-60-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	250.00		
पूरक	400.00	650.00	446.60
(-)-203.40			
(16) 2235-60-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-			
मूल	170.00		
पूरक	174.91	344.91	233.05
(-)-111.86			
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 81-जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-191-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	1,600.00		
पूरक	80.00	1,962.39	+282.39
(2) 2235-60-192-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-			
5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	430.00	470.60	+40.60
(3) 2235-60-193-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-			
5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	600.00	631.53	+31.53

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) ₹ 21,750.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किया गया।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6217-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास-			
मूल	9,362.00		
पुनर्वि.	(-)9,362.00
(2) 6217-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	3,500.00		
पुनर्वि.	(-)3,500.00
(3) 6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास-			
मूल	4,563.00		
पुनर्वि.	(-)4,563.00
(4) 6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
(5) 6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास-			
मूल	4,175.00		
पुनर्वि.	(-)4,175.00

अनुदान संख्या 81—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 9,362.00 लाख, ₹ 3,500.00 लाख, ₹ 4,563.00 लाख, ₹ 100.00 लाख, ₹ 4,175.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली—पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ			
राजस्व :			
मूल	1,57,33,968		
पूरक	6,23,602	1,63,57,570	1,32,09,829
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			(-)31,47,741 37,75,141

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 31,477.41 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2013 (₹ 540.00 लाख) एवं जनवरी 2014 (₹ 5,696.02 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,236.02 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 31,477.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को किया गया ₹ 37,751.41 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—			
मूल	13,200.00		
पुनर्वि.	(-)3,022.40	10,177.60	10,336.48
			+158.88
₹ 3,022.40 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)668.03	6,331.97	6,184.87
			(-)147.10

₹ 668.03 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2009-10 से 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	अनुदान संख्या 82—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(3) 2202-01-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1392-छात्रवृत्तियां और वृत्तियां—				
मूल	2,030.00			
पुनर्वि.	(-)863.82	1,166.18	989.76	(-)176.42
₹ 863.82 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।				
(4) 2202-01-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1398-छात्रावास—				
मूल	1,650.00			
पुनर्वि.	(-)477.57	1,172.43	1,352.46	+180.03
(5) 2202-01-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 494-आश्रम—				
मूल	1,500.00			
पुनर्वि.	(-)333.82	1,166.18	1,232.81	+66.63
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत ₹ 477.57 लाख एवं ₹ 333.82 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।				
(6) 2202-01-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 581-उच्चतर माध्यमिक शाला—				
मूल	450.00			
पुनर्वि.	(-)51.31	398.69	383.52	(-)15.17
₹ 51.31 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।				
(7) 2202-01-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—				
मूल	44,830.00			
पूरक	5,000.00			
पुनर्वि.	(-)9,023.11	40,806.89	41,847.39	+1,040.50
₹ 9,023.11 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(8) 2202-02-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—				
मूल	22,415.00			
पूरक	40.00			
पुनर्वि.	(-)3,419.42	19,035.58	19,795.74	+760.16
₹ 3,419.42 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 82—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	340.00		
पूरक	221.00	453.50	(-)107.50
(10) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	5,500.00	5,203.27	(-)296.73
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			
(11) 2515-796-196-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7019-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-			
मूल	32,500.00		
पुनर्वि.	(-)15,328.00	17,172.00	21,339.00
			+4,167.00

₹ 15,328.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2515-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8668-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-			
मूल	4,283.73		
पुनर्वि.	(-)3,997.84	285.89	285.89
			..
₹ 3,997.84 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(13) 2515-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7424-राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00
			..
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-			
मूल	840.00		
पूरक	318.25	1,398.44	+240.19
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)।			

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व:			
मूल	17,61,545		
पूरक	21,127	17,82,672	17,74,410
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)8,262
			..
पूँजीगत	13,30,000	..	(-)13,30,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)			13,30,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) ₹ 82.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-796-192-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—			
मूल	16.00		
पूरक	120.00	136.00	74.80
			(-)61.20
(2) 2235-60-796-192-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन—			
मूल	40.00		
पूरक	48.56	88.56	54.52
			(-)34.04

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-796-193-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	250.00	264.59	+14.59

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2012-13 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 83—समाप्त

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6217-60-796-191-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास-			
मूल	6,660.00		
पुनर्वि.	(-)6,660.00
(2) 6217-60-796-192-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास-			
मूल	3,467.00		
पुनर्वि.	(-)3,467.00
(3) 6217-60-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास-			
मूल	3,173.00		
पुनर्वि.	(-)3,173.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत ₹ 6,660.00 लाख, ₹ 3,467.00 लाख एवं ₹ 3,173.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 13 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदान वार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
	(₹ हजार में)		
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन- राजस्व-			
दत्तमत	9,00,000	..	(-)9,00,000
10. वन- राजस्व-			
दत्तमत	2,00,000	2,16,888	(-)3,112
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय- राजस्व-			
दत्तमत	11,12,025	9,72,250	(-)1,39,775
17. सहकारिता- राजस्व-			
दत्तमत	..	486	+486
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी- राजस्व-			
दत्तमत	1,50,000	66,570	(-)83,430
23. जल संसाधन विभाग- राजस्व-			
दत्तमत	14,14,990	1,920	(-)14,13,070
पूंजीगत-			
दत्तमत	200	1,487	+1,287
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- पूंजीगत-			
दत्तमत	8,23,000	8,23,000	..
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय- राजस्व-			
दत्तमत	..	4,26,112	+4,26,112
पूंजीगत-			
दत्तमत	..	7,404	+7,404
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- राजस्व-			
दत्तमत	4,75,030	4,28,550	(-)46,480

परिशिष्ट-I समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
		(₹ हजार में)	
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य— पूँजीगत— दत्तमत	17,000	26	(-)16,974
56. ग्रामोद्योग— पूँजीगत— दत्तमत	..	433	+433
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय— राजस्व— दत्तमत	20,89,457	13,59,516	(-)7,29,981
पूँजीगत— दत्तमत	2,000	..	(-)2,000
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना— राजस्व— दत्तमत	2,12,945	1,30,200	(-)82,745
67. लोक निर्माण कार्य—भवन— राजस्व— दत्तमत	11,43,000	14,04,696	+2,61,696
पूँजीगत— दत्तमत	5,75,890	..	(-)5,75,890
76. लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं— पूँजीगत— दत्तमत	..	45,906	+45,906
80. त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता— राजस्व— दत्तमत	6,00,000	2,93,471	(-)3,06,529
पूँजीगत— दत्तमत	..	75	+75
योग—			
राजस्व— दत्तमत	84,40,637	55,15,973	(-)29,24,664
पूँजीगत— दत्तमत	15,15,480	8,78,816	(-)6,36,664
महायोग—			
राजस्व	84,40,637	55,15,973	(-)29,24,664
पूँजीगत	15,15,480	8,78,816	(-)6,36,664

परिशिष्ट-II

मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण की गई राशियों का अनुदान वार एवं योजना वार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखा शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+अनुपूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अन्तरित राशि
(₹ हजार में)				

वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में कोई भी राशि अंतरित नहीं की गए हैं।

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2014
www.cag.gov.in

agchattisgarh@cag.gov.in